प्रश्न शाखा का प्रकाशन

मध्यप्रदेश विधान सभा

(षोडश)

खण्ड-2

फरवरी 2024 एवं जुलाई 2024 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन

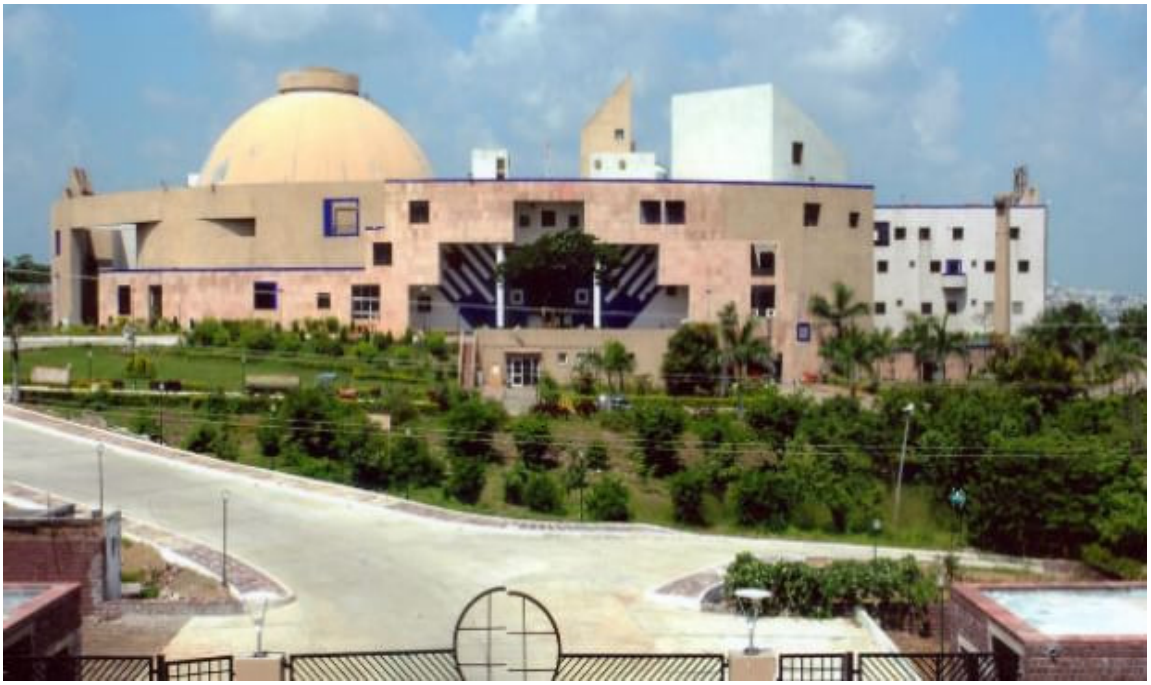

(दिसम्बर 2024 सत्र में पटल पर रखा गया)

मध्यप्रदेश विधान सभा

(षोडश)

खण्ड-2

फरवरी 2024 एवं जुलाई 2024 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन

भोपाल

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय 2024

निर्देशन :	श्री ए.पी. सिंह	--	प्रमुख सचिव
संपादन :	श्री अरविन्द शर्मा	--	सचिव
	श्री बीरेन्द्र कुमार	--	अपर सचिव
	श्री रमेश महाजन	--	उप सचिव
	श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा	--	अवर सचिव
	श्री माधव दफ्तरी	--	अवर सचिव
	श्री गोविन्द पण्डा	--	अनुभाग अधिकारी
संकलनकर्ता :	श्री संजीव सराठे	--	सहायक ग्रेड-1
	श्री प्रवीण जैन	--	सहायक ग्रेड-2
	श्री रामगोपाल शुक्ला	--	उप सहायक मार्शल
	श्री मनीष बनोदे	--	सहायक ग्रेड-3

<u>प्रस्तावना</u>

इस संकलन में मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 51 की अपेक्षानुसार **<u>फरवरी 2024 एवं जुलाई 2024 सत्र</u>** में शासन द्वारा जिन प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर दिये गये थे तथा प्रश्नोत्तर सूची मुद्रित होने के पश्चात् विभागों से प्राप्त जिन उत्तरों को सदन में पृथकतः वितरित किया गया था, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है.

प्रश्नों के संदर्भ में शासन द्वारा पूर्व में दी जानकारी को बड़े कोष्ठक में [.....] दर्शाया गया है.

स्थान : भोपाल (म.प्र.)
दिनांक : 04 दिसम्बर, 2024

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

विषय-सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)			पृष्ठ संख्या (3)
1.	फरवरी, 2024 सत्र	--	--	1-29
2.	जुलाई, 2024 सत्र	--	--	30-111

फरवरी, 2024

दिनांक 8 फरवरी, 2024

उच्च शिक्षा के लिये ऋण का प्रदाय
[उच्च शिक्षा]

1. अता.प्र.सं.7 (क्र. 100) श्री लखन घनघोरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना कब से चालू है? इसके क्या प्रावधान हैं? **(ख)** प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु विदेश में या प्रदेश के बाहर अध्ययन करने वाले कितने विद्यार्थियों को शासन की गारंटी पर बैंकों द्वारा कितनी ऋण राशि दी गई है? वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की जानकारी दें। **(ग)** प्रदेश में कितने विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा हेतु शासन की गारंटी के बिना बैंकों से ऋण लिया है? कितने विद्यार्थी डिफाल्टर हैं? **(घ)** प्रदेश में कितने विद्याथियों ने 1 करोड़ से अधिक ऋण बैंकों से उच्च शिक्षा हेतु लिया है? शासन ने पढ़ाई के दौरान कितने विद्यार्थियों की मृत्यु हो जाने पर बैंक ऋण की कितनी राशि भरी है? सूची दें। इन पर कितनी राशि बकाया है?

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *योजना 31-10-2009 से प्रभावशील है। योजना प्रावधान की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)*** *उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक दी गई गारन्टी की जानकारी निरंक है।* ***(ग)*** *एवं* ***(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** *उच्च शिक्षा द्वारा पढ़ाई के दौरान किसी भी विद्यार्थी की मृत्यु हो जाने पर बैंक ऋण की कोई भी राशि नहीं भरी गई है।* **]** **(ग)** आज दिनांक तक 73504 विद्यार्थियों ने शिक्षा हेतु बैंक से ऋण लिया है जिसमें से 7294 विद्यार्थी डिफॉल्टर हैं। **(घ)** 9 बैंकों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 385 विद्यार्थियों को 95 करोड़ 56 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक प्रकरण में विद्यार्थी की मृत्यु उपरांत अनुदान राशि रूपये 982567/- उपलब्ध कराई गयी एवं ऋण खाता बंद किया गया। विद्यार्थी का नाम :- स्व. अमित खातकर, बैंक का नाम - बैंक ऑफ महाराष्ट्र पाडर, जिला बैतूल। उच्च शिक्षा द्वारा पढ़ाई के दौरान किसी भी विद्यार्थी की मृत्यु हो जाने पर बैंक ऋण की कोई भी राशि नहीं भरी गई है।

फर्जी नियुक्ति की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

2. अता.प्र.सं.65 (क्र. 341) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिले के ग्राम पंचायत पिपरा, जनपद पंचायत सिरमौर में पदस्थ सचिव श्री संदीप द्विवेदी की नियुक्ति किन वर्षों में किन अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा की गई का विवरण देते हुये इनकी नियुक्ति से संबंधित संपूर्ण अभिलेख एवं नोटशीट की प्रति उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के सचिव की नियुक्ति अगर नियम एवं प्रक्रिया से हटकर कूट रचित फर्जी तरीके से की गई तो इनके पद से पृथक करने एवं आज तक प्राप्त मानदेय एवं वेतन की वसूली की कार्यवाही हेतु क्या आदेश देंगे? नियुक्ति दिनांक से प्रश्नांश दिनांक के दौरान वसूली योग्य राशि कितनी होगी? **(ग)** प्रश्नांश (क)

के सचिव के पास कब-कब, किन-किन पंचायतों के प्रभार रहे एवं मूल पदस्थापना किस पंचायत में थी, इनके कार्यकाल में कराये गये कार्यों की जांच के साथ फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर राशि आहरित करने एवं मौके पर कार्य न किये जाने पर राशि वसूली के साथ गबन के आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जाने बाबत् क्या निर्देश देंगे, तो कब? अगर नहीं तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (क) के सचिव के विरूद्ध कितने आपराधिक प्रकरण विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज है की जानकारी के साथ इनके ऊपर जिला बदर की कार्यवाही भी क्या की गई है? अगर नहीं की गई तो विभाग द्वारा अपराध के आधार पर जिला बदर बाबत् जिला कलेक्टर को पत्र लिखा जावेगा तो कब तक? अगर नहीं तो क्यों? **(ड.)** प्रश्नांश (क) के सचिव के विरूद्ध फर्जी नियुक्ति पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने पद से पृथक/बर्खास्त करने के साथ इनके पदस्थगी के दौरान ग्राम पंचायतों में कराये गये निर्माण कार्यों की जांच उच्च स्तरीय समिति से कराई जावेगी तो कब तक? समय-सीमा बतायें। अगर नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री : [***(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है।(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार है।(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" एवं "स" अनुसार है।*** **] (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" अनुसार है।**

दिनांक 9 फरवरी, 2024

विधायक विकास निधि का दुरूपयोग

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

3. परि.अता.प्र.सं. 11 (क्र. 165) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या टीकमगढ़ विधायक द्वारा वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक जितनी भी राशि विकास कार्यों हेतु दी गई वह सभी कार्य गुणवत्ताहीन किये गये है? **(ख)** यदि नहीं तो प्रश्नांश (क) वर्णित कार्यों के नाम मूल्यांकन एवं सत्यापनकर्ता अधिकारी के नाम सहित बताये? **(ग)** क्या यह सही है कि प्रवेश द्वार निर्माण पर अधिक राशि स्वीकृत की गई है और प्रवेश द्वार गुणवत्ताविहीन है, जैसे - बल्देवगढ़ मार्ग पर उर नदी के पास बना प्रवेश द्वार आदि? **(घ)** प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि में कुल कितने प्रवेश द्वार बनवाये गये विस्तृत विवरण दें।

उप मुख्यमंत्री, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी : [***(क)*** *जी नहीं।* ***(ख)*** *प्रश्नांश "क" में वर्णित कार्यों की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–अ अनुसार*** *है। प्रश्न के शेष भाग की* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।(ग)*** *जी नहीं।* ***(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–ब अनुसार*** *है।* **] (ख)** प्रश्नांश "क" में वर्णित कार्यों की जानकारी सत्यापनकर्ता अधिकारी के नाम सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–अ अनुसार** है।

प्रदेश में आत्महत्याओं की घटनाएँ

[गृह]

4. अता.प्र.सं.18 (क्र. 271) श्री रामनिवास रावत : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 01 जनवरी 2023 से प्रश्नांकित दिनांक तक की अवधि में चंबल संभाग में आत्महत्या की कुल कितनी घटनाएँ घटित हुई? जिलेवार बतावें। इनमें से कितने कृषक, कृषि मजदूर, बेरोजगार व छात्र/छात्राएं थे? पृथक-पृथक जिलेवार संख्यात्मक जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) की अवधि में आत्महत्या करने वाले कृषक, कृषक मजदूर, बेरोजगारों एवं छात्र/छात्राओं द्वारा आत्महत्या करने के कारणों सहित उनके नाम, पिता का नाम, उम्र, पता सहित जिलेवार जानकारी दें। **(ग)** छात्र/छात्राओं द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के संबंध में विधान सभा द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पर शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की है? **(घ)** क्या शासन किसानों कृषि मजदूरों, बेरोजगारों, युवाओं द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के कारणों का अध्ययन करने एवं उन्हें संबल प्रदान करने के एवं उनके स्वावलंबन के लिए उपाय सुझाने हेतु विधान सभा सदस्यों की कमेटी करेगी?

मुख्यमंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ग) विधानसभा समिति के प्रतिवेदन दिनांक 24 मार्च 2017 के संबंध में तत्समय अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु आयोजित बैठकों के उपरांत विधानसभा समिति के प्रतिवेदन के बिन्दु कमांक 31 में उल्लेखित अनुशंसाओं पर निष्कर्ष लिया गया है कि "जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में वरिष्ठ नागरिकों प्रबुद्धजनों, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा पालकों के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक समिति का गठन किया जाए, जो एक ओर किसानों, कृषि, मजदूरों, बेरोजगारों, युवाओं द्वारा की रही आत्महत्याओं के कारणों का अध्ययन करने एवं उन्हें संबल प्रदान करने एवं उनके स्वावलंबन के लिए उपाय सुझाने, विद्यार्थियों हेतु समुचित वातावरण निर्मित कर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़वा देते हुए संस्थाओं को मूल्य आधारित शिक्षा हेतु प्रेरित कर वही दूसरी ओर किसी विद्यार्थी की किसी समस्या / शिकायत के समाधान हेतु भी सक्षम हो।" के संबंध में समस्त जिला दण्डाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आबकारी विभाग की शिकायतें एवं जांच

[वाणिज्यिक कर]

5. अता.प्र.सं.25 (क्र. 344) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आबकारी विभाग में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध किन कारणों से और किन व्यक्तियों की शिकायत पर, किस प्रकार की जांच व कार्यवाही, किस स्तर पर, किस दिनांक से की जा रही है, जांच, कार्यवाही किन कारणों से किस दिनांक से, किस अधिकारी के पास लंबित है, किन-किन अधिकारियों ने अब तक क्या जांच की? वर्तमान स्थिति का विवरण देते हुए बताएं कि जांच, कार्यवाही में अंतिम निर्णय किस दिनांक तक लिया जाएगा? **(ख)** आबकारी विभाग में किन अधिकारियों-कर्मचारियों की किस प्रकार की लापरवाहियों, दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण कितने राशि के राजस्व की हानि हुई है, बकाया कितना है, वसूली के लिए क्या-क्या कार्यवाहियां की

गई हैं? **(ग)** वर्ष 2023-24 के लिए शराब डिस्टलरीज को जिलों में देशी, मसाला, प्लेन मदिरा सप्लाय करने के लिए प्राप्त टेंडर किन कारणों से निरस्त किए थे, पुनः किन कारणों से टेंडर स्वीकृत किए है, सभी आदेशों की प्रतियां देवें। किन डिस्टलरियों/संचालकों पर विभाग की कितनी राशि किस दिनांक से बकाया है, वसूली के लिए की गई कार्यवाहियों का विवरण देते हुए पत्रों, आदेशों की प्रतियों देवें, किस डिस्टलरीज के विरुद्ध किस प्रकार की शिकायतें, किस प्रकार की कार्यवाही के लिए किस दिनांक को प्राप्त हुई, क्या कार्यवाही की गई, विवरण, आदेश, पत्रों की प्रतियां देवें।

उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर : [(क) से (ग) ***जानकारी एकत्रित की जा रही है/*****]** **(क)** विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उक्त शिकायतों की प्रारंभिक जांच में शिकायत संबंधी तथ्यों की पुष्टि होने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है, विस्तृत **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। **(ख)** कार्यालय सहायक आयुक्त, आबकारी जिला इन्दौर में वित्तीय वर्ष 2017-18 से नवम्बर 2022 तक कुल 02 प्रकरण प्रकाश में आए हैं। प्रकरण क्रमांक 01 - वित्तीय वर्ष 2015 से 2017 की अवधि में कूटरचित चालान मामले के प्रकरण में कलेक्टर जिला इन्दौर द्वारा वास्तविक राजस्व हानि रूपये 41, 65, 21, 890/- आंकलित की गई थी। तदुपरांत आबकारी आयुक्त कार्यालय के आदेश दिनांक 19.05.2023 से गठित समिति द्वारा आलोच्य अवधि हेतु कूटरचित चालानों के माध्यम से मदिरा उठाव की राशि तथा लायसेंस फीस व न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के योग में से बाद में जमा राशि घटाकर शेष राशि (खिसारा) की गणना कर प्रस्तुत संयुक्त प्रतिवेदन दिनांक 06.07.2023 में पूर्व में आंकलित राजस्व हानि रूपये 41, 65, 21, 890/- के स्थान पर पुनर्गणना के आधार पर 71, 58, 52, 047/- परिगणित की गई है, उक्त परिगणित राशि का परीक्षण वित्त अधिकारियों से कराया जा रहा है। जिसमें से रूपये 22, 16, 06, 432/- की राशि वसूल की जा चुकी है एवं रूपये 49, 42, 45, 615/- की वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रकरण क्रमांक 02 - वित्तीय वर्ष 2022-23 में एफ.डी.आर. कूटरचना प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी निक महुआ टी.व्ही. मीडिया प्रा.लि. पर बकाया राशि 15, 32, 16, 350/- की वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी की गयी है। उपरोक्त दोनों प्रकरणों में कुल 14 ठेकेदार तथा दो अन्य के विरुद्ध पुलिस थाना रावजी बाजार इन्दौर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाकर संबंधित अनुज्ञप्तियों को निरस्त किया गया तथा संबंधित 07 अनुज्ञप्तिधारियों से खिसारे की राशि म.प्र भू-राजस्व संहिता 1956 के प्रावधान अनुसार वसूल करने हेतु आर.आर.सी. जारी की गयी। उपरोक्त दोनों प्रकरणों से प्रथम दृष्ट्या पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरतने संबंधी अनियमितताओं के आधार पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है जिसमें से 20 अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रकरण समाप्त हो चुका है। जिसका **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है। शेष 11 अधिकारियों के विरूद्ध संयुक्त विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त संबंध में एवं बकाया वसूली संबंधी **विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार** है। **(ग)** वर्ष 2023-24 के लिये शराब डिस्टलरीज को जिलों में देशी मदिरा मसाला/प्लेन की आपूर्ति हेतु ई-टेण्डर के माध्यम दिनांक 27.01.2023 तक आसवकों द्वारा प्रस्तुत टेण्डरों में प्राप्त दरें अव्यवहारिक होने के कारण प्रशासकीय विभाग के आदेश क्रमांक 371/3/3/4/0003/Sec-2-5 (CT) दिनांक 17.02.2023 से टेण्डर निरस्त किये गये थे। पुन: ई-टेण्डर के माध्यम से दिनांक

28.02.2023 तक आसवकों द्वारा प्रस्तुत टेण्डरों में प्राप्त दरों के संबंध में प्रशासकीय विभाग स्तर पर निर्णय लिया जाकर पत्र क्रमांक/3/3/4/0003/ Sec-2-5 (CT) दिनांक 31.03.2023 से दरों को स्वीकृत किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु पत्रों की **छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार** है। समस्त उपायुक्त आबकारी, सभागीय उड़नदस्ता, मध्यप्रदेश से प्राप्त जानकारी अनुसार डिस्टलरियों/संचालकों पर विभाग की बकाया राशि का **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-पांच अनुसार** है। इन्दौर जिले में प्रदाय संविदाकार मेसर्स ग्रेट गेलियन बेंचर्स लिमिटेड, सेजवाया, जिला इदौर के विरुद्ध मांग अनुरूप प्रदाय न करने संबंधी एक ही शिकायत तीन बार प्राप्त हुई। उक्त शिकायत का निराकरण आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के आदेश पृ क्रमांक/5(1)/2023-24/1356 दिनांक 18.08.2023 से किया जा चुका है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-छः अनुसार** है। छतरपुर जिले में स्थित मेसर्स जैगपिन ब्रेवरीज लिमिटेड नौगांव के विरुद्ध दिनांक 03.11.2023 का फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण को रोक लगाकर कार्यवाही करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त सबंध में प्रदूषण नियत्रण बोर्ड सागर (म.प्र.) के स्तर से कार्यवाही की जा रही है, जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-सात अनुसार** है। शासन पत्र दिनांक 12 जुलाई 2022 के माध्यम से श्री राजेन्द्र के. गुप्ता जिला इन्दौर द्वारा मध्यप्रदेश स्थित मेसर्स डी.सी.आर. डिस्टलरीज जिला सागर एवं मेसर्स ग्वालियर डिस्टलरीज जिला भिण्ड द्वारा असम राज्य में तस्करी करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई, उक्त शिकायत में उल्लेखित बिंदुओं की जांच उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता सागर से कराई जा जाकर जांच प्रतिवेदन चाहा गया है।

सायबर अपराध की रोकथाम

[गृह]

6. अता.प्र.सं.33 (क्र. 432) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 जनवरी 2020 से जबलपुर संभाग के विभिन्न थाने में कुल कितने सायबर अपराध दर्ज किये? इनमें से कितने अपराधों में मुजरिमों को पकड़ा गया? विभाग ने गत तीन वर्षों में कितना-कितना बजट सायबर अपराध से निपटने के लिए कहाँ-कहाँ खर्च किया? इससे कितने प्रतिशत सायबर अपराधों में कमी आयी? **(ख)** प्रदेश में सोशल मिडिया के माध्यम से अपराध घटित होने की प्रश्नांश (क) अवधि में कुल कितनी शिकायत प्राप्त हुई, प्रदेश में सोशल मिडिया के अपराध पर लगाम लगाने हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? केन्द्र सरकार ने उक्त अवधि में म.प्र. पुलिस के साथ मिलकर सायबर अपराध कम करने के लिए क्या-क्या सुविधाएं प्रदान करते हुए कितनी राशि प्रदेश को दी, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से सायबर एवं सोशल मिडिया पर हो रहे अपराध को रोकने के लिए उक्त अवधि में क्या-क्या प्रयास किये गये? प्रदेश में लगभग कुल कितने सोशल मिडिया उपयोग करने वाले उपभोक्ता है? **(ग)** क्या प्रदेश में सोशल मिडिया पर कई फर्जी आईडी एवं मोबाईल नं. के माध्यम से अपराध किये जा रहे है? क्या फर्जी आईडी एवं मोबाईल नं. की जांच के लिए उक्त अवधि में विभाग के आई.टी. एक्सपर्ट ने मोबाईल कंपनियों के साथ मिलकर किया है? यदि हाँ, तो बैठक के निर्णय से अवगत करायें?

मुख्यमंत्री : [(क) से (ग) ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*****] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार।** राज्य

सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा वर्ष 2018 से वर्तमान तक कुल 3752 सायबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर 2032125 लाख नागरिकों (विद्यार्थियों, महिलाओं एवं बालिकाओं, वरिष्ठ नागरिकों आदि) को सायबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया है। वर्ष 2018 से वर्तमान तक कुल 278 सायबर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर कुल 29696 पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया एवं ग्रामीण स्तर तक सायबर जागरूकता के प्रचार-प्रसार हेतु 73000 सायबर जागरूकता संबंधी पंपलेट छपवाए गए, जिन्हें जिला पंचायत एवं जिला पुलिस बल इकाइयों के माध्यम से म.प्र. की समस्त पंचायतों तक वितरित किया जा रहा है। सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा नेशनल सायबर क्राईम हेल्पलाइन नं. 1930 व डायल 100 का इंटीग्रेशन कर सायबर संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार द्वारा राज्य सायबर पु.मु. भोपाल को CCPWC (Crime Prevention against Women & Child) स्कीम के तहत राशि रू. 2, 85, 25, 000/- आवंटित की गई जिसमें से Cyber Forensic Lab cum Training Center स्थापित किया गया है एवं Capacity Building Training Towards Implementation के अंतर्गत राज्य सायबर पुलिस मध्यप्रदेश द्वारा कुल 1726 पुलिस अधिकारियों, 319 लोक अभियोजन अधिकारियों तथा 129 न्यायिक अधिकारियों को सायबर अपराधों के अनुसंधान एवं फॉरेंसिक से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है। भारत सरकार द्वारा सायबर पु.मु. भोपाल को पुलिस आधुनिकीकरण योजना हेतु राशि रू. 3, 25, 00, 000/- आवंटित की गई है, जिसके अंतर्गत जोनल एवं रेंज स्तर पर 13 सायबर फॉरेंसिक यूनिट की स्थापना की गई है। भारत सरकार द्वारा सायबर पु.मु. भोपाल को Implementation of National Cyber Crime Helpline Number 1930 के सेटअप हेतु राशि रू. 44, 30, 000/- आवंटित की गई है, जो प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न विभाग से असंबंधित है। **(ग)** जी हाँ। दूर संचार विभाग डी.ओ.टी. द्वारा जारी गाइड-लाइन (Dot file No. - 800-2021/ 2015-AS.II, Date 07-12-2021 & Dot file No - 800-2021/2015-AS.II, Date 10-02-2022) एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार (E-3523353/22003/45/2019-14c Govermen of india ministry of home affairs Indian cyber crime coordination center (14c) CIS/DIVISION, Date 16-02-2023) के परिपत्र के माध्यम से नेशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर निर्धारित एस.ओ.पी. अनुसार सायबर धोखाधड़ी एवं अवैध गतिविधियों में शामिल मोबाइल नं./आई.एम.ई.आई. समस्त TSPs (मोबाईल कंपनी) के माध्यम से ब्लॉक कराये जाते हैं। आज दिनांक तक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के NCRP पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश द्वारा 72 मोबाईल ब्लॉक कराये गए हैं। भारत सरकार, गृह मंत्रालय का परिपत्र परिशिष्ट 'ई' एवं ब्लॉक कराये गए मोबाइल नं. की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ई 1' अनुसार है.**

जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि की राशि से स्वीकृत कार्य
[खनिज साधन]

7. अता.प्र.सं.45 (क्र. 571) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर जिले में डी.एम.एफ. मद से कार्य करवाने हेतु कितने प्रस्ताव कब-कब किनके द्वारा प्राप्त हुए? इनमें से किन-किन प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है? **(ख)** उच्च प्राथमिकता क्रम वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कितनी राशि किस कार्य के लिये खर्च की गई? **(ग)** क्या अनूपपुर जिले

के डी.एम.एफ. मद की राशि से क्या महुदा-धुरवासि-परासी-कोतमा मार्ग का प्रस्ताव किसके द्वारा कब किया गया था? उक्त प्रस्ताव में कितनी राशि स्वीकृत हुई थी? उक्त कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है? **(घ)** उक्त कार्य हेतु स्वीकृत की गई डी.एम.एफ. की राशि से निर्माण कार्य नहीं होने से क्या उक्त राशि को लोक निर्माण विभाग से वापस कर अन्य निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की गई है? यदि हाँ, तो किसके प्रस्ताव के अनुसार तथा यदि स्वीकृत नहीं की गई है तो उक्त राशि की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उसे व्यय करने के क्या प्रस्ताव हैं?

मुख्यमंत्री : [***(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है।(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।*** ***(ग)*** *प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्र क्र. 119 दिनांक 18/05/2022 के द्वारा अनूपपुर जिले को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव अनुसार 652.91 लाख की राशि स्वीकृत हुई थी। प्रश्नांश अनुसार मार्ग के निर्माण हेतु प्रथम अनुपूरक बजट वर्ष 2023-24 में योजना क्रमांक 2457 में प्रावधान अनुसार सरल क्रमांक 77 में सम्मिलित किए जाने के कारण विस्तृत प्राक्कलन रूपए 4198.24 लाख का, जिला स्तर से तैयार कर स्वीकृति एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किया गया है। इस कारण से म.प्र. जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 14.* ***(ख)*** *के तहत 652.91 लाख का कार्य डी.एम.एफ. पोर्टल से निरस्त किए जाने हेतु कार्यालय जिला पंचायत अनूपपुर के पत्र क्रमांक 3259 दिनांक 31/10/2023 से प्राप्त हुआ है।* ***(घ)*** *उक्त कार्य हेतु स्वीकृत की गई डी.एफ.एफ. की राशि निर्माण कार्य नहीं होने से उक्त राशि का उपयोग अन्य निर्माण कार्य स्वीकृति किये जाने हेतु राशि का उपयोग नहीं किया गया है। उक्त राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान अनूपपुर के बैंक खाते में उपलब्ध है। उक्त कार्य की स्वीकृति निरस्त किये जाने हेतु प्रस्ताव कार्यालय जिला पंचायत अनूपपुर के पत्र क्रमांक 3259 दिनांक 31/10/2023 से प्राप्त हुआ है। जिस पर शासन स्तर से कार्य निरस्त होने के उपरांत उक्त राशि का उपयोग वार्षिक कार्य योजना के अन्य कार्य स्वीकृत किये जावेंगे।* **] (क)** अनूपपुर जिले में डी.एम.एफ. से कार्य करवाने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर दर्शित है।** स्वीकृत प्रस्तावों की वर्षवार **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर दर्शित** है।

जांच आयोग का गठन
[सामान्य प्रशासन]

8. अता.प्र.सं.73 (क्र. 665) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2004 से 2023 तक किस-किस घटना की जांच हेतु जांच आयोग अधिनियम (1952 का 60) धारा 3 अंतर्गत जांच आयोग का गठन किस-किस दिनांक को किया गया है? अधिसूचना अनुसार जांच रिपोर्ट किस दिनांक को देना थी? शासन को जांच रिपोर्ट किस दिनांक को प्राप्त हुई? **(ख)** क्या जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने के 6 माह अंतर्गत रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही कर उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाना है यदि हाँ, तो बतावें कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जांच आयोग की रिपोर्ट को किस-किस दिनांक को विधानसभा के पटल पर रखा गया? **(ग)** क्या जांच आयोग के गठन का उद्देश्य किस गंभीर घटना पर न्याय हो तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो यदि हाँ, तो बतावें कि जिन रिपोर्ट को अभी तक विधानसभा के पटल पर पर नहीं रखा गया है उसका कारण क्या है, अधिनियम की धारा के

विपरित कार्य के लिये कौन जिम्मेदार है? **(घ)** जांच आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मांग पर उच्च न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित है यदि हाँ, तो बतावें कि शासन ने उस मांग पर क्या राय दी?

मुख्यमंत्री : [*(क) वर्ष 2004 से वर्ष 2023 तक जांच आयोग अधिनियम (1952 का 60) धारा तीन के अंतर्गत गठित जांच आयोग* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम-2 अनुसार,* *जांच आयोग के गठन का दिनांक* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम-3 अनुसार,*** *शासन को जांच रिपोर्ट देने का दिनांक* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम-5 अनुसार*** *है एवं शासन को जांच रिपोर्ट प्राप्त होने का दिनांक* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम-6 अनुसार*** *है।* ***(ख)*** *जी हाँ,* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम-7*** *में आयोग की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने का दिनांक अंकित है।* ***(ग)*** *जी हाँ, जिन रिपोर्ट को अभी तक विधानसभा पटल पर नहीं रखा गया उसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता।* ***(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (घ)** (1) वर्ष 2004 से वर्ष 2023 तक जांच आयोग अधिनियम (1952 का 60) धारा तीन के अंतर्गत गठित जांच आयोग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम-2 अनुसार**, जांच आयोग के गठन का दिनांक **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम-3 अनुसार,** शासन को जांच रिपोर्ट देने का दिनांक **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम-5 के अनुसार** है एवं शासन को जांच रिपोर्ट प्राप्त होने का दिनांक **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम-6 अनुसार है।** (2) जी हाँ, **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम-7** में आयोग की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने का दिनांक अंकित है। (3) जी हाँ, जिन रिपोर्ट को अभी तक विधानसभा पटल पर नहीं रखा गया उसमें कार्यवाही परीक्षणाधीन है, शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (4) जी नहीं, ऐसा कोई प्रकरण विभाग के संज्ञान में नहीं है।

लाड़ली बहना योजना के विज्ञापन
[जनसंपर्क]

9. अता.प्र.सं.74 (क्र. 666) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या लाड़ली बहना के विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों में यह उल्लेखित किया गया है कि बढ़कर मिलेंगे 3000/- यदि हाँ, तो बतावें कि यह उल्लेख किस क्रमांक की घोषणा के आधार पर किया गया उस घोषणा की प्रति देवें तथा विज्ञापन की स्वीकृति संबंधी विवरण देवें। **(ख)** लाड़ली बहना के विज्ञापन पर अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक प्रिंट मीडिया तथा न्यूज/केप्सूल/वीडियो के माध्यम से इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा आधुनिक माध्यमों से आउटडोर पर प्रचार-प्रसार पर किये गये खर्च की जानकारी दें। **(ग)** विज्ञापन क्र. 16062/23, क्र. 16064/23, 11078/23, 16195/23, क्र. 11097/23, क्र 18423/23, क्र. 19072/23 की प्रति उपलब्ध करावें तथा बतावें कि इन विज्ञापनों में लाड़ली बहना की वास्तविक घोषणा क्र. 2393 राशि आगामी वर्षों में रूपये 3000/- मासिक राशि रूपये 1000/- से बढ़कर होगी रूपये 3000/- तक बढेगी राशि का उल्लेख क्यो किया गया। **(घ)** लाड़ली बहना के विज्ञापन पर पूर्व विधायक पारस सकलेचा द्वारा लिखे गये पत्र क्र. 101/23 दिनांक 31.07.2023 पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

मुख्यमंत्री : [(क) से (ग) ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।(घ)*** *इस तरह का कोई पत्र विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।* **]** **(क)** लाड़ली बहना योजना संबंधी स्वीकृति आदेश एवं योजना में राशि प्रतिस्थापित किये जाने संबंधी महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।** घोषणा क्रमांक-सी 2393, दिनांक 10 जून 2023 स्थान जबलपुर राज्य स्तरीय लाड़ली बहना सम्मेलन, **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** प्रिंट मीडिया पर रूपये 23.11 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रूपये 27.88 करोड़, डिजिटल मीडिया पर रूपये 28.24 करोड़, आउटडोर पब्लिकसिटी के विभिन्न माध्यमों के द्वारा प्रचार-प्रसार पर रूपये 41.75 करोड़। **(ग)** विज्ञापन क्र.- 16062/23, क्रं.- 16064/23, 11078/23, 16195/23, क्र.- 11097/23, क्रं.- 18423/23, क्रं.-19072/23 की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।** प्रश्नांश "क" अनुसार।

पुलिस चौकी, पुलिस थाना, जिला जेल एवं सर्किल जेल का निर्माण
[गृह]

10. परि.अता.प्र.सं. 79 (क्र. 721) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक जबलपुर संभाग अंतर्गत कितनी पुलिस चौकी, पुलिस थाना, जिला जेल एवं सर्किल जेल स्वीकृत किये गये हैं? वर्षवार जानकारी देवें। प्रदेश में गृह विभाग के अंतर्गत सिवनी जिले में कितनी पदपूर्ति की गई है एवं कितने पद गृह विभाग में किस-किस केडर के रिक्त हैं? जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के प्रकाश में कितनी पुलिस चौकी, पुलिस थाना, जिला जेल एवं सर्किल जेल निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? जानकारी देंवे। **(ग)** विभाग अंतर्गत केंद्र द्वारा वर्ष 2017-18 में राज्य शासन का गृह विभाग को प्राप्त आवंटन एवं व्यय राशि का वर्षवार विवरण देवें।

मुख्यमंत्री : [(क) से **(ग)** ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** जबलपुर संभाग अंतर्गत स्वीकृत पुलिस चौकी, पुलिस थाना की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है, कोई नवीन जिला जेल, सर्किल जेल स्वीकृत नहीं की गई। सिवनी जिले में आरक्षक के 100 पदों की पूर्ती की गई है एवं सिवनी जिले में निरीक्षक-01, सूबेदार-02, सउनि (समस्त संवर्ग)-34, आरक्षक (समस्त संवर्ग)-84, आंकिक-02, प्रधान आरक्षक(अ)-01, आरक्षक(अ)-01, सउनि(अ) विशेष शाखा-02 पद रिक्त हैं। **(ख)** वर्ष 2018-19 में जिला कटनी के थाना बाकल के भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 28.37 लाख एवं थाना रंगनाथनगर के भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 28.37 लाख तथा वर्ष 2021 में जिला जेल छिंदवाड़ा के नए भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 127.08 करोड़ स्वीकृत की गई है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है।

दिनांक 12 फरवरी, 2024

सी.एम. राइज स्कूलों में स्मार्ट टीवी, फर्नीचर, लेपटॉप एवं अन्य सामग्रियों की खरीदी

[स्कूल शिक्षा]

11. ता.प्र.सं. 19 (क्र. 460) श्री महेश परमार : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. में संचालित सी.एम. राइज स्कूलों में स्मार्ट टीवी, फर्नीचर, लेपटॉप एवं अन्य सामग्रियों की खरीदी कौन-कौन सी कंपनी द्वारा की गई थी? यदि हाँ, तो कंपनी को टेंडर देने एवं निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता युक्त सामग्री खरीदी हेतु कौन-कौन से मापदण्ड, नियम, निर्देश शासन द्वारा तैयार किये गये थे? **(ख)** क्या कंपनी को टेंडर जारी करते समय एवं सामग्री प्राप्त करते समय निर्धारित नियमों एवं शर्तों का सत्यापन किया गया था? यदि हाँ, तो सत्यापन रिपोर्ट, सत्यापन करने वाला दल एवं टेंडर आदेश एवं नियम शर्तों की प्रतियॉ उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या वर्तमान में सी.एम. राइज स्कूलों में स्मार्ट टीवी, फर्नीचर, लेपटॉप एवं अन्य सामग्रियों का प्रदाय हो चुका है? यदि हाँ, तो सामग्रियों के गुणवत्ता पूर्ण होने के साथ कितने वर्षों की गारंटी कंपनी से ली गई है? **(घ)** क्या अनुबंधित सभी कंपनियों को पूर्ण भुगतान किया जा चुका है? यदि हाँ, तो अनुबंध की प्रति देते हुए बतावें कि कितने देयकों का भुगतान हो चुका है? कितने देयकों का भुगतान शेष है और कितनी राशि दे चुके हैं और कितनी राशि देना बाकी है? **(ड.)** सी.एम. राइज स्कूलों में सामान खरीदी एवं सत्यापन के नियम, निर्देश क्या हैं? टेंडर किस-किस एजेंसी द्वारा जारी किये गये हैं? भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता परीक्षण की जांच किसके द्वारा की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **]** **(क)** स्मार्ट टी.वी. फर्नीचर एवं अन्य सामग्री क्रय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर** है। लेपटॉप क्रय की कार्यवाही जिला स्तर से जैम पोर्टल पर बिड के माध्यम से की गई है। क्रय की कार्यवाही भण्डार क्रय नियम, 2015 एवं संशोधित 2022 के अनुसार सम्पादित की गई है। **(ख)** जी हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर** है। **(ग)** जी हाँ, स्मार्ट टी.वी. हेतु 03 वर्ष, इंटरेक्टिव पैनल हेतु 03 वर्ष, ऑनलाइन यू.पी.एस. हेतु 02 वर्ष एवं डेस्कटॉप कम्प्यूटर हेतु 03 वर्ष की वारंटी ली गई है।**(घ)** जी हाँ, प्रदायकर्ता फर्म से सीधे अनुबंध नहीं किया गया है, सामग्रियां भण्डार क्रय नियम के तहत लघु उद्योग निगम व जैम पोर्टल पर बिड के माध्यम से क्रय की गई है। समस्त देयकों का पूर्ण भुगतान नियमानुसार किया गया है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है, भुगतान हेतु कोई भी राशि शेष नहीं है। भुगतान की गई राशि का **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन पर** है। **(ड.)** म.प्र. भण्डार क्रय नियम के प्रावधानों के अनुसार खरीदी एवं सत्यापन की कार्यवाही सम्पादित की गई है। के.जी. कक्षा से कक्षा 2 के फर्नीचर, ऑनलाइन यू.पी.एस. एवं इंटरेक्टिव पैनल वर्ष 2022-23 के टेंडर म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा एवं कक्षा 3 से 5 के फर्नीचर, स्मार्ट टी.वी. एवं इंटरेक्टिव फनल वर्ष 2021-22 जैम पोर्टल पर बिड के माध्यम से क्रय किए गए है। भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता की जांच उपरोक्त शासकीय एजेंसियों द्वारा निर्धारित निरीक्षण एजेंसी के द्वारा कराई गई है।

पृथक वितरित उत्तर

अनुमोदित देयकों का भुगतान

[स्कूल शिक्षा]

12. परि.अता.प्र.सं. 64 (क्र. 982) श्री सतीश मालवीय : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शैक्षणिक वर्ष 2022-23 और 2023-24 में अभी तक जिला उज्जैन अंतर्गत जिला क्रय समिति की बैठक कब कब रखी गयी? जिला क्रय समिति द्वारा उक्त दोनों वर्ष में कितनी सामग्री क्रय की? सम्पूर्ण जानकारी देयकों के साथ और कैशबुक व लेजर की प्रतियों के साथ उपलब्ध करावें। **(ख)** जिला उज्जैन अंतर्गत विकासखंड क्रय समिति द्वारा उपरोक्त समय-सीमा में कुल कितनी क्रय समिति की बैठक आयोजित की? प्रत्येक बैठक के एजेंडे की प्रतियां देवें। विकासखंड समिति द्वारा कुल कितनी सामग्री क्रय की गयी? देयकों और कैशबुक की प्रतियां उपलब्ध करावें। **(ग)** जिला उज्जैन अंतर्गत छात्रावास प्रबंधन क्रय समिति द्वारा उपरोक्त दोनों वर्षों में कितनी राशि की कितनी सामग्री क्रय की? उनके देयकों और कैशबुक प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री : [(क) से **(ग)** ***जानकारी एकत्रित की जा रही है*****/] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) जानकारी निरंक है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है।**

<u>दिनांक 13 फरवरी, 2024</u>

शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना

[नगरीय विकास एवं आवास]

13. परि.अता.प्र.सं. 12 (क्र. 192) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सर्वे नं. 438 ग्राम पाडल्या कलां तह. नागदा की शासकीय भूमि पर नवम्बर 2023 में बिना अनुमति एवं नक्शा पास कराए हुए 07 पक्की दुकानों का नवीन अवैध निर्माण किया गया है? यदि हाँ, तो म.प्र. शासन एवं नगर पालिका परिषद् नागदा द्वारा उक्त अवैध निर्माण को हटाये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई? अवैध निर्माणकर्ताओं का एडीजे कोर्ट नागदा से स्थगन आवेदन निरस्त होने के पश्चात म.प्र. शासन एवं नगर पालिका नागदा द्वारा तत्काल अवैध निर्माण क्यों नहीं हटाया गया एवं अतिकमणकर्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन लाने हेतु सांठ-गांठ कर समय दिया गया? यदि हाँ, तो अवैध निर्माण करवाने एवं हटाने में किन-किन अधिकारियों की लापरवाही रही? लापरवाह अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई? अधिकारियों के नाम एवं पद नाम सहित विवरण दें। **(ख)** क्या म.प्र. शासन द्वारा एडीजे कोर्ट नागदा में उक्त भूमि के संबंध में 200 करोड़ का काउन्टर क्लेम वर्ष 1910-11 की ग्वालियर स्टेट की शासकीय भूमि को लीज पर दिए जाने की सम्पूर्ण फाईल एवं कबुलियतनामा (पट्टा) पेश करने के बावजूद भी उक्त भूमि का न्यायालय से निराकरण कराने में शासन द्वारा तत्परता दिखाते हुए शीघ्र सुनवाई किए जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई? शासन कब तक अपनी भूमि को अपने आधिपत्य में लेगा? **(ग)** नागदा व खाचरौद तहसील के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 01 जनवरी 2023 से 15/01/2024 तक कितने आवेदन सीमांकन, बंटवारा, नामातंरण, त्रुटि सुधार के प्राप्त हुए है? प्राप्त आवेदनों के कितने न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किए गए है तथा उनमें से कितनों के प्रकरण दर्ज करना शेष है? कितने

प्रकरण समय-सीमा में कार्यवाही नहीं करने के कारण निरस्त हुए? **(घ)** नागदा बायपास के रेल्वे ओव्हर ब्रिज के पूर्व की ओर लगी शासकीय भूमि पर सर्विस मार्ग के निर्माण में बाधा बने अतिक्रमण को हटाने हेतु कमिश्नर, कलेक्टर उज्जैन व संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन द्वारा पत्र कं. 1839/उज्जैन/जावरा टु-लेन/2023 उज्जैन दिनांक 06/06/2023, पत्र क. 1260 दि. 28/04/2023 व पत्र कं. 1646 दि. 24/05/2023 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नागदा को अतिक्रमण हटाने के अनुरोध के बावजूद भी अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया है? अतिक्रमण कब तक हटा दिया जाएगा?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** जी नहीं, अपितु प्रश्नांकित भूमि पर 3 दुकानों का निर्माण नगरपालिका से अनुमति प्राप्त किये बिना प्रारम्भ किया गया था। नगर पालिका, नागदा द्वारा दिनांक 11.12.2023 को बिना अनुमति निर्माण को तत्काल बन्द करने एवं किये गये निर्माण को हटाने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया, निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद न होने के कारण नगर पालिका, नागदा द्वारा दिनांक 12.12.2023 को पुन: सूचना पत्र जारी किया गया। वादी निर्माणकर्ता द्वारा न्यायालय – श्री सुनील दण्डोतिया मान. जिला न्यायाधीश के न्यायालय में भी निषेधाज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके प्रकरण क्रमांक आरसीएसए 400023/2017 में दिनांक 14.12.2023 को आदेश करके निर्धारित किया गया, कि म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 187(8) मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ऐसे निर्माण हटाने की शक्ति प्राधिकृत करता है। आवेदन निरस्त होने, परन्तु प्रकरण में मान. अपर जिला न्यायाधीश, नागदा के आदेश दिनांक 27.11.2018 में वादी निर्माणकर्ता के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा होने से अवैध निर्माण कार्य नहीं हटाया गया था। मान. अपर जिला न्यायाधीश, नागदा के आदेश दिनांक 27.11.2018 के विरूद्ध मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में एमए क्र. 4554/2019 प्रस्तुत की गई है। जी नहीं, प्रकरण में नगर पालिका द्वारा कोई लापरवाही की जाना परिलक्षित नहीं हुई है। उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, उत्तरांश (क) अनुसार कार्यवाही की गई है एवं वर्तमान में सभी माननीय न्यायालय में शासन का पक्ष समर्थन किया जा रहा है। इस विभाग के पत्र दिनांक 11.01.2024 द्वारा कलेक्टर जिला उज्जैन को संबंधित मान. न्यायालय के समक्ष शासन की ओर से पक्ष प्रस्तुत करते हुए स्थगन समाप्त करवाने तथा शासकीय भूमि आधिपत्य में लेने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। **(ग)** अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नागदा एवं खाचरौद द्वारा प्रतिवेदित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** सभी प्रकरण दर्ज हैं। उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में गुण-दोष के आधार पर किया जा रहा है। **(घ)** अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नागदा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नांकित पत्रों के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. सड़क विकास निगम की भूमि की सीमाएं निर्धारित की जाकर निगम के अधिकारियों की उपस्थिति में भूमि की सीमाओं से उन्हें अवगत करा दिया गया है। सीमांकन के दौरान प्रश्नांकित भूमि पर कोई स्थाई अतिक्रमण नहीं पाया गया है। मौके पर कटीली झाडियां उगी हुई हैं। वर्तमान में भूमि रिक्त है। म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा

अपनी भूमि पर स्थाई सीमा चिन्ह, बाउण्ड्रीवॉल आदि निर्माण कराने पर पुलिस एवं राजस्व विभाग द्वारा पूर्ण सहयोग किया जाएगा।

टोल रोड में अवैध वसूली की जानकारी

[लोक निर्माण]

14. ता.प्र.सं. 9 (क्र. 1467) श्री पंकज उपाध्याय : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिसम्बर 2023 तक सारी टोल रोड पर प्रारंभ से अभी तक कितनी टोल राशि वसूल चुके हैं तथा उनकी परियोजना लागत कितनी थी तथा ओ.एम.टी रोड पर दिसम्बर 2023 तक कितनी राशि वसूल चुके हैं? **(ख)** क्या इंडियन टोल एक्ट 1851 के अनुसार टोल अवधि 15 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती? प्राकृतिक संसाधन अधिकार नहीं है। टोल का उपयोग किसी को अनावश्यक लाभ पहुंचाने के लिये नहीं किया जा सकता है। **(ग)** क्या प्रदेश की ट्रांसपोर्ट कास्ट 17.5 प्रतिशत है तथा 2025 तक लक्ष्य 7.5 प्रतिशत है? यदि हाँ, तो बताएं कि अनावश्यक टोल वसूली से प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से महंगाई नहीं बढ़ेगी? **(घ)** टोल तथा ओ.एम.टी. रोड पर वर्ष 2020 से 2023 तक हुई सड़क दुर्घटना, मृत्यु तथा घायल की संख्या की जानकारी रोड अनुसार देवें तथा बतावें कि क्या गलत डी.पी.आर. तथा शासन स्तर पर तकनीकी खामी से टोल सड़कों पर ज्यादा दुर्घटना हो रही है? इसे कम करने के लिये किये गये प्रयासों की जानकारी देवें। **(ड.)** बतावें कि रतलाम से इन्दौर, भोपाल से इन्दौर, भोपाल से जबलपुर, भोपाल से रीवा आने और जाने में किस-किस केटेगरी के वाहन को कितना-कितना टोल दिनांक 01 जनवरी, 2024 की स्थिति में देना होगा? टेबल में जानकारी देवें।

लोक निर्माण मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** टोल मार्गों पर दिसम्बर 2023 तक कुल राशि रू. 7570.91 करोड़ तथा ओ.एम.टी. मार्गों पर दिसम्बर 2023 तक राशि रू. 234.03 करोड़ प्राप्त की गई। शेष मार्गवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार। (ख)** जी नहीं। टोल अवधि का निर्धारण फिजीबिलिटी रिर्पोट के आकलन अनुसार 15 वर्ष से अधिक हो सकती है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश की ट्रांसपोर्ट कास्ट निर्धारित नहीं की गई है और न ही कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार।** जी नहीं। दुर्घटना होने का प्रमुख कारण अनियंत्रित गति से वाहन चलाना एवं यातायात नियमों का पालन नहीं करना है। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये प्रमुख मार्गों पर रम्बल स्ट्रीप, संकेतक बोर्ड, रोड मार्किंग पेंट, जेब्रा क्रॉसिंग, केट आई, बार मार्किंग, हाई-मास्क एवं सोलर ब्लिंकर लगाये गये हैं एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गठित जिला स्तरीय कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है। **(ड.)** म.प्र. सड़क विकास निगम अंतर्गत प्रश्नांश में उल्लेखित मार्गों की टोल दरों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–1 अनुसार।**

वन भूमि से संबंधित गठित समितियां

[वन]

15. अता.प्र.सं.23 (क्र. 662) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राज्य शासन ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वन विभाग की अध्यक्षता में वर्ष 2019 एवं वर्ष 2023 में वन भूमि से संबंधित विभिन्न विषयों के संबंध में कौन-कौन सी समिति गठित की तथा समिति के किस-किस सदस्य के हस्ताक्षर से दिनांक 6 फरवरी 2020 को रिपोर्ट शासन के समक्ष प्रस्तुत की गई? वर्ष 2023 में गठित समिति की किस-किस दिनांक को बैठक आयोजित की गई? **(ख)** राज्य में वन विभाग वर्तमान में किस जिले में कितनी-कितनी अतिरिक्त वन भूमि, सुरक्षित वन भूमि, अतिरिक्त वन बनाने के लिए प्रस्तावित भूमि, असमांकित वन भूमि, नारंगी वन भूमि, राजस्व वन भूमि प्रतिवेदन कर रहा है? राजस्व विभाग कितने बड़े झाड़ के जंगल एवं छोटे झाड़ के जंगल मद की भूमि प्रतिवेदित कर रहा है? **(ग)** सामान्य प्रशासन विभाग ने वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवेदित भूमियों से संबंधित किन-किन विवादों के संबंध में वर्ष 2023 दिसंबर में समिति का गठन किया है? इनमें से किन-किन विषयों से संबंधित 6 फरवरी 2020 की बैठक की गई एवं बैठक में क्या-क्या सुझाव एवं सिफारिशें की गई?

वन मंत्री : [***(क)*** *राज्य शासन ने अपर मुख्य सचिव वन की अध्यक्षता में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 29.05.2019 से वन विभाग एवं राजस्व विभाग के मध्य नारंगी क्षेत्र (Orange Area) वन राजस्व भूमि विवादों के निपटारे की प्रक्रिया के संबंध में टास्क फोर्स गठित की है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 27.12.2023 से वन विभाग से संबंधित मुद्दों के निराकरण एवं लम्बित प्रस्तावों की समीक्षा के लिए समिति गठित की है। वर्ष 2019 में गठित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर से दिनांक 06.02.2020 को रिपोर्ट शासन के समक्ष प्रस्तुत की गई है। वर्ष 2023 में गठित समिति की बैठक दिनांक 08.01.2024 व 29.01.2024 को आयोजित की गई है।* ***(ख)*** *वन विभाग किस जिले में कितनी अतिरिक्त वनभूमि, सुरक्षित वनभूमि, अतिरिक्त वन बनाने के लिये प्रस्तावित भूमि की जानकारी संधारित नहीं करता है, अपितु वन विभाग के अधीन संरक्षित, आरक्षित एवं असीमांकित वन की* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार*** *है। शेष जानकारी राजस्व विभाग से संबंधित होने से* ***एकत्रित की जा रही है।*** ***(ग)*** *सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 27.12.2023 से गठित समिति शासन के द्वारा किए जा रहे वनभूमि व्यपवर्तन के लम्बित प्रस्तावों की समीक्षा एवं निराकरण के लिए बनाई गई है। प्रश्नाधीन दोनों समितियां अलग-अलग उद्देश्यों से बनाई गई है जिनका परस्पर कोई संबंध नहीं है।* **] (ख)** प्रश्नांश की शेष जानकारी, जो पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दी गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'दो' पर** है।

दिनांक 14 फरवरी, 2024

दतिया जिला स्थित वन विभाग की भूमि की जानकारी

[वन]

16. परि.अता.प्र.सं. 46 (क्र. 1048) श्री राजेन्द्र भारती : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दतिया गिर्द सहित दतिया जिला में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू होते हैं? यदि हाँ, तो कृपया वन संरक्षण अधिनियम 1927 एवं 1980 का गजट (राजपत्र) प्रकाशित हुआ है। क्या वर्ष 1943-44 में दतिया गिर्द के सभी सर्वे नम्बरों 5 से 1593, 12 से 1264, 3199 से 11, 2736 से 2895, 2869 से 3178, 2180 से 2436, 2438 से 2730, 1679 से 2179, 1434 से 2865, 2219 से 2747, 1802 से 2212, 2213 से 2509, 258 से 705, 1171 से 1373, 1666 से 1855, 1383 से 1657. 2459 से 3150, 2182 से 2443, 1 से 766, 793 से 1239, 1523 से 1758, 1244 से 1521, 1794 से 2265, 2172 से 2477. 3140 से 3212, 2490 से 3138, 48 से 1083, 1127 से 1293, 1509 से 1591, 1301 से 1407, 1779 से 2000, 1594 से 1778, 2313 से 2531, 3130 से 2255, 3126 से 3179, 2284 से 3123, 46 से 1405, 3181 से 3200, 1683 से 2656, 1802 से 2212, 1265 से 1801 में जंगल दर्ज है? यदि हाँ, तो वर्तमान में प्रकाशित एवं लागू गजट की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराये। **(ख)** क्या दतिया जिले की दतिया गिर्द के खसरा क्रमांक 257/8 एवं 257/9 वन भूमि अंतर्गत है। यदि हाँ, तो वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित ब्लॉक हिस्ट्री से संबंधित पृष्ठ की छायाप्रति उपलब्ध कराये तथा अवगत कराये की क्या उक्त सर्वे नम्बरों में और कोई अन्य सर्वे नम्बर भी उक्त वन अधिनियमों में सम्मिलित है यदि हाँ, तो किस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई है तथा उक्ताशय का गजट नोटिफिकेशन की प्रति उपलब्ध कराये। **(ग)** क्या दतिया गिर्द स्थित भूमि सर्वे नम्बर 2467, 2468, 2469 का राजस्व एवं वन अधिकारियों द्वारा दिनांक 19/02/2019 को मौके का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। यदि हाँ, तो पंचनामा एवं जी.पी.एस. रीडिंग की भी गई थी और जी.पी.एस. रीडिंग को गूगल मेप पर डालने और वन विभाग रिकॉर्ड में उपलब्ध न होने के आधार पर ही उक्त सर्वे नम्बरों वन भूमि बाहर पाये गये यदि हाँ, तो कृपया संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट पंचनामा एवं जी.पी.एस रीडिंग तथा वन विभाग के रिकॉर्ड की प्रतियां उपलब्ध कराये। **(घ)** क्या वन परिक्षेत्र अधिकारी के आदेश क्रमांक 1010 दिनांक 14/08/2020 के अनुपालन में दिनांक 14/08/2020 को दतिया गिर्द स्थित भूमि सर्वे नम्बर 2467, 2468, 2469 का निरीक्षण और अवलोकन किया गया था। यदि हाँ, तो उक्त संबंध में बनाये गये उल्लेखित पंचनामा में उक्त भूमि सर्वे नम्बर वन भूमि में नहीं पाये गये है। यदि हाँ, तो पंचनामा की प्रति एवं पंचनामा पर की गई समस्त विभागीय कार्यवाहियों से संबंधित प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराये।

वन मंत्री : [*(क)* *जी हाँ। प्रश्नांश में चाही गई जानकारी विस्तृत स्वरूप की होने के कारण एकत्रित की जा रही है।* ***(ख)*** *जी हाँ। दतिया जिले की दतिया गिर्द के खसरा क्रमांक 257/8 कुल रकबा 4.50 एकड़ में से 1.50 एकड़ एवं 257/9 कुल रकबा 52.00 एकड़ में 7.00 एकड़ इस प्रकार कुल 8.50 एकड़ भूमि वन भूमि है, जो वनखंड भूता के अन्तर्गत आती है। शेष प्रश्नांश की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार*** *है।* ***(ग)*** *जी नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं*

होता। ***(घ)*** *जी हाँ।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार*** *है।* **]** **(क)** प्रश्नांश के प्रथम भाग में जी हाँ। वर्ष 1943-44 में दतिया गिर्द के सर्वे नम्बरों में दर्ज नोईयत के संबंध में कलेक्टर भू-अभिलेख जिला दतिया कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 376/भू-प्रबंधन/2024 दिनांक 19.06.2024 से अवगत कराया गया है कि ग्राम दतिया गिर्द का राजस्व रिकार्ड गायब है, जिसकी थाना कोतवाली दतिया में एफ.आई.आर. क्रमांक 0319 दिनांक 03.10.2018 दर्ज कराई गई है। अतः शेष जानकारी उपलब्ध कराने में कठिनाई है।

साउण्ड एवं लेजर शो के नाम पर नियमों का उल्लंघन

[पर्यावरण]

17. अता.प्र.सं.148 (क्र. 1904) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 क्या है? विभाग द्वारा कब से इसका पालन करते हुये उपभोक्ताओं को क्या-क्या अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही विभाग द्वारा ऑफलाइन/ऑनलाइन संपादित की जा रही है? नियम, निर्देश, आदेश की प्रति सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक बतायें? **(ख)** उपरोक्त नियम का पालन नहीं होने पर विभाग द्वारा कब और क्या कार्यवाही की गई? उपरोक्त अवधि में वर्षवार पृथक-पृथक गौश्वारा बनाकर बतायें? **(ग)** उपरोक्त संबंध में विभाग के पास आधुनिक उपकरण एवं वाहनों से सुसज्जित 15 क्षेत्रीय कार्यालय, 01 केन्द्रीय प्रयोगशाला एवं 10 क्षेत्रीय प्रयोगशाला एवं मैन पॉवर के रूप में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एक लंबी लॉबी है? यदि हाँ, तो माण्डव, जिला धार में साउण्ड एवं लाईट शो, पुरातत्व विभाग की जगह पर मुक्ताकाश मंच पर रात्रि में संचालित किया जा रहा है उस क्षेत्र को साइलेन्ट जोन/आवासीय जोन में से क्या माना गया है? उस क्षेत्र में साउण्ड रात्रि में किस डी.बी. पर चलाया जा सकता है तथा वहां किस डी.बी. में चलाया जा रहा है? क्या नियमों के उल्लंघन होने पर कार्यवाही कर शो बंद किया जाकर माननीय मुंख्यमंत्री के आदेश के विपरीत कार्य होने पर किस-किस विभाग के किस-किस अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? **(घ)** वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर से कितनी डी.बी. ध्वनि निकलती है? जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी की सभाएं हो रही हैं, उस स्थान पर किन से अनुमति लेकर कितने डी.बी. ध्वनि में कार्यक्रम संचालित हुआ है? डी.जे. प्रतिबंध होने के बाद से विभाग ने डी.जे. व्यवसाय को अनुमति देने के लिये कब और क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यावरण मंत्री : [***(क)*** *ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 की* ***प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' पर है****। नियमों के अनुक्रम में अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाती है। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा जारी आदेश क्र. एफ 44-02/2015/दो/सी-1 दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 की* ***प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' पर है।*** ***(ख)*** *उपरोक्त नियम के पालन न होने पर पर्यावरण विभाग द्वारा पृथक से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।* ***(ग)*** *जी हाँ, पर्यावरण विभाग अंतर्गत म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास संसाधन उपलब्ध है। जी हाँ, माण्डव, जिला धार में साउण्ड एवं लाइट शो, पुरातत्व विभाग की जगह पर मुक्ताकाश मंच पर संचालित किया जा रहा है। जी नहीं, इस क्षेत्र का जिला प्रशासन द्वारा साइलेन्ट जोन/आवासीय जोन में प्रवर्गीकरण नहीं किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* ***(घ)*** *माननीय मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर से निकलने वाली ध्वनि के डी.बी.*

*की **जानकारी एकत्रित की जा रही है।** माननीय मुख्यमंत्री जी की सभाएं जिला प्रशासन द्वारा आयोजित की जाती हैं। जी नहीं, डी.जे. पर कोई प्रतिबंध नहीं है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' पर** गृह विभाग के आदेश अनुसार सक्षम स्तर से अनुमति उपरान्त मध्यम आकार के दो डी.जे. का प्रयोग किया जा सकता है।*] **(घ)** विमानन विभाग से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ-1' पर** है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सभाएं जिला प्रशासन द्वारा आयोजित की जाती है। जी नहीं, डी.जे. पर कोई प्रतिबंध नहीं है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' पर रखे गये** गृह विभाग के आदेश अनुसार सक्षम स्तर से अनुमति उपरांत मध्यम आकार के दो डी.जे. का प्रयोग किया जा सकता है।

दिनांक 15 फरवरी, 2024

नियम विरूद्ध सचिव का प्रभार दिया जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

18. अता.प्र.सं.6 (क्र. 340) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिले के ग्राम पंचायतों में कितने रोजगार सहायकों एवं कितने सचिवों को सचिवीय अधिकार देकर सचिव घोषित किया गया हैं कि जानकारी जनपदवार देवें। क्या रोजगार सहायक को सचिव अधिसूचित किया जा सकता है या स्थानांतरण/अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। हाँ या नहीं शासन के निर्देश के साथ बतावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार सचिवों के ग्राम पंचायतों में पदस्थापना एवं स्थानांतरण बाबत् क्या निर्देश है? कितने ऐसे सचिव है जो 03 वर्ष की अवधि से ज्यादा एक ही पंचायत में कार्यरत है, कितने ऐसे सचिव है जिनको पिछले 05 सालों में जनपद पंचायतों में संलग्न कर सचिवीय अधिकार से वंचित किया गया तो क्यों? **(ग)** प्रश्नांश (क) के तारतम्य में कितनी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें रोजगार सहायकों को सचिवीय अधिकार देकर सचिवीय कार्य लिये जा रहे है तो क्यों जबकि सचिवों को जनपद पंचायतों से संलग्न कर कार्य से वंचित किया गया है क्यों, कितने ऐसे रोजगार सहायक है जिनसे सचिवीय कार्य लिये जा रहे है तो कब से बतावें और क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार ग्राम पंचायतों में पदस्थ सचिवों के द्वारा खाते का संचालन नहीं कराया गया है, ग्राम पंचायतों के कार्य प्रभावित है, की जानकारी जनपद द्वारा देते हुये बतावें। दोषी कर्मचारी एवं जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री : [***(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार*** *है।* ***(ख)*** *सचिवों की ग्राम पंचायतों में पदस्थापना एवं स्थानांतरण बाबत् नियम मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2011 का नियम* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार*** *है। 73 सचिव विगत 03 वर्षों से अधिक कार्यकाल से ग्राम पंचायतों में पदस्थ हैं। जिले में कोई भी सचिव विगत 05 वर्षों से जनपद पंचायतों में संलग्न नहीं है।* ***(ग)*** *एवं* ***(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **]** **(ग)** जानकारी उत्तरांश "क" अनुसार है। जनपद पंचायतों में वित्तीय अनियमितता धारा 40 एवं 92 की लंबित वसूली एवं सचिवीय कार्य दायित्वों में लापरवाही, उदासीनता एवं गंभीर शिकायत,

सरपंच/सचिव का विवाद आदि के कारण जनपद पंचायत में संलग्न किया गया है। **(घ)** जिले के ग्राम पंचायत पिपरा जनपद पंचायत सिरमौर में सरपंच एवं सचिव के आपसी विवाद के कारण खाते का संचालन नहीं है। संबंधित सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर सुनवाई उपरांत खाता संचालन हेतु सरपंच/सचिव को निर्देश दिये गये हैं।

खेल स्टेडियम का निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

19. अता.प्र.सं.67 (क्र. 1671) श्री उमाकांत शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक म.प्र. के किन-किन नगरों में खेल प्रशिक्षण केन्द्र, खेल परिसर, खेल स्टेडियम स्वीकृत किये गये हैं? भोपाल संभाग में कहाँ-कहाँ, कब-कब, कौन-कौन सी खेल प्रतियोगिताए कराई गई हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु कौन-कौन सी एजेन्सियां नियुक्त की गई हैं? कार्यादेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं कितने खेल स्टेडियमों के प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत भी कार्य एजेंसी तय नहीं की गई हैं? विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि कार्य एजेन्सी को जारी की गई है? कितनी राशि कार्य एजेन्सी को भुगतान करना शेष है? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषद मुख्यालयों पर किन-किन नगरों में खेल स्टेडियम, खेल प्रशिक्षण केन्द्र उपलब्ध नहीं हैं एवं इन नगरों में खेल स्टेडियम कब तक स्वीकृत किये जावेंगें? **(घ)** सिरोंज नगर में खेल परिसर के निर्माण हेतु विभाग के आदेश क्र.एफ-2-7/2013/नौ को संचालन हेतु संपन्न स्थाई वित्तीय समिति की बैठक दिनांक 04 फरवरी, 2013 की अनुशंसा के आधार पर सिरोंज जिला विदिशा में खेल परिसर के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई थी? खेल स्टेडियम सिरोंज के लिए प्राक्कलित राशि 166.31 लाख रूपये लोक निर्माण विभाग के पी.आई.यू. को कब-कब राशि उपलब्ध कराई गई है? यदि राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है तो कब तक राशि उपलब्ध करा दी गई जावेगी? समय-सीमा बतावें। **(ड.)** प्रश्नकर्ता के मान. मंत्री जी, श्रीमान प्रमुख सचिव, श्रीमान संचालक को कौन-कौन पत्र प्राप्त हुए है एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाहियाँ की गई हैं? पत्र पावती एवं कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को कब-कब अवगत कराया गया? कृत कार्यवाही की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतावें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [*(क)* *खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2019 से वर्तमान तक प्रदेश में स्वीकृत खेल प्रशिक्षण केन्द्र, खेल परिसर, खेल स्टेडियम की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार*** *है। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा भोपाल संभाग में आयोजित की गई प्रतियोगिताओं की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।*** ***(ख)*** *प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यों हेतु नियुक्त एजेंसी, कार्यादेश की छायाप्रति, स्वीकृत व एजेंसी को भुगतान की गई राशि की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 में समाहित*** *है।* ***(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।(घ)*** *दिनांक 4 फरवरी, 2013 को सम्पन्न स्थाई वित्तीय समिति की बैठक में दिये गये अनुमोदन अनुसार म.प्र. शासन खेल और युवा कल्याण विभाग के आदेश क्र. एफ 2-7/ 2013/नौ दिनांक 05/03/2013 द्वारा सिरोंज स्टेडियम हेतु राशि रू. 166.31 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति*

जारी की गई, इस स्वीकृति के विरूद्ध सिरोंज स्टेडियम निर्माण हेतु कोई राशि जारी नहीं की गई है। स्टेडियम का निर्माण जिस स्थान पर किया जाना प्रस्तावित था, वह उपयुक्त नहीं होने की जानकारी संचालनालय को प्राप्त होने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया, इस अवसर पर प्रश्नकर्ता मान. सदस्य भी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में निर्माणाधीन स्टेडियम के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण किया जावे तथा अतिरिक्त निर्माण की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। निर्मित स्टेडियम का विधिवत् उपयोग आरंभ हो जावेगा, तब अतिरिक्त निर्माण पर विचार किया जावेगा। उक्त में प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 05.03.2013 को जारी की गई थी, इस स्वीकृति को जारी किये लगभग 9 वर्ष व्यतीत हो गये हैं, इतनी अवधि पश्चात् निर्माण लागत में वृद्धि होना स्वाभाविक है, इसे दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त स्वीकृति अनुसार वर्तमान में कार्य आरंभ किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। उपरोक्त के आधार पर सिरोंज में स्टेडियम निर्माण हेतु संचालनालयीन आदेश क्र. 3901 दिनांक 08.10.2010 द्वारा राशि रू. 64.83 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी, इस स्वीकृत राशि के विरूद्ध आदेश क्र. 3901 दिनांक 08.10.2021 द्वारा राशि रू. 6.50 लाख, पत्र क्र. 419 दिनांक 15.04.2013 द्वारा रू. 50.00 लाख, पत्र क्र. 7939, दिनांक 18.11.2019 द्वारा रू. 8.33 लाख, इस प्रकार कुल राशि रू. 68.33 लाख जारी की गई, इसके अलावा पत्र क्र. 11644, दिनांक 29.02.2020 द्वारा खेल प्रशिक्षण केन्द्र की पुताई, पेटिंग कार्य हेतु राशि रू. 3.18 लाख एवं विद्युत कार्य हेतु राशि रूपये 1.20 लाख, इस प्रकार कुल राशि रू. 4.38 लाख का अतिरिक्त आवंटन भी दिया गया। स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ***(ड.)*** *प्रश्नकर्ता के मान. मंत्रीजी, प्रमुख सचिव, खेल एवं युवा कल्याण, संचालक खेल एवं युवा कल्याण को प्राप्त पत्र व उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी व उसकी* ***छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है****। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।*] **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।** खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला/संभाग/विकासखंड मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण की योजना है। नगरपालिका एवं नगर परिषद् में स्टेडियम निर्माण की कोई योजना नहीं है। अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बड़वानी विधानसभा अंतर्गत पलायन की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

20. अता.प्र.सं.77 (क्र. 1720) श्री राजन मण्डलोई : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़वानी एवं पाटी ब्लॉक में रोजगार हेतु पलायन हुआ है या नहीं? **(ख)** यदि हाँ, तो बड़वानी एवं पाटी ब्लॉक जिला बड़वानी से वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में हुए पलायित (प्रवासी) मजदूरों की ग्रामवार संख्या देवें। **(ग)** उक्त पलायित मजदूर किस राज्य/जिले में कार्यरत हैं एवं किन संस्थाओं में कार्य कर रहे है? उक्त संस्थाओं की जानकारी देवें। **(घ)** पलायित मजदूरों को वापस स्थानीय कार्य पर लाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे है? उनके लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार की क्या व्यवस्था की गई है?

पंचायत मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **] (क)** जनपद पंचायत पाटी में महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9777 कार्य प्रारंभ कराये गये एवं 2947

कार्य पूर्ण कराये गये। मनरेगा योजनांतर्गत जॉबकार्डधारी श्रमिकों को मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जनपद पंचायत में 10.22 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं। प्रति दिवस 3407 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7776 कार्य प्रारंभ कराये गये एवं 4753 कार्य पूर्ण कराये गये। मनरेगा योजनांतर्गत जॉबकार्डधारी श्रमिकों को मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जनपद पंचायत में 11.11 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं। प्रति दिवस 3700 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1348 अपूर्ण आवासों में से 516 पूर्ण कराये गये तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3867 अपूर्ण आवासों में से 2935 पूर्ण कराये गये जिसमें 90 दिवस रोजगार के मान से क्रमशः 0.46 लाख एवं 2.64 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार जनपद पंचायत बड़वानी में महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022 23 में 5342 कार्य प्रारंभ कराये गये एवं 2196 कार्य पूर्ण कराये गये। मनरेगा योजनांतर्गत जॉबकार्डधारी श्रमिकों को मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जनपद पंचायत में 3.65 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया। प्रति दिवस 1216 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3463 कार्य प्रारंभ कराये गये एवं 1807 कार्य पूर्ण कराये गये। मनरेगा योजनांतर्गत जॉबकार्डधारी श्रमिकों को मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जनपद पंचायत में 2.14 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1063 अपूर्ण आवासों में से 362 पूर्ण कराये गये तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2143 अपूर्ण आवासों में से 1426 पूर्ण कराये गये जिसमें 90 दिवस रोजगार के मान से क्रमशः 0.32 लाख एवं 1.28 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं। **(ख)** एवं **(ग)** निरंक। **(घ)** ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के प्रावधान अनुसार रोजगार की मांग करने पर स्थानीय स्तर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में मनरेगा अंतर्गत जनपद पंचायत पाटी एवं जनपद पंचायत बड़वानी में क्रमश: 2398 एवं 1258 रोजगार मूलक कार्य खुले हुए हैं।

सी.ई.ओ. द्वारा पंचायत सचिवों का स्थानांतरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

21. परि.अता.प्र.सं. 70 (क्र. 1862) श्री राजेन्द्र भारती : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला पंचायत दतिया द्वारा स्थानांतरण अवधि के पश्चात लगातार ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण/पंचायत सचिवों की पदस्थापना में फेरबदल किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कितने सचिवों के स्थानांतरण/स्थान में परिवर्तन दिसम्बर 2021 से प्रश्न दिनांक तक किये गये? आदेशों की प्रति नोटशीट सहित उपलब्ध करावें तथा कितने सचिवों का निलम्बन एवं बहाल किया गया है? सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** सी.ई.ओ. जिला पंचायत दतिया द्वारा कितने पंचायत सचिवों को जनपदों में संलग्न किया है? क्या शासन द्वारा संलग्न करने का नियम हैं एवं कितने पंचायत सचिवों पर धारा 92 की कार्यवाही की गई है एवं कितने सचिवों एवं सरपंचों से राशि जमा कराई गई है? अक्टूबर 2021 से जानकारी देने की दिनांक तक ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव के नाम सहित

उपलब्ध करायें। क्या ग्राम पंचायत के सचिव के स्थानांतरण एवं पंचायत में फेरबदल के निर्देश शासन द्वारा जारी किये गये हैं? यदि नहीं तो स्थानारण अवधि के पश्चात नियम विरूद्ध जिला दतिया में कितने स्थानांतरण किये गये? स्थान परिवर्तन करने वाले अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगी और कब तक? अवगत करावें। **(ग)** सी.ई.ओ. जिला पंचायत दतिया द्वारा पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत राशि जमा होने पर कितने सरपंच/सचिवों पर थानों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है? **(घ)** सी.ई.ओ. जिला पंचायत दतिया द्वारा कितने रोजगार सहायकों को वित्तीय प्रभार दिये हैं? क्या रोजगार सहायकों को वित्तीय प्रभार देने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो आदेश की कॉपी उपलब्ध करायें तथा कितने रोजगार सहायकों के स्थानांतरण किये हैं? क्या रोजगार सहायकों के स्थानांतरण के शासन द्वारा पूर्व में नियम बनाये गये हैं?

पंचायत मंत्री : [(*क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है*।] (क) जी हाँ, जिला पंचायत दतिया द्वारा स्थानांतरण अवधि के पश्चात स्थानीय निर्वाचन 2022, विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं शिकायतों के आधार पर 310 ग्राम पंचायत सचिवों का स्थानांतरण/स्थान परिवर्तन किया गया है। साथ ही उक्त अवधि में 30 ग्राम पंचायत सचिवों के निलंबन/बहाली की कार्यवाही की गई है। कुल 282 ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण आदेश की छायाप्रति एवं 147 नोटशीट पर प्रदर्शित स्थानांतरण ग्राम पंचायत सचिवों के नाम की सूची की जानकारी तथा 21 निलंबन/बहाली के आदेशों की **छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है।** शेष के आदेशों की छायाप्रति प्राप्त की जा रही है। **(ख)** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया द्वारा 39 ग्राम पंचायत सचिवों का संलग्नीकरण किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है।** संलग्नीकरण करने का शासन स्तर से नियम/निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया को स्पष्टीकरण जारी कर जवाब प्राप्त किया जा रहा है। पंचायत सचिवों का धारा 92 की कार्यवाही निरंक है। पंचायत सचिव के स्थानांतरण नीति वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 की **छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। (ग)** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया द्वारा धारा 92 के अन्तर्गत राशि जमा न होने पर 01 (एक) सरपंच के विरूद्ध थानों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''द'' अनुसार है। (घ)** मुख्य कार्यपालन अधिकारी दतिया द्वारा 51 ग्राम रोजगार सहायकों को वित्तीय प्रभार दिया गया, **जानकारी एवं प्रावधान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ई'' अनुसार है।**

अम्बाह एवं गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में पंचायतों के निर्माण कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

22. अता.प्र.सं.118 (क्र. 1921) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मुरैना जिले की अम्बाह विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय माननीय विधायकों द्वारा माह अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक की अवधि में ग्राम पंचायतों के अंतर्गत निर्माण कार्यों में अनियमितताएं किये जाने के संबंध में जिला प्रशासन एवं जिला पंचायतों को शिकायती पत्र लिखे गये हैं? यदि हाँ, तो प्राप्त शिकायतों का विवरण दें। **(ख)** उन प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? शिकायतवार विवरण दें। जिन प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? सूची दें।

पंचायत मंत्री : [***(क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **]** **(क)** जी नहीं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख)** उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

पेसा एक्ट अधिनियम अंतर्गत जनजातीय वर्ग के सदस्यों को अधिकार प्राप्त न होना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

23. अता.प्र.सं.120 (क्र. 1928) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पेसा एक्ट तहत अनुसूचित जनजातीय के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं? अधिकार दिये गये हैं? पेसा एक्ट की प्रति एवं प्रदत्त अधिकारों का विवरण देवें। **(ख)** प्रदेश में लागू पेसा एक्ट के तहत अभी तक किस-किस जिले में कितने अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को क्या-क्या लाभ दिया गया है? जिलेवार लाभार्थियों की जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** पेसा एक्ट के प्रचार-प्रसार हेतु एक्ट के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये है? इस कार्य पर अभी तक कितनी राशि का व्यय किया गया है? जिलेवार विवरण देवें। **(घ)** क्या प्रदेश में पेसा एक्ट का क्रियान्वयन पूरी तरह से लागू कर दिया गया है? यदि हाँ, तो विवरण देवें। यदि नहीं तो क्यों? इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

पंचायत मंत्री : [***(क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संकलित की जा रही है। (घ)*** *जी हाँ उत्तरांश (क) अनुसार शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।* **] (ख)** जी हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार** है।

दिनांक 16 फरवरी, 2024

पेयजल हेतु टैंकरों की व्यवस्था

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

24. अता.प्र.सं.4 (क्र. 594) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पेयजल की सुविधा हेतु विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा में वर्ष 2016-17 से वर्तमान तक विधायक निधि एवं अन्य निधियों से स्थानीय संस्थाओं को कितने-कितने पेयजल टेंकर उपलब्ध कराये गये? वर्षवार जानकारी बताई जावे? **(ख)** उपलब्ध कराये गये पेयजल टैंकर की वर्तमान में क्या स्थिति है? कितने टैंकर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पूर्ण रूप से ठीक हैं एवं कितने टैंकर पेयजल उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं हैं अथवा पूर्ण रूप से खराब हो चुके? **(ग)** क्या पेयजल टैंकरों के रखरखाव/मरम्मत हेतु बजट प्रावधान किया जाता है यदि हाँ, तो प्रतिवर्ष कितना? पेयजल टैंकरों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु स्थानीय संस्थाओं द्वारा वर्षवार कितना व्यय किया गया?

उप मुख्यमंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी : [(क) से (ग) ***जानकारी संकलित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम-3 में उल्लेखित** है। **(ग)** जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधान

[सामान्य प्रशासन]

25. अता.प्र.सं.8 (क्र. 713) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासकीय सेवा में रहते हुये शासकीय सेवक की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को परिवार के पालन हेतु अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान है, हाँ तो? **(ख)** क्या जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ म.प्र. को प्रश्नांश (क) में वर्णित नियमों के पालन करने में शासन से छूट दे दी गई है यदि नहीं, तो? **(ग)** टीकमगढ़ जिला शिक्षा अधिकरी कार्यालय में वर्तमान में कितने आवेदन अनुकम्पा नियुक्ति के लम्बित है और विगत 5 वर्ष में कितने आवेदन निरस्त किये गये हैं? **(घ)** कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा पत्र क/स्था./04/अनु.नियु./2023 आवेदक को दिया गया जो प्रश्नांश (क) में वर्णित अनुकम्पा नियुक्ति नियम का उल्लंघन नहीं है। यदि नहीं, तो क्या? कब तक आवेदक को अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी?

मुख्यमंत्री : [***(क) जी हाँ/ (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (ख)** जी नहीं। **(ग)** जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, टीकमगढ़ के अंतर्गत 13 अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण विभिन्न कारणों से लंबित हैं तथा विगत 5 वर्ष में अनुकंपा नियुक्ति के 22 प्रकरणों में आवेदकों को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होने के कारण प्रकरण नियमानुसार निरस्त किये गये हैं। **(घ)** जी नहीं। आवेदक को नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होने से उक्त प्रकरण निरस्त किया गया है।

अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण

[सामान्य प्रशासन]

26. परि.अता.प्र.सं. 62 (क्र. 1978) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न दिनांक तक जबलपुर संभाग के विभिन्न विभागों के अनुकम्पा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित हैं? कुल प्रकरणों की संख्या एवं विभागवार प्रकरणों की संख्या अलग-अलग बतायें। अनुकम्पा नियुक्ति की कुल कितनी शिकायत किस-किस विभाग की लंबित है? कितनों का निराकरण हो गया है? जिलेवार जानकारी दें। **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों को लेकर दिनांक 1 जनवरी 17 के पश्चात कब-कब विभिन्न विभागों को क्या-क्या निर्देश/परिपत्र जारी किये गए? छायाप्रतियां उपलब्ध कराएं। **(ग)** मण्डला जिले में विभिन्न विभागों में वर्तमान में कितने प्रकरण किन-किन कारणों से लंबित हैं? कारण सहित जानकारी देवें। **(घ)** अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का कितने समय में निराकरण का नियम है? अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों को हल करने में तेजी लाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

मुख्यमंत्री : [***(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)*** *निर्देशों की* ***प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।(घ)*** *अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश दिनांक*

29.09.2014 की कंडिका 13.6 में निराकरण की समय-सीमा निर्धारित है। प्रकरणों को हल करने के लिये समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार।**

नियम विरूद्ध कार्य की जानकारी

[वाणिज्यिक कर]

27. अता.प्र.सं.68 (क्र. 2051) श्री पंकज उपाध्याय : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वाणिज्यिक कर विभाग के सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8 (7) के अनुसार चार अस्थायी पद सिस्टम एनालिस्ट, सहायक प्रोग्रामर, कराधान सहायक एवं आई.टी. ऑपरेटर को परिवीक्षा अवधि के लिए दी गई नियम विरूद्ध वेतन वृद्धियों से कितने राजस्व की हानि हुई? **(ख)** 35 कराधान सहायकों को डीपीसी 2015 अस्थायी पदों के नियम विरूद्ध को मात्र 3 वर्ष में ही पदोन्नतियां प्रदान की गई तथा जिन नियमों से यह पदोन्नतियां प्रदान की गई वह वित्त विभाग और कैबिनेट से पारित न होने के कारण अस्तित्व में ही नहीं थे? इस गलत गणना एवं नियम से कितने राजस्व की हानि हुई है? **(ग)** नवीन पद कराधान सहायकों के वेतन विसंगति नहीं होने के बावजूद भी वेतनमान पुनरीक्षण के लाभ दिए जाने से कितने राजस्व की हानि हुई? **(घ)** अस्थायी पदों की परिवीक्षा अवधि की गणना उनके सेवा अवधि में नहीं होने के कारण इन्हें मात्र 8 वर्ष में दिये गये समयमान वेतनमान के लाभ से कितने राजस्व की हानि हुई है? **(ड.)** वित्त विभाग के पत्र अनुसार अस्थायी पदों के निरंतरता के लिए कार्यवाहियां नहीं किए जाने से विभाग में इन पदों का अस्तित्व ही नहीं रहा। इस त्रुटि से कितने राजस्व की हानि हुई है?

उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर : [***(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** आई.टी. ऑपरेटर्स, कराधान सहायक, सिस्टम एनालिस्ट एवं सहायक प्रोग्रामर्स के स्थाई पद क्रमश: वर्ष 2005, 2008 एवं 2011 में सृजित हुए हैं। यह सभी पद स्थायी पद हैं, अत: परिवीक्षा अवधि समाप्ति के पश्चात उन्हें नियमानुसार वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।**(ख)** कराधान सहायक पद से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) भर्ती नियम, 2007 में वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-(बी)-11-2008-1-पांच दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ-6ए-42-1995-1-पांच-पार्ट (29) भोपाल, दिनांक 06 अप्रैल, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कराधान (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 में आवश्यक संशोधन पश्चात पदोन्नतियां दी गई हैं। दिनांक 01.01.2015 की स्थिति में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में निर्णय के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा कुल 35 कराधान सहायकों को 05 कैलेण्डर वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था। इन पदोन्नत कराधान सहायकों में से श्रीमती ललिता जीना के संबंध में रिट याचिका क्रमांक 3681/2010 में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर द्वारा दिनांक 16.12.2010 को दिये गये निर्णय के अनुपालन में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 63 इंदौर, दिनांक 22.01.2011 द्वारा कराधान सहायकों की पदक्रम सूची में श्रीमती जीना की वरिष्ठता श्री

पन्नालाल तोनगर के नाम के नीचे तथा श्री प्रभाकर मोरे के नाम के ऊपर निर्धारित की गई। इस प्रकार श्रीमती जीना की वरिष्ठता एवं काल्पनिक वेतन निर्धारण की वही तिथि मान्य की गई, जो पूर्व में सीमित विभागीय प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की रही है। इन तथ्यों के दृष्टिगत श्रीमती ललिता जीना की भी अर्हकारी सेवा 05 कैलेण्डर वर्ष की मानते हुये उन्हें भी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। **(ग)** मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग (राज्य वेतन आयोग प्रकोष्ठ) वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के आदेश से विभिन्न पदों के वेतनमानों को पुनरीक्षित किया गया है, जिसमें कराधान सहायक एवं वाणिज्यिक कर निरीक्षकों का वेतनमान रूपये 5200-20200+2800 से वेतनमान रूपये 9300-34800+3600 पर पुनरीक्षित हुआ है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार संबंधित पदों के स्थाई पद होने के कारण नियमानुसार 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। **(ड.)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं का क्रियान्वयन

[सामान्य प्रशासन]

28. अता.प्र.सं.73 (क्र. 2070) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 13 दिसम्बर, 2023 से 22 जनवरी, 2024 तक की अवधि में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहाँ-कहाँ पर कब-कब, कौन-कौन सी घोषणाएं की गई है? **(ख)** उक्त घोषणाओं में कौन-कौन सी घोषणाएं मुख्यमंत्री कार्यालय में पंजीबद्ध की जाकर किन-किन विभागों को क्रियान्वयन हेतु भेजी गई है? कृपया घोषणाओं के क्रमांकवार सूची दें। **(ग)** उक्त घोषणाओं में से कौन-कौन सी घोषणाओं की पूर्ति कर दी गई?

मुख्यमंत्री : [***(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।*** *(ख) जानकारी प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित परिशिष्ट में दी गई है।* ***(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(ग)** घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

लोकायुक्त एवं ई.ओ.डब्लू. में दर्ज प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

29. ता.प्र.सं. 6 (क्र. 2133) श्री रामनिवास रावत : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2018 से प्रश्नांकित तिथि तक किन-किन आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस. अधिकारियों तथा प्रदेश मंत्रिमंडल के किस-किस सदस्य के विरुद्ध लोकायुक्त एवं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? उक्त शिकायतों पर से किन-किन के विरुद्ध किन-किन मामलों में कब से प्रकरण पंजीबद्ध हैं? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार दर्ज प्रकरणों की जाँच किस-किस के द्वारा की जा रही है? कितने प्रकरणों में जाँच हो चुकी है? जाँच पूर्ण होने के बाद किस-किस को दोषी पाया गया है? दोषियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है? कितने प्रकरण जाँच हेतु लंबित है? कितने प्रकरण नस्तीबद्ध किये गए हैं? **(ग)** प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में उक्त अधिकारी वर्तमान में कहाँ-कहाँ, किस-किस पद पर पदस्थ है? **(घ)** प्रश्नांश 'क' के

प्रकरणों में से किस-किस के विरुद्ध लोकायुक्त व ई.ओ.डब्लू. में चालान प्रस्तुत करने हेतु शासन को पत्र भेजे हैं व कितनों के विरूद्ध अनुमति प्रदान की है? कितनों को नहीं? अनुमति न देने के क्या क्या कारण रहे व कब तब अनुमति प्रदान कर दी जावेगी?

मुख्यमंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) लोकायुक्त संगठन :-

क्र.	विभागीय सेवा का नाम	शिकायतों की संख्या	अपराधिक प्रकरणों की संख्या
(1.)	(2.)	(3.)	(4.)
1.	भारतीय प्रशासनिक सेवा	61	08
2.	भारतीय पुलिस सेवा	10	03
3.	भारतीय वन सेवा	19	03
4.	मंत्रिमंडल सदस्य	05	-
	कुल	**95**	**14**

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ :-

क्र.	विभागीय सेवा का नाम	शिकायतों की संख्या	अपराधिक प्रकरणों की संख्या
(1.)	(2.)	(3.)	(4.)
1.	भारतीय प्रशासनिक सेवा	25	01
2.	भारतीय पुलिस सेवा	01	-
3.	भारतीय वन सेवा	10	01
	कुल	**36**	**02**

(ख) लोकायुक्त संगठन में दर्ज शिकायतों की जांच महानिदेशक, (विशेष पुलिस स्थापना) द्वारा तथा दर्ज प्रकरणों की विवेचना संभागीय इकाई (विशेष पुलिस स्थापना) द्वारा की जाती है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में जांचकर्ता अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक एवं निरीक्षक द्वारा की जाती है। शिकायतों के निराकरण की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	एजेन्सी का नाम	लंबित शिकायतें	नस्तीबद्ध शिकायतें	कुल
1.	लोकायुक्त संगठन	47	48	95
2.	आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ	27	09	36

(ग) संबंधित अधिकारियों की पदस्थापना केन्द्र एवं राज्य शासन के अधीन है। **(घ)** प्रश्नांश (क) के प्रकरणों में केवल 01 प्रकरण वन विभाग का अपराध क्रमांक 28/2018 विरूद्ध श्री रामदास महला, मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त खंडवा के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति अमान्य की गई है, क्योंकि इस प्रकरण में संबंधित के विरूद्ध कोई सबूत प्राप्त नहीं हुये है। शेष प्रकरणों में शिकायत सत्यापनाधीन होने से वर्तमान में अभियोजन स्वीकृति हेतु कोई प्रकरण शासन स्तर पर लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 19 फरवरी, 2024

उच्च शिक्षकों की भर्ती

[स्कूल शिक्षा]

30. अता.प्र.सं.2 (क्र. 108) श्री लखन घनघोरिया : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर संभाग में संकाय एवं विषयवार स्वीकृत पद संरचना के तहत वर्ग 1 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के कितने-कितने पद भरे/रिक्त हैं? शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से कितने पद रिक्त हुये हैं। इसमें पदोन्नति सीधी भर्ती एवं बैकलॉग के कितने-कितने पद रिक्त है तथा कितने-कितने पदों की भर्ती की गई है? बतलायें। वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक की जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में वर्ग 1 के स्वीकृत कितने रिक्त पदों की भर्ती हेतु वर्ष 2023 में कब चयन परीक्षा आयोजित की गई। इसमें सीधी भर्ती एवं बैकलॉग के कितने-कितने रिक्त पदों हेतु कितने-कितने अभ्यर्थी सफल हुये। कितने सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई एवं कितने सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की गई एवं क्यों? बतलायें। **(ग)** क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश (क) में आयोजित चयन परीक्षा 2023 में सभी 16 विषयों के सीधी भर्ती के पदों की संख्या कम होने के कारण बहुत से सफल अभ्यर्थी नियुक्ति पाने से वंचित है। यदि हाँ, तो क्या शासन सभी 16 विषयों के रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि कर नियुक्ति पाने से वंचित सभी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कराना सुनिश्चित करेगा? बतलायें।

स्कूल शिक्षा मंत्री : [*(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) वर्ष 2023 में 02 अगस्त से 06 अगस्त 2023 तक चयन परीक्षा आयोजित की गई, चयन परीक्षा में सीधी भर्ती एवं बैकलॉग के विज्ञापित पदों की* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।*** *चयन परीक्षा का परिणाम कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* ***(ग)*** *जी नहीं। उत्तरांश* ***(ख)*** *के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।* **]** **(क)** भरे एंव रिक्त पदों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। पद राज्य संवर्ग का होने से संभागवार सीधी भर्ती, पदोन्नति एंव बैकलॉग के पदों की गणना पृथक-पृथक नहीं की जाती है।

नवीन कन्या प्राथमिक शाला इंदौर की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

31. अता.प्र.सं.15 (क्र. 764) श्री राकेश शुक्ला : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 206 (इंदौर 3) की नवीन कन्या प्राथमिक विद्यालय की भौगोलिक जानकारी, सीमांकन से अवगत करवाएं। **(ख)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 206 (इंदौर 3) नवीन कन्या प्राथमिक विद्यालय "स्कूल नंबर 2" इंदौर के रख-रखाव एवं नवीनीकरण की क्या कार्य योजना है?

स्कूल शिक्षा मंत्री: [***(क)*** *एवं* ***(ख)*** ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-206 (इंदौर 3) की नवीन कन्या प्राथमिक शाला भवन में 05 कक्ष उपलब्ध है, जिसमें शाला का संचालन

व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। तहसीलदार जूनी, इंदौर के द्वारा उपरोक्त स्थल का मौका मुआयना किया गया, जिसमें उपरोक्त भूमि का पंचनामा एवं भौगोलिक तथा सीमांकन कार्य आदि कराया गया। भूमि स्थल का खसरा क्रमांक-407/1669/3 (आबादी) कुल रकबा 68.303 हेक्टेयर में से 0.060 हेक्टेयर भूमि पर विद्यालय संचालित किया जा रहा है। **(ख)** नगर निगम इंदौर द्वारा वर्ष 2008-09 में रख-रखाव व मरम्मत का कार्य कराया गया है। वर्तमान में इंदौर नगर पालिका निगम के माध्यम से बाउण्ड्रीवॉल का कार्य प्रगतिरत है। इंदौर नगर पालिका निगम द्वारा प्रतिवर्ष रख-रखाव का कार्य किया जाता है। समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत प्रतिवर्ष एकीकृत शाला निधि जारी की जाती है, जिसके द्वारा सामान्य रख-रखाव का कार्य किया जाता है।

शासकीय मंदिरों का जीर्णोद्धार
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

32. परि.अता.प्र.सं. 108 (क्र. 2268) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में शासकीय मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु शासन द्वारा क्या योजना बनाई गई है? **(ख)** चन्दवासा स्थित धर्मराजेश्वर मंदिर की ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध करावें। उक्त मंदिर हेतु शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि से कब-कब विकास कार्य किये? जानकारी देवें। **(ग)** चन्दवासा स्थित धर्मराजेश्वर मंदिर पूरे भारत में प्राचीन एवं पुरातात्विक महत्व का मंदिर है? क्या शासन द्वारा इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु योजना बनाई जा रही है? **(घ)** म.प्र. में चंदवासा धर्मराजेश्वर मंदिर जैसे ऐसे कितने मंदिर है जो कि एक ही पत्थर से बने हैं, उनकी सूची उपलब्ध करावें।

राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व: [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** क्षेत्र विशेष के शासकीय मंदिरों के लिए पृथक से कोई योजना नहीं है। शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य हेतु संभागीय आयुक्त के माध्यम से प्रेषित प्रस्तावों के परीक्षण उपरांत एवं बजट उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है। **(ख)** ग्राम चंदवासा स्थित धर्मराजेश्वर मंदिर का लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी ई.पूर्व पहाड़ी को काटकर निर्माण करवाया गया था, जो कि मुख्य रूप से ब्राह्मण शैल मंदिर भगवान शिवजी एवं विष्णुजी को समर्पित है। जिसमें गर्भगृह, सभामण्डप तथा अर्द्धमण्डप है, इस मंदिर का उत्तर भारतीय शैली में निर्माण किया गया है। उक्त राष्ट्रीय संरक्षित धर्मराजेश्वर (राक कट) मंदिर स्मारक की देख-रेख सुरक्षा व रख-रखाव का कार्य केन्द्रीय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग उप मण्डल मंदसौर द्वारा किया जा रहा है एवं राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक धर्मराजेश्वर मंदिर एवं बौद्ध गुफाएं धमनार ग्राम चंदवासा स्मारकों पर पर्यटकों हेतु शौचालय (टायलेट ब्लाक), वाटर यूनिट(कूलर), क्लाक रूम, टिकट काउन्टर एवं अन्य विकास कार्य करवाये गये है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 90 लाख रूपये की धनराशि के विकास कार्य करवाये गये है। **(ग)** राष्ट्रीय संरक्षित धर्मराजेश्वर(राक कट) मंदिर स्मारक पुरातात्विक महत्व एवं केन्द्रीय पर्यटन स्थल है। उक्त स्मारक को विकसित करने हेतु एवं स्मारक की साफ-सफाई, रख-रखाव एवं सुरक्षा का कार्य केन्द्रीय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग उप मंडल मंदसौर द्वारा प्रतिवर्ष किये जाते है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

नि:शुल्क अध्यापकों का वेतन रोका जाना
[स्कूल शिक्षा]

33. अता.प्र.सं.146 (क्र. 2273) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल को श्री सुभाषचन्द्र शर्मा निःशक्त अध्यापक, शास. कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर, राजगढ़ के संबंध में पत्र क्रमांक 109 दिनांक 15.01.2024 तथा आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 111 दिनांक 15.01.2024 तथा संलग्न अभ्यावेदन के बिन्दु क्रमांक (1) से बिन्दु क्रमांक (7) तक के संबंध में कार्यवाही की गई है, बी.एड. के नियमों में निःशक्त अध्यापकों के प्रवेश नियम में आयु सीमा में छूट प्रदान की जावेगी, स्पष्ट करें। **(ख)** आयु सीमा में निःशक्तजन अध्यापक का सत्र 2021 से 2024 तक छूट समाप्त करने पर तथा आयु सीमा 50 वर्ष करने पर स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं होने पर उनके प्रशिक्षण के लिये उनके हितों का ध्यान रखते हुये नियोक्ता द्वारा विभागीय अनुमति प्रदान करने के पश्चात बी.एड. प्रशिक्षण करने पर उपस्थिति के आधार पर उनके वेतन भुगतान करवाकर उनके हितों का संरक्षण प्रदान किया जायेगा, स्पष्ट करें। **(ग)** माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.-20837/2023 के पारित निर्णय को दृष्टिगत रखते हुये प्रशिक्षण संस्था द्वारा भेजी गई उपस्थिति के आधार पर वेतन प्रदान किया जायेगा तथा 7 माह से वेतन रोककर निःशक्त अध्यापकों को मानसिक तथा आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने वाले प्राचार्य के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कब तक की जायेगी? स्पष्ट करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री: [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** बी.एड. के प्रवेश नियमों में सभी संवर्ग के शिक्षकों की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से बढाकर 55 वर्ष की गई है। **(ख)** विभागीय भर्ती नियम-2018 में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। **(ग)** माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी 20837/2023 में इस संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जुलाई, 2024

दिनांक 1 जुलाई, 2024

एम.पी. ऑनलाईन से प्राप्त राशि
[उच्च शिक्षा]

1. अता.प्र.सं.2 (क्र. 5) श्री बाला बच्चन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उच्च शिक्षा विभाग को एम.पी. ऑनलाईन से पंजीयन व पोर्टल शुल्क की कितनी राशि कब से लेना शेष है? **(ख)** वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक कितनी राशि उपरोक्त मदों में एम.पी. ऑनलाईन ने जमा कराई है व कितनी शेष है की जानकारी भी देवें। लंबित राशि कब तक प्राप्त कर ली जाएगी? **(ग)** राशि लंबित रहने के जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम भी देवें। इस संबंध में इन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? **(घ)** इस प्रकरण में हुए समस्त पत्राचार की छायाप्रतियां देवें।

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** राशि की गणना एवं परीक्षण हेतु कमेटी का गठन किया गया है। **(ख)** उत्तरांश (क') अनुसार। **(ग)** उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट - "एक"

निजी/अशासकीय महाविद्यालयों का संचालन
[उच्च शिक्षा]

2. परि.अता.प्र.सं. 30 (क्र. 209) श्री सतीश मालवीय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में निजी/अशासकीय महाविद्यालय खोलने के क्या-क्या मानदंड है? दस्तावेजी जानकारी प्रस्तुत करें। **(ख)** वर्तमान में उज्जैन जिला अंतर्गत कुल कितने निजी/अशासकीय महाविद्यालय संचालित है? उक्त सभी महाविद्यालय कहाँ-कहाँ पर कितने-कितने क्षेत्र/परिक्षेत्र में किन-किन सुविधाओं के साथ संचालित किए जा रहे है? **(ग)** क्या इन महाविद्यालय द्वारा शासन के स्थापित सभी मानदंडों का पूर्णतया: पालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें। **(घ)** उज्जैन संभाग के निजी/अशासकीय महाविद्यालयों का निरीक्षण पूर्व शिक्षा सत्र 2023-24 किया गया एवं उनमें क्या-क्या कमियां/अनियमितताएँ पाई गई? उन कमियों/अनियमितताओं को दूर करने के लिए महाविद्यालय प्रशासन द्वारा क्या-क्या कार्रवाई की गई है?

उच्च शिक्षा मंत्री : *[**(क)** प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों के संचालन संबंधी जारी मार्गदर्शिका (वर्तमान में प्रभावशील) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** वर्तमान में उज्जैन जिला अंतर्गत कुल-15 निजी/अशासकीय महाविद्यालय संचालित हैं, शेष की **जानकारी एकत्रित की जा रही है।** **(ग)** एवं **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]* **(ख)** उज्जैन जिला अंतर्गत 28 निजी/अशासकीय महाविद्यालय संचालित हैं, शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1, 2, तथा 3 अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार** है। **(घ)** जी हाँ। विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 4 अनुसार** है।

छात्रवृत्ति की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]

3. अता.प्र.सं.77 (क्र. 364) श्री पंकज उपाध्याय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत तीन शैक्षणिक वर्ष में निजी इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, एम.बी.ए., आई.टी.आई. की वर्षवार संख्या, प्रवेश क्षमता, प्रवेशित संख्या, वार्षिक शिक्षण शुल्क सहित सूची देवें तथा कि इन चारो प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेशित क्षमता, प्रवेशित संख्या तथा शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? **(ख)** विगत तीन शैक्षणिक वर्ष में खण्ड क, में उल्लेखित शिक्षण संस्थाओं में वर्षवार बतावें कि कितने-कितने विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई? छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या कुल प्रवेशित का कितना प्रतिशत रहा? **(ग)** वर्ष 2004-05 से वर्ष 2023-24 तक प्रदेश में प्रतिवर्ष कितने इंजीनियरिंग कालेज खुले तथा कितने बंद हुये? **(घ)** छात्रवृत्ति घोटाले में किस-किस शासकीय तथा निजी तकनीकी संस्था पर प्रकरण दर्ज हुआ तथा कौन-कौन सी संस्था पर जांच प्रक्रियाधीन है?

तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) मंत्री: *[**(क)** तकनीकी शिक्षा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है, शिक्षण शुल्क की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है, कौशल विकास की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है, निजी आई.टी.आई. का प्रशिक्षण शुल्क विभाग द्वारा निर्धारित नहीं है। **(ख)** प्रश्नावधि में निजी संस्थाओं को प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति की MPTAAS पोर्टल पर संधारित तकनीकी शिक्षा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है एवं कौशल विकास की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नावधि में प्रदेश में प्रतिवर्ष खुले एवं बंद हुये इंजीनियरिंग कॉलेजों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार** है। **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]* (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार** है।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

4. अता.प्र.सं.98 (क्र. 490) श्री उमंग सिंघार : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में कुल कितने रोजगार कार्यालय संचालित हैं? इन कार्यालयों में 31

मई 2024 की स्थिति में कितने-कितने शिक्षित, अशिक्षित बेरोजगारों का जीवित पंजीयन किया गया है? **(ख)** उक्त रोजगार कार्यालयों के माध्यम से शासन के शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के लिए कितने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है? रोजगार प्राप्त करने वाले का नाम, पद एवं कार्यालयवार ब्यौरा दें। **(ग)** क्या प्रदेश में रोजगार देने के लिए रोजगार कार्यालय संचालित है ऐसी स्थिति में पीईबी व अन्य एजेंसी के माध्यम से बेरोजगारों से परीक्षा के नाम से मोटी रकम वसूल की जाती है एवं इन परीक्षाओं में व्यापक अनियमितताएं उजागर होने पर इन्हें रोजगार भी नहीं मिलता है और बेरोजगार खुलेआम लुट रहे है? यदि नहीं तो वस्तुस्थिति से अवगत करायें।

राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार : *[**(क)** प्रदेश में 52 रोज़गार कार्यालय संचालित हैं। 31 मई, 2024 की स्थिति में 25,30,742 शिक्षित एवं 52,017 अशिक्षित आवेदक एम.पी. रोजगार पोर्टल पर दर्ज हैं।**(ख)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(ग)** रोज़गार कार्यालय रोज़गार देने वाले एवं रोज़गार चाहने वालों के मध्य एक प्लेटफार्म के रूप में कार्य करते है। शेष भाग की **जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]* (ग) प्रदेश में रोजगार संबंधी गतिविधियों के सम्पादन हेतु रोजगार संचालनालय एवं मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड संचालित है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल एवं मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा शासकीय पदों पर भर्ती हेतु आयोजित परीक्षाओं के लिए शुल्क निर्धारित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दिनांक 2 जुलाई, 2024

जिला अधिकारियों द्वारा नियम विरूद्ध किये गये कार्य
[सामान्य प्रशासन]

5. परि.अता.प्र.सं. 2 (क्र. 13) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता ने कलेक्टर टीकमगढ़ को पत्र क्रमांक एम.एल.ए./टी.के.जी./I-16/2023 दिनांक 28.12.2023 एवं पत्र क्रमांक एम.एल.ए./टी.के.जी./I-41/2024 दिनांक 06.01.2024 प्रेषित किये गये? यदि हाँ, तो उन पत्रों के जवाब क्यों नहीं दिये गये? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित पत्रों में जिला अधिकारियों द्वारा नियम विरूद्ध किये गये कार्यों का ब्यौरा था, इसलिये उन्हें संज्ञान में न लेकर कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि नहीं तो की गई कार्यवाही का विवरण दें। **(ग)** प्रश्नांश (क) में वर्णित पत्रों का जवाब की गई कार्यवाही का विवरण प्रश्नकर्ता को कब तक उपलब्ध कराया जावेगा व दोषी अधिकारी पर कोई कार्यवाही हुई? यदि नहीं तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (क) में वर्णित पत्रों का जवाब न देना शासनादेशों का उल्लंघन नहीं है? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री : *[**(क)** से**(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]* **(क)** जी हाँ। पत्रों के संबंध में अधीक्षक, भू-अभिलेख, टीकमगढ़ को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कलेक्टर टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 268/2024, 270/2024 दिनांक 11.01.2024 के द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसकी सूचना प्रश्नकर्ता माननीय विधायक महोदय को दी गई थी। **(ख)** जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। जांच प्रतिवेदन

प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। **(ग)** जांच कार्यवाही पूर्ण कराकर जांच निष्कर्ष से माननीय विधायक महोदय को अवगत कराया जाएगा। **(घ)** माननीय विधायक महोदय को पत्रों पर की जा रही कार्यवाही की जानकारी कलेक्टर टीकमगढ़ के पृष्ठांकन पत्र क्र. 268/2024 एवं 270/2024 दिनांक 11.01.2024 द्वारा दी गई है।

निजी बचत कंपनियों का संचालन

[वित्त]

6. परि.अता.प्र.सं. 6 (क्र. 135) श्री सुरेश राजे : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अल्प बचत, छोटी बचत एवं प्रतिदिन सेविंग के नाम पर ग्वालियर शहर डबरा में अनेक निजी प्राइवेट कंपनियों, फर्म, संस्थान तथा निजी रूप से भी दैनिक बचत किये जाने के नाम पर सदस्य बनाकर सेविंग बचत किये जाने के कार्य निरंतर रूप से कर रहे हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन बचत के नाम पर करोड़ों रूपए एकत्रित किये जा रहे हैं? तो क्या शासन/विभाग अथवा किसी व्यवस्था द्वारा इस प्रकार के कार्य किये जाने की अनुमति ली जाती है? **(ख)** जिला ग्वालियर के शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त संस्थाओं द्वारा जमा राशि नहीं लौटाए जाने, उसमें गबन करने तथा जमा राशि हड़पे जाने संबंधी गत 5 वर्षों में किस पुलिस थाना में किस-किस की शिकायतें प्राप्त हुई? जिनमें से किस-किस का निराकरण किस कारण अभी तक नहीं हुआ? अवैध रूप से किये जा रहे अवैधानिक कार्यों को रोके जाने हेतु शासन/विभाग इस अवैध कारोबार पर किस प्रकार रोक लगाएगा?

उप मुख्यमंत्री, वित्त : *[**(क)** ग्वालियर शहर डबरा में अल्प बचत एवं प्रतिदिन सेविंग के नाम पर निजी प्रायवेट कम्पनियों, फर्म संस्थान तथा निजी रूप से दैनिक बचत किये जाने हेतु किसी निजी प्रायवेट कम्पनियों/फर्म संस्थान को सेविंग बचत हेतु संचालनालय संस्थागत वित्त द्वारा किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है।* ***(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।]*** (**ख**) जिला ग्वालियर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निजी प्रायवेट कंपनी/फर्म एवं संस्थान में जमा राशि की कुल चार शिकायतों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।**

<u>परिशिष्ट - "दो"</u>

बहोरीबंद में व्यवहार न्यायालय की स्थापना

[विधि एवं विधायी कार्य]

7. अता.प्र.सं.11 (क्र. 161) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पूर्व में शासन द्वारा कटनी जिला अंतर्गत तहसील मुख्यालय बहोरीबंद में सिविल कोर्ट (व्यवहार न्यायालय) प्रारंभ करने का आश्वासन दिया गया था तथा इस हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ निर्माण/सुधार कार्य करवाये गये थे? **(ख)** अभी तक उल्लेखित न्यायालय प्रारंभ न होने के क्या कारण है, क्या शासन जनसुविधा की दृष्टि से तहसील मुख्यालय बहोरीबंद में शीघ्र व्यवहार न्यायलय प्रारंभ करेगा? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के उत्तर में यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री : ***[(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** (**क**) जी हाँ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला कटनी के कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 791/चार-02-05/17, दिनांक 13.06.2024 से प्राप्त जानकारी अनुसार इस हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ निर्माण/सुधार कार्य करवाये गये थे, परंतु तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा निरीक्षण कार्य उचित गुणवत्तायुक्त न पाये जाने तथा उक्त बी.आर.जी.एफ. भवन न्यायालय संचालन हेतु किसी भी रूप में उपयुक्त न होने की स्थिति में मूलभूत सुविधाओं का पूर्णत: अभाव है जिस कारण न्यायालय स्थापना किये जाने हेतु परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार तहसील मुख्यालय बहोरीबंद में न्यायाधीश आवास हेतु ई-टाईप डुप्लेक्स निर्माण लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. जिला कटनी के द्वारा Roof and brick work completed तक कराया गया है। **(ग)** वर्तमान में तहसील बहोरीबंद में न्यायालय संचालन हेतु मूलभूत सुविधाओं का पूर्णत: अभाव होने से न्यायालय स्थापना किये जाने हेतु परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं है। तहसील बहोरीबंद में नवीन न्यायालय भवन निर्माण हेतु जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला कटनी के माध्यम से प्राक्कलन उच्च न्यायालय जबलपुर को प्राप्त हुए हैं, जिन्हें माननीय जिला न्यायालय अद्योसंरचना कमेटी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

न्यायालय भवन को अन्यत्र स्थापित करना
[विधि एवं विधायी कार्य]

8. अता.प्र.सं.15 (क्र. 246) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन संभाग में किन-किन शहरों में 1 जनवरी 2018 के पश्चात न्यायालय को शहर के अन्यत्र स्थल पर परिवर्तित करने की योजना प्रचलन में है? जिलेवार सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** उक्त अवधि में कितने न्यायालय भवन बनकर तैयार हो चुके है कितने नहीं तथा कितनों की भूमि चिन्हित करना शेष है? सूची उपलब्ध करावें। **(ग)** नीमच नवीन न्यायालय भवन निर्माण की प्रगति रिपोर्ट बताएं कि किन कारणों से न्यायालय को नवीन भवन में प्रतिस्थापित नहीं किया गया है कारण सहित जानकारी देवें तथा न्यायालय प्रतिस्थापित करने के लिए आ रही कठिनाइयों को लेकर विभाग ने कब-कब उच्च स्तर पर पत्र व्यवहार किया, पत्रों की प्रतिलिपि देवें। **(घ)** नीमच नवीन न्यायालय भवन में न्यायालय को कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा?

मुख्यमंत्री : ***[(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** (**क**) उज्जैन- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार उज्जैन जिले के तहसील न्यायालय नागदा, बडनगर एवं तराना के वर्तमान न्यायालय भवन में न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों के अनुसार पर्याप्त संख्या में न्यायालय उपलब्ध न होने एवं नवीन न्यायालय भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन हो जाने के फलस्वरूप उक्त स्थानों पर वर्तमान न्यायालय भवन को शहर से अन्यत्र स्थल पर परिवर्तित करने की योजना प्रचलन में है। देवास- दिनांक 01 जनवरी 2018 के पश्चात सिविल न्यायालय सोनकच्छ को अन्य स्थान पर परिवर्तन करने की योजना प्रचलन में थी, सोनकच्छ में नवीन न्यायालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के कारण न्यायालय नवीन भवन में संचालित किया जा रहा है तथा सोनकच्छ न्यायालय का स्थल परिवर्तित किया गया है। नीमच- जिला मुख्यालय नीमच में नवीन न्यायालय भवन का निर्माण कार्य फिनिशिंग स्तर पर

है, नवीन न्यायालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर जिला न्यायालय नीमच को नवीन न्यायालय भवन में शिफ्ट किया जावेगा। अगर मालवा- 1. दिनांक 01 जनवरी 2018 के पश्चात् आगर मालवा के न्यायालय को अन्य स्थान पर परिवर्तित किया गया है। 2. व्यवहार न्यायालय नलखेडा को दिनांक 26.10.2023 को कृषि उपज मण्डी के पुराने भवन से नवीन स्थल डॉ. भीमराव अम्बेडकर मांगलीक भवन में स्थानांतरित किया गया है। रतलाम- जिला मुख्यालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा में नवीन न्यायालय भवन के निर्माण हेतु भूमि आरक्षित की गई है। मंदसौर- जिला न्यायालय मंदसौर को नवीन कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप आवंटित भूमि में नवीन न्यायालय भवन के निर्माण होने के पश्चात परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। **(ख)** देवास- 1. सोनकच्छ में नवीन न्यायालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होकर सिविल न्यायालय सोनकच्छ नवीन भवन में संचालित हो रहा है। 2. नवीन न्यायालय भवन बागली का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। 3. नवीन न्यायालय भवन कन्नौद के निर्माण हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन के समक्ष विचाराधीन है। आगर मालवा- 1. नवीन न्यायालय भवन आगर मालवा का निर्माण कार्य पूर्ण होकर न्यायालय नवीन न्यायालय भवन में संचालित हो रहा है। 2. सुसनेर में नवीन न्यायालय भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। 3. नवीन न्यायालय भवन नलखेडा के निर्माण हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन के समक्ष विचाराधीन है। शाजापुर- 1. शुजालपुर में नवीन न्यायालय भवन के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन के समक्ष विचाराधीन है। 2. शाजापुर में कुटुम्ब न्यायालय भवन के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन के समक्ष विचाराधीन है। 3. जिला मुख्यालय शाजापुर में 5 कोर्ट रूम + 1 चाईल्ड फ्रेण्डली कोर्ट के निर्माण हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन के समक्ष विचाराधीन है। **(ग)** नवीन न्यायालय भवन नीमच का निर्माण कार्य फिनिशिंग स्तर पर है। विभाग के निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा कराये जाते है। इस विभाग के पत्र क्रमांक 1664/2024/21-ब(एक), दिनांक 26.04.2024 के माध्यम से प्रमुख अभियंता (भवन) लोक निर्माण विभाग, भोपाल को निर्माणाधीन नवीन जिला न्यायालय भवन, नीमच का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। **(घ)** प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच के द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार नवीन न्यायालय भवन नीमच का निर्माण कार्य फिनिशिंग स्तर पर है तथा नवीन न्यायालय भवन हेतु फर्नीचर क्रय किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नवीन न्यायालय भवन नीमच का निर्माण कार्य दिनांक 30.06.2024 तक पूर्ण हो जावेगा। नवीन न्यायालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं नवीन न्यायालय भवन हेतु फर्नीचर क्रय किये जाने के पश्चात नवीन न्यायालय भवन में न्यायालय प्रतिस्थापित किया जावेगा।

अतिरिक्त सत्र न्यायालय भवन का निर्माण
[विधि एवं विधायी कार्य]

9. अता.प्र.सं.18 (क्र. 282) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लगभग तीन वर्ष पूर्व परासिया में अतिरिक्त सत्र न्यायालय प्रारम्भ किये जाने एवं भवन निर्माण किये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जा चुकी है किन्तु फिर भी प्रश्न दिनांक तक न्यायालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है और ना ही अतिरिक्त सत्र न्यायालय

को प्रारम्भ किया गया है, जिसके कारण आमजनों एवं पक्षकारों को बहुत अधिक असुविधाओं व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों ही कार्य में विलम्ब होने का क्या कारण है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुसार विभाग द्वारा कब तक अतिरिक्त सत्र न्यायालय भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करा दिया जायेगा एवं नवीन भवन में अतिरिक्त सत्र न्यायालय को प्रारम्भ करा दिया जायेगा? तिथि निर्धारित कर अवगत करायें।

मुख्यमंत्री : ***[(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** (**क**) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला छिन्दवाड़ा के ज्ञापन क्र. 2250/एक-15-01/94, दिनांक 14.06.2024 से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में तहसील परासिया में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय संचालित हो रही है। तहसील परासिया में 03 कोर्ट वाले नवीन न्यायालय भवन निर्माणाधीन है। नवीन न्यायालय भवन के निर्माण हेतु पूर्व में रूपये 66,819 लाख का प्राक्कलन दिनांक 18.02.2014 को प्रेषित किया गया था, जिसकी स्वीकृति दिनांक 09.01.2017 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात् एस.ओ.आर. की दर में परिवर्तन होने से दिनांक 18.09.2017 को पुन: प्राक्कलन तैयार किया गया, जिसकी स्वीकृति राशि रूपये 84146 लाख प्राप्त हुई इसके पश्चात् दिनांक 01.12.2018 को उक्त निर्माण कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन वास्ते रूपये 931.88 लाख प्रस्तुत किया गया, जो शासन के समक्ष लंबित है। इसके पश्चात् पुन: दिनांक 16.09.2022 को एस.ओ.आर. की दर में परिवर्तन होने से उक्त निर्माण कार्य का रूपये 1559.98 लाख का पुनरीक्षित प्राक्कलन दिनांक 22.11.2022 को कार्यपालन यंत्री (भवन) लोक निर्माण विभाग, छिन्दवाड़ा के ज्ञापन क्र. 2465 दि. 09.08.2023 के माध्यम से रजिस्ट्री की ओर प्रेषित किया गया तथा रजिस्ट्री द्वारा ज्ञापन क्र. बी/5991 दिनांक 23.08.2023 के माध्यम से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया, जो वर्तमान में शासन के समक्ष विचाराधीन है। उक्त निर्माण कार्य की ड्राईंग में समय-समय पर परिवर्तन होने आवंटन का अभाव होने तथा कोविड-19 की प्रथम लहर एवं द्वितीय लहर के कारण कार्य की प्रगति भी प्रभावित हुई है। इन समस्त कारणों से उक्त कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना संभव नहीं हो सका। **(ख)** प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला छिन्दवाड़ा के ज्ञापन क्र. 2250/एक-15-01/94, दिनांक 14.06.2024 से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त निर्माण कार्य हेतु प्रेषित पुनरीक्षित प्राक्कलन रूपये 1559.98 लाख, जो वर्तमान में शासन के समक्ष विचाराधीन हैं, की पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत 06 माह में संभावित कार्य पूर्ण किया जाकर, भवन का आधिपत्य लिया जा सकेगा।

खनिज रायल्टी की वसूली न होना
[खनिज साधन]

10. अता.प्र.सं.20 (क्र. 305) श्री प्रदीप पटेल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नतिथि तक प्रदेश के शहडोल, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, मुरैना, पन्ना, छतरपुर, भिंड, सहित किन जिलों में रेत, गिट्टी, मुरम एवं अन्य खनिजों की खनन की कितनी-कितनी राशि, किन कारणों से किन व्यक्तियों से वसूली जाना कब से शेष है सूची देते हुए वसूली के लिए जारी सभी आदेशों, आर.आर.सी. आदि आदेशों की प्रतियां देवें। **(ख)** खनन माफियाओं के द्वारा कितने अधिकारियों, कर्मचारियों पर हमला किया गया है? जिलेवार संख्या बताते हुए जिन पर हमला हुआ उन अधिकारियों, कर्मचारियों के नाम, पद बतावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लिखित जिलों में अवैधानिक

रूप से खनन करने वालों पर दर्ज करवाए गए प्रकरणों की सूची देवें जिसमें आरोपियों के नाम, प्रकरण क्रमांक, दिनांक अंकित हो?

मुख्यमंत्री : ***[(क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।]*** **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-क में दर्शित** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख में दर्शित** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ग में दर्शित** है।

मंत्रालयीन स्टेनो टायपिस्ट के समान तृतीय समयमान का लाभ
[सामान्य प्रशासन]

11. अता.प्र.सं.40 (क्र. 513) श्री कामाख्या प्रताप सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मंत्रालयीन स्टेनोटायपिस्ट को उच्च पद पर पदोन्नति पश्चात् प्रथम नियुक्ति दिनांक से 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तृतीय समयमान किस आदेश के तहत किस ग्रेड-पे में स्वीकृत किया गया है? प्रश्न दिनांक तक कितने कर्मचारियों को स्वीकृत किया गया है? सूची उपलब्ध कराये। **(ख)** क्या उक्त तृतीय समयमान आदेश के तहत विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधीन स्टेनोटायपिस्ट संवर्ग से शीघ्रलेखक के पद पर पदोन्नत कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध कराये। **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि नहीं तो प्रदेश के विभागाध्यक्ष कार्यालयों के अधीन स्टेनोटायपिस्ट संवर्ग के ऐसे कर्मचारियों को मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है? ऐसे कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति संबंधी परिपत्र कब तक जारी किया जावेगा?

मुख्यमंत्री : ***[(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(क)** मंत्रालयीन स्टेनोटायपिस्ट को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 131/2250/2014/नियम/चार दिनांक 27.01.2015 के परिप्रेक्ष्य में तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग के अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा स्टेनोटायपिस्ट संवर्ग को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत करने संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग)** समयमान वेतनमान स्वीकृति की कार्यवाही पात्रता आने पर अलग-अलग समय पर की जाती है।

पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]

12. अता.प्र.सं.57 (क्र. 570) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिसम्बर 2023 से मई 2024 की अवधि में कलेक्टर जिला शिवपुरी, पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी, तहसीलदार तहसील शिवपुरी, सी.ई.ओ. जिला पंचायत शिवपुरी, सी.ई.ओ. जनपद पंचायत शिवपुरी/पोहरी/नरवर, तहसीलदार पोहरी एवं बैराड़, सी.एम.ओ. नगर परिषद पोहरी/बैराड़, जिला पंजीयक जिला शिवुपरी, ई.ई. पी.एच.ई. शिवपुरी, महाप्रबंधक एम.पी.ई.बी. शिवपुरी, एस.डी.एम. पोहरी, ई.ई. आरईएस शिवपुरी, ई.ई. पी.डब्ल्यू.डी., पीआईयू/भवन एवं पथ/पुल शिवपुरी/ग्वालियर, डी.पी.ओ. महिला एवं बाल विकास विभाग जिला शिवपुरी, सी.डी.पी.ओ. महिला

एवं बाल विकास विभाग शिवपुरी/पोहरी/नरवर, ई.ई. सिंध परियोजना आरबीसी संभाग नरवर, जिला आपूर्ति अधिकारी जिला शिवपुरी, ई.ई. जल संसाधन संभाग शिवपुरी/नरवर, एस.डी.ओ.पी. शिवपुरी/पोहरी, उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग शिवपुरी सहित जिला शिवपुरी के अन्य विभागों को पत्र प्रेषित किये गये हैं? यदि हाँ, तो पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर बताये कि उक्त पत्रों पर संबंधित विभागों द्वारा क्या–क्या कार्यवाही की गई कृत कार्यवाही की प्रति संलग्न कर जानकारी दें? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित विभागों को प्रेषित किये गये पत्रों पर संबंधित अधिकारियों/विभागों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि नहीं की गई तो क्यों यदि कार्यवाही की गई तो कृत कार्यवाही की प्रति संलग्न कर जानकारी दें? कि प्रश्नकर्ता को संबंधित द्वारा किस पत्र के माध्यम से अवगत कराया?

मुख्यमंत्री : *[**(क)** एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]* **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** विभागों द्वारा कार्यवाही की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दी गई** है।

जनप्रतिनिधियों का प्रोटोकॉल
[सामान्य प्रशासन]

13. अता.प्र.सं.61 (क्र. 589) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों को शासकीय कार्य के भूमि पूजन एवं अन्य आयोजन में उपस्थिति के लिए कोई पत्र जारी किया गया है? यदि हाँ, तो उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं। **(ख)** उक्त पत्र का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है? **(ग)** 15 मार्च, 2024 को जनपद पंचायत निसरपुर के ग्राम पंचायत सुसारी में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन कार्यक्रम में कौन-कौन उपस्थित हुए? **(घ)** कंडिका (ग) के अनुसार उक्त कार्यक्रम में क्या विधायक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है? यदि हाँ, है तो जिन अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के विधायक को जानकारी नहीं दी गई व सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश का उल्लंघन किया गया है तो संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक और क्या कार्यवाही की जाएगी?

मुख्यमंत्री : *[**(क)** माननीय संसद सदस्यों तथा माननीय विधायकगणों को सार्वजनिक समारोह/कार्यक्रमों में आमंत्रित करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 19 जुलाई, 2019 से निर्देश जारी किये गये हैं जिसकी प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी इन निर्देशों की अवहेलना करता है तो उनका यह कृत्य उन पर लागू आचरण या सेवा नियमों के अधीन अवचार समझा जाएगा और संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। **(ग)** एवं **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]* **(क)** माननीय संसद सदस्यों तथा माननीय विधायकगणों को सार्वजनिक समारोह/कार्यक्रमों में आमंत्रित करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 19 जुलाई, 2019 से निर्देश जारी किये गये हैं जिसकी प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी इन निर्देशों की अवहेलना करता है तो उनका यह कृत्य उन पर लागू आचरण या सेवा नियमों के अधीन अवचार समझा जाएगा और संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक

कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। **(ग)** 15 मार्च 2024 को ग्राम पंचायत सुसारी जनपद पंचायत निसरपुर में माननीय सांसद महोदय का दौरा कार्यक्रम था। सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्चुअली कार्यक्रम के माध्यम से कर दिया गया था। माननीय सांसद महोदय श्री छतरसिंह दरबारजी के द्वारा स्वयं दौरा कार्यक्रम तय किया गया था। सांसद महोदय के दौरा कार्यक्रम में स्थानीय जिला पंचायत सदस्य, जनपद उपाध्यक्ष, स्थानीय जनपद सदस्य ग्राम पंचायत के सरपंच सम्मिलित हुए थे। **(घ)** जनपद पंचायत द्वारा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "तीन"</u>

राजस्व वसूली हेतु तकनीकी जाँच
[खनिज साधन]

14. परि.अता.प्र.सं. 39 (क्र. 659) श्री राजेन्द्र भारती : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अवैध उत्खनन में कानूनी कार्यवाही एवं वसूली के संबंध में खनिज विभाग के क्या-क्या नियमों का प्रावधान है? कृपया विस्तृत जानकारी देते हुए नियमावली संलग्न करें। **(ख)** क्या दतिया जिले में वर्ष 2018 से 2024 प्रश्न दिनांक तक पी.डब्लू.डी., आर.ई.एस., नगरपालिका दतिया, नगर पंचायत सेंवढ़ा, इंदरगढ़, बड़ौनी, भाण्डेर, जल संसाधन विभाग, पी.एच.ई., सड़क विकास निगम, नेशनल हाईवे सहित ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यों में कितनी-कितनी मिट्टी, मुरम एवं रेत तथा गिट्टी का उपयोग किया गया है और कितनी-कितनी रायल्टी राशि जमा की गई है? कृपया वर्षवार सभी विभागों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा मिट्टी, मुरम एवं रेत तथा गिट्टी की मात्रा का उल्लेख कर जमा की गई राशि का विवरण अलग-अलग प्रदाय करें। **(ग)** क्या अवैध उत्खनन की वसूली के लिए विभाग में तकनीकी जांच करने का प्रावधान है। यदि हाँ, तो क्या दतिया जिला में खनिज विभाग द्वारा उक्त संबंध में कार्यवाही की गई है। यदि हाँ, तो कितने-कितने प्रकरणों में? कृपया जानकारी दें। **(घ)** क्या अवैध उत्खनन के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री पत्र क्र. 1653/2024 दिनांक 14/03/2024, 1559/2024 दिनांक 19/01/2024, 1248/2022 दिनांक 25/07/2022, 1828/2018 दिनांक 09/02/2018 मुख्य सचिव पत्र क्र. 1770/2024 दिनांक 31/05/2024, 1690/2024 दिनांक 11/04/2024, 1249/2022 दिनांक 25/07/2022, प्रमुख सचिव खनिज विभाग पत्र क्र. 1771/2024 दिनांक 31/05/2024, 1691/2024 दिनांक 11/04/2024 को अवगत कराते हुए राजस्व वसूली के संबंध में तकनीकी जांच करने हेतु लेख किया गया? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा तत्संबंध में राजस्व वसूली हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है? कृपया विस्तृत विवरण दें। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? कृपया कारण सहित बतायें। क्या विभाग राजस्व वसूली हेतु कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

मुख्यमंत्री : [(क) मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के नियम 18 से 26 के अधिसूचना की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर दर्शित** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर दर्शित** है। शेष जानकारी संबंधित विभागों से एकत्रित की जा रही है। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** प्रश्नांश अनुसार विभाग को केवल पत्र क्रमांक 1690/2024 तथा 1691/2024 दिनांक 11/04/2024 प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में दतिया जिले में

की गई कार्यवाही का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर दर्शित** है। शेष पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।] **(ख)** दतिया जिले में वर्ष 2018 से 2024 तक प्रश्नांश अनुसार संबंधित विभागों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर दर्शित** है। ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यों के संबंध में मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3 (छूट) के तहत ग्राम पंचाचतों, जनपद पंचायतों, जिला पंचायतों तथा जल उपभोक्ता स्थाओं द्वारा सार्वजनिक कार्यों के लिये संबंधित पंचायतों तथा जल उपभोक्ता संस्थाओं द्वारा हाथ में लिए गए कार्यों के लिये शासकीय भूमि से निकाले गये गौण खनिज के लिये लागू नहीं होगी, ऐसा प्रावधानित है। म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3 (छूट) के प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा सार्वजनिक कार्यों के लिये संबंधित पंचायतों द्वारा हाथ में लिये गये कार्यों के लिये शासकीय भूमि से गौण खनिज निकालने के संबंध में राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा स्वयं के बजट से कराये जाने वाले कार्यों के लिये शासकीय भूमि से गौण खनिज निकालने के लिये रायल्टी से छूट है, इसमें म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के अंतर्गत उत्खनिपट्टा प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः समस्त पंचायतों में पंचायतों के अतिरिक्त ग्रामीण यांत्रिकी विभाग (आर.ई.एस.) द्वारा शासकीय ठेकेदारों से निर्माण कार्य कराये जाने से रायल्टी की राशि भी ठेकेदारों से जमा करायी जाती है, जिसकी वर्षवार, मात्रावार, खनिजवार रायल्टी की राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब में दर्शित** है।

म.प्र. लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार पर की गई कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

15. अता.प्र.सं.68 (क्र. 662) श्री राजेन्द्र भारती : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. लोकायुक्त भ्रष्टाचार अनियमिततायें एवं गड़बड़ियों के संबंध में अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों पर कानून के अनुसार कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार है? यदि हाँ, तो क्या शिकायतों के साथ ही स्वयं के स्त्रोत से भी कानूनी कार्यवाही की जाती है? यदि हाँ, तो वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक (2024) तक कितनी-कितनी शिकायतें कितने-कितने अधिकारियों/कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों के विरूद्ध प्राप्त हुई है तथा स्वयं के स्त्रोत से कितने प्रकरणों पर लोकायुक्त कार्यालय ने कार्यवाही की है? कृपया अलग-अलग संपूर्ण जानकारी दें। **(ख)** क्या लोकायुक्त द्वारा की गई कार्यवाही के पश्चात संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को विभाग द्वारा निलंबित किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो उक्त वर्षों में कितने-कितने कर्मचारी/अधिकारी के निलंबन के साथ ही जनप्रतिनिधियों पर पद से हटाने की कार्यवाही की गई? कृपया वर्षवार अलग-अलग जानकारी दें। **(ग)** क्या लोकायुक्त कार्यालय द्वारा न्यायालय में तत्संबंध के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया जाता है? यदि हाँ, तो कितने प्रकरणों में कितनों के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किये गये हैं? कृपया वर्षवार अलग-अलग जानकारी दें।

मुख्यमंत्री : ***[(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(क)** लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित-2018 के अंतर्गत शिकायत एवं अन्य सूचना/सूत्र सूचना के सत्यापन साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। स्वयं के स्त्रोत पर कार्यवाही किय जाने की प्रक्रिया नहीं है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ", "ब" एवं**

"स" अनुसार है। **(ख)** जी हाँ। निलंबन एवं पद से हटाने की कार्यवाही संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाती है। **(ग)** जी हाँ। वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	**वर्ष**	**प्रकरण जिसमें चालान प्रस्तुत किया गया.**
(1.)	**(2.)**	**(3.)**
2.	2018	173
3.	2019	183
4.	2020	80
5.	2021	95
6.	2022	82
7.	2023	04
8.	2024	सभी प्रकरण विवेचनाधीन है।

भ्रष्टाचार के विरूद्ध दर्ज लोकायुक्त प्रकरणों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]

16. अता.प्र.सं.76 (क्र. 746) श्री हेमंत कटारे : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक भ्रष्टाचार के संबंध में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) द्वारा कितने प्रकरण किन-किन अधिकारी/कर्मचारी, राजनेताओं के विरूद्ध पंजीबद्ध किये? वर्षवार जानकारी जिसमें पंजीबद्ध प्रकरणों की विवेचना की वर्तमान क्या स्थिति है? सहित पूर्ण जानकारी दी जायें। **(ख)** क्या उपरोक्त अवधि में पंजीबद्ध सभी प्रकरणों के चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके है? यदि नहीं तो चालान लंबित रहने के क्या कारण हैं? **(ग)** उपरोक्त अवधि में पंजीबद्ध किन-किन प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) द्वारा क्या शासन से अभियोजन की अनुमति चाही गई? यदि हाँ, तो किन प्रकरणों में किस दिनांक को, किन प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई तथा कौन से प्रकरण लंबित है? अनुमति नहीं देने के क्या कारण रहें? **(घ)** अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित प्रकरणों में कब तक शासन द्वारा अनुमति प्रदान कर दी जावेगी?

मुख्यमंत्री : ***[(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। प्रश्नाधीन अवधि में पंजीबद्ध 3497 प्रकरणों में से 2201 प्रकरणों में माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुके हैं तथा चालानी कार्यवाही में लंबित रहे 70 प्रकरणों में माननीय न्यायालय से समय प्राप्त होने पर चालान पेश किये जाएंगे। शेष प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जो प्रकरण विवेचना पूर्ण कर चालान योग्य साक्ष्य पाये जाते हैं, उनमें अभियोजन स्वीकृति मांगी जाती है। पिछले 10 वर्षों में कुल 2235 अभियोजन स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं। इनमें से कुल 2223 अभियोजन स्वीकृति शासन द्वारा दी गई हैं तथा 227 प्रकरण शासन स्तर पर लंबित हैं। अभियोजन स्वीकृति जारी करने के अधिकार प्रशासकीय विभाग को सौंपे गये हैं। प्रकरण में पाये गये तथ्यों के आधार पर विधि-सम्मत कार्यवाही की जाती है। **(घ)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जतारा विधानसभा में वृहद उद्योग की स्थापना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

17. ता.प्र.सं. 21 (क्र. 794) श्री हरिशंकर खटीक : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा टीकमगढ़ जिले के जतारा विधानसभा क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने विधानसभा प्रश्न क्र. 885, दिनांक 09 फरवरी, 2024 किया गया था? जिसके उत्तर में मंत्री जी ने भी स्वीकार किया था कि टीकमगढ़ जिले में अपार खनिज भण्डार हैं और वृहद उद्योग न खोले जाने से जिले की जनता पलायन करती है? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) के उत्तर में मंत्री जी ने यह भी कहा था कि भविष्य में जो भी इन्वेस्टर्स मीट समिट होगी, उसमें वृहद उद्योग खोलने का विषय रखेंगे, भविष्य में प्रदेश में कब तक इन्वेस्टर्स समिट कब और कहाँ होगी? **(ग)** क्या 5 वर्षों में टीकमगढ़ जिले के औद्योगिक पार्क डेव्हलप करने की योजना है या नहीं? कृपया यह भी बतायें कि टीकमगढ़ जिले में प्रश्न दिनांक तक इण्डस्ट्रियल पार्क न खोले जाने के क्या-क्या कारण रहे हैं? जिले में कहाँ-कहाँ डायस्पोर एवं पायरोफ्लाइट का अपार भण्डार है? क्या खनिज विभाग द्वारा इसका सर्वे किया गया है? यदि हाँ, तो कब? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि टीकमगढ़ जिले में औद्योगिक नीति एवं निवेश विभाग में वृहद उद्योग खोलने हेतु एम.पी.आई.डी.सी. के लिये कब कितनी-कितनी भूमि कहाँ-कहाँ की, किस खसरा नम्बर में कितने-कितने रकबा की भूमि वर्तमान में आवंटित है? कृपया आवंटित भूमि की छायाप्रतियां प्रदाय करें एवं निश्चित समय-सीमा सहित बतायें कि कब तक टीकमगढ़ जिले के जतारा विधानसभा जो उत्तरप्रदेश सीमा से लगा है, वृहद उद्योग विभाग द्वारा खोल दिया जावेगा?

मुख्यमंत्री : [(क) से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।]** **(क)** विधानसभा प्रश्न क्र. 885 दिनांक 09 फरवरी 2024 के उत्तर में मान. मंत्री जी ने बुंदेलखण्ड में खनिज भण्डार, क्षेत्र में पलायन की समस्या के निराकरण हेतु टीकमगढ़ में औद्योगिक केन्द्र खोलने एवं रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में उल्लेख किया गया था।**(ख)** जी हाँ। भविष्य में क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव का आयोजन जबलपुर, ग्वालियर एवं भोपाल जिले में एवं प्रदेश स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 का आयोजन किया जाना प्रस्तावित हैं। **(ग)** उद्योग स्थापना हेतु उद्योगपतियों द्वारा रूची दर्शाए जाने पर भूमि का चयन कर औद्योगिक पार्क विकसित करने की कार्यवाही की जाती है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार बुंदेलखंड के टीकमगढ़, जतारा, एवं खरगापुर क्षेत्र में 4 औद्योगिक क्षेत्र 1. अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान-ढोंगा, 2. नवीन औद्योगिक क्षेत्र-टीकमगढ़ 3. ग्रामीण कर्मशाला-जतारा, 4. औद्योगिक क्षेत्र-खरगापुर विकसित है, इसके साथ ही 4 औद्योगिक क्षेत्र, 1. औद्योगिक क्षेत्र- सुनोरा खिरिया, 2. औद्योगिक कलस्टर-धर्मपुरा, 3. औद्योगिक क्षेत्र-करी खास, 4. औद्योगिक क्षेत्र- लिधौरा उगर में विकसित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है। खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले की तहसील मोहनगढ़, जतारा, टीकमगढ़ एवं बलदेवगढ़ में डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट के भण्डार है। खनिज विभाग द्वारा वर्ष 1968-1969 एवं 1975-76 में सर्वे किया गया है।**(घ)** वर्तमान में टीकमगढ़ जिले में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित नहीं है। शासन द्वारा स्वयं उद्योग स्थापित नही किया जाता है अपितु निवेशको द्वारा उद्योग स्थापना

हेतु रूचि दर्शाये जाने पर भूमि का चयन कर भूमि को विभाग को हस्तांतरित करने संबंधी कार्यवाही की जाकर म.प्र. राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 (यथा संशोधित 2022) के प्रावधान अनुसार भूखण्ड आवंटित किये जाते है।

परिशिष्ट - "चार"

दिनांक 3 जुलाई, 2024

शासकीय भूमि का आवंटन
[राजस्व]

18. ता.प्र.सं. 23 (क्र. 430) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या खरगापुर तहसील में पदस्थ तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिनांक 20.12.2022 को प्रीतम लोधी के नाम म.प्र. शासन की बेशकीमती भूमि जो तहसील कार्यालय के पीछे स्थित है, को 06 शर्तों के साथ 03 वर्षों के लिये दे दी गई और भूमि का रकबा कितना है, कुछ ज्ञात नहीं, लीज पर दी गई, कुछ ज्ञात नहीं। सिर्फ इस आशय का आदेश जारी किया गया है कि उद्यानिकी विकास के प्रचार-प्रसार हेतु उद्यानिकी प्रभारी उद्यानिकी विभाग बल्देवगढ़ की अनुशंसा पर दी गई? क्या उक्त बेशकीमती भूमि शासन के नियमों के विरुद्ध दी गई? **(ख)** क्या उद्यानिकी अधिकारी बल्देवगढ़ ने अपने पत्र/उद्यान/प्र.क./2024-25/09, दिनांक 06.05.2024 को तहसीलदार को पत्र में लिखा है कि उद्यानिकी अधिकारी बल्देवगढ़ की कोई भी अनुशंसा भूमि के लिये नहीं की गई है, तत्कालीन तहसीलदार अनिल गुप्ता के द्वारा अपने स्तर पर कृषि भूमि दी गई है? **(ग)** क्या इस प्रकार के आदेश जारी करने वाले तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त बेशकीमती भूमि को कब्जा हटवाकर अतिक्रमण से मुक्त करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** क्या म.प्र. शासन की भूमि लीज पर दिये जाने हेतु केबिनेट का निर्णय एवं जिला कलेक्टर का प्रस्ताव होना जरूरी होता है, परन्तु खरगापुर विधान सभा में तहसील खरगापुर में राजनैतिक दबाव में तत्कालीन तहसीलदार ही संपूर्ण भूमि के मालिक बनकर आवंटित करते रहे हैं? क्या ऐसे भ्रष्ट आचरण के तहसीलदार को पद से हटाने की कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **राजस्व मंत्री :** ***[(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।]*** **(क)** खरगापुर तहसील में पदस्थ तत्कालीन तहसीलदार द्वारा ख.नं. 1856/1/ 4 रकवा 0.600 हे. जो तहसील कार्यालय के पीछे स्थित है, को 06 शर्तों के साथ 03 वर्ष के लिये प्रीतम लोधी को उनके आवेदन एवं तत्कालीन उद्यानिकी प्रभारी अधिकारी उद्यानिकी की अनुशंसा पर उद्यानिकी विभाग के प्रचार प्रसार एवं सौंदर्यीकरण हेतु दी गई। उक्त भूमि लीज पर नहीं दी गई। वर्तमान में संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में म.प्र. नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 के तहत भूमि आवंटन किया जाता है, जिसका पालन नहीं किया गया। **(ख)** जी हाँ, किंतु तहसील कार्यालय खरगापुर में उपलब्ध अभिलेख अनुसार तत्कालीन प्रभारी उद्यानिकी अधिकारी बल्देवगढ़ द्वारा अनुशंसा अभिमत सहित प्रस्तुत की थी। **(ग)** उक्त भूमि वर्तमान में रिक्त है। भूमि पर किसी व्यक्ति का अवैध कब्जा नहीं है। **(घ)** वर्तमान में

म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के तहत शासकीय भूमि आबंटित की जाती है। उक्त भूमि उद्यानिकी प्रभारी अधिकारी उद्यानिकी विभाग बल्देवगढ़ की अनुशंसा पर तहसील सौन्दर्याकरण एवं उद्यानिकी विभाग के प्रचार-प्रसार के कार्य हेतु दी गई थी। तत्कालीन तहसीलदार ने भूमि का आवंटन नहीं किया है। उक्त विषय के संबंध में तत्कालीन तहसीलदार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

निर्माण कार्यों की जानकारी
[जल संसाधन]

19. ता.प्र.सं. 6 (क्र. 843) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले में विगत 3 वर्षों में विभागान्तर्गत कार्यालयों/विभाग प्रमुख के अधीनस्थ या प्रशासनिक रूप से कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु आवंटित की गई? तिथिवार, विकासखंडवार, कार्यवार, मदवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समस्त कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति कार्यादेशों की प्रति, राशि भुगतान की जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यों सहित सर्राटी जलाशय में विभिन्न प्रकार के कार्य तथा नहरीकरण सहित समस्त कार्यों के संचालन संबंधी कितनी शिकायतें शासन को प्राप्त हुई? अनियमितता के संबंध में समस्याओं का निराकरण किस प्रकार किया गया? संबंधित पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** क्या सर्राटी जलाशयों के समस्त निर्माण कार्य में निम्न स्तर का कार्य कराया जा रहा है? साथ ही वित्तीय अनियमितता बढ़ती जा रही है, कब तक समस्त कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की जावेगी? यदि हाँ, तो बतायें कि स्थानीय विधायक एवं जनप्रतिनिधियों को जांच में सम्मिलित किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री : ***[(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है/]*** **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(घ)** सर्राटी जलाशय के अंतर्गत नहरों की लाइनिंग एवं स्ट्रक्चरों का कार्य तकनीकी मापदण्ड़ों के अनुसार डिज़ाइन-ड्राइंग के अनुसार किया जा रहा है। कार्य में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं होना प्रतिवेदित है। अत: उल्लेखित कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विद्यालयों में फ्लेक्स बोर्ड लगाने में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]

20. परि.अता.प्र.सं. 87 (क्र. 999) श्री हेमंत कटारे : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिक्षा सत्र 2022-23 में प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मण्डल से सम्बद्ध रहे शासकीय विद्यालयों की कुल संख्या क्या थी (मान. न्यायालय के माध्यम से सम्मिलित कराये गये विद्यालयों सहित)? जिलेवार सम्बद्ध विद्यालयों की सूची उपलब्ध करायी जाये। **(ख)** क्या जनसंपर्क विभाग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रदेश के विद्यालयों में फ्लेक्स बोर्ड लगाने का निर्णय लिया गया था? यदि हाँ, तो किस दिनांक को व कितने विद्यालयों में? फ्लेक्स बोर्ड लगाने की अनुमति से संबंधित नस्ती/नोटशीट की छायाप्रति उपलब्ध करायी जावे। **(ग)** शिक्षा सत्र 2022-23 में जनसंपर्क

विभाग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा कितने स्कूलों में फ्लेक्स बोर्ड लगाये गये? जनसंपर्क विभाग द्वारा फ्लेक्स हेतु उपलब्ध करायी दर क्या थी तथा इस दर पर कुल कितने फ्लेक्स बोर्ड लगाये गये? **(घ)** प्रदेश के विद्यालयों में फ्लेक्स बोर्ड लगाने हेतु जनसंपर्क विभाग को किस दिनाँक को कार्यादेश जारी किया? कार्यादेश की छायाप्रतियां उपलब्ध करायी जाये। **(ड.)** प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित कार्यादेश के संदर्भ में जनसंपर्क विभाग से कब-कब कुल कितने फ्लेक्स लगाने के कितनी-कितनी राशि के देयक शिक्षा मण्डल को प्राप्त हुये तथा इनका भुगतान किस दिनांक को कितनी राशि का किया गया?

स्कूल शिक्षा मंत्री: ***[(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(क)** सत्र 2022-23 में मण्डल से संबद्धता प्राप्त शासकीय विद्यालयों की संख्या 9298 है। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार**। **(ख)** जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की कार्यपालिका समिति के निर्णय दिनांक 25 जुलाई, 2022 के अनुक्रम में मण्डल द्वारा प्रदाय की जा रही महत्वपूर्ण सेवाओं एवं परीक्षाओं से संबंधित जानकारियां जैसे- संस्था में प्रवेश की प्रक्रिया व नियम, परीक्षा आवेदन-पत्र भरने एवं उसमें सुधार, प्रवेश-पत्र में सुधार, पुर्नगणना व उत्तरपुस्तिकायें प्राप्त करने, अंकसूचियों में सुधार (संशोधन) की प्रक्रिया एवं दिव्यांगजन श्रेणी के छात्रों को दी जाने वाली विशेष सुविधायें की जानकारी से अवगत होने के लिये छात्रहित में मण्डल से संबद्धता प्राप्त शासकीय विद्यालयों में जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन के माध्यम से प्रदेश के 9298 विद्यालयों में फ्लेक्स बोर्ड लगाये गये है। शेष प्रश्नांश "विधानसभा सचिवालय की नियमावली के नियम 38 (7)" के परिप्रेक्ष्य में दस्तावेजों की प्रति संलग्न नहीं की गई है। **(ग)** शिक्षा सत्र 2022-23 में जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन विभाग के माध्यम से 9298 शासकीय विद्यालायों में फ्लेक्स बोर्ड लगाये गये। जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा रुपये 9,000+1,620 जी.एस.टी. कुल 10,620 /- प्रति फ्लेक्स बोर्ड दरें उपलब्ध कराई गई थी। जिसके तहत् मण्डल से संबद्धता प्राप्त 9298 शासकीय विद्यालयों में जनसंपर्क विभाग द्वारा ही फ्लेक्स बोर्ड लगवाये गये। **(घ)** प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में फ्लेक्स बोर्ड लगाये जाने हेतु मण्डल द्वारा दिनांक 29/07/2022 को जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन को कार्यादेश जारी किया गया। कार्यादेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार। (ड.)** प्रश्नांश (ग) के अनुक्रम में जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन विभाग द्वारा कुल 9298 शासकीय विद्यालयों में फ्लेक्स बोर्ड लगाये गये तथा विभाग से प्राप्त देयक में से नियमानुसार टी.डी.एस. कटौत्रा उपरांत दिनांक 18.11.2022 को राशि रूपये 9,53,97,480/- का भुगतान किया गया।

<u>दिनांक 4 जुलाई, 2024</u>

मदवार व्यय तथा लंबित जांचों की जानकारी
[नगरीय विकास एवं आवास]

21. परि.अता.प्र.सं. 16 (क्र. 635) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर जिले में नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी मदों में वर्षवार कितना-कितना, किन-

किन कार्यों पर व्यय किया गया संपूर्ण विवरण प्रमाणित कर उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश (क) के तहत नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों में वर्षवार कितनी-कितनी खरीदी किन-किन संस्थाओं से वर्षवार की गई उनके नाम तथा राशि सहित विवरण दें। **(ग)** कचड़ा प्रबंधन पर वर्ष 2020 से 2024 तक शहरों एवं नगरों में सफाई हेतु कितने उपकरण, वाहन तथा दवाईयों का क्रय किया गया? **(घ)** क्या नगर पंचायतों/नगर पालिकाओं की शिकायतें/CM हेल्प लाइन प्रश्न दिनांक तक लंबित है? क्या कार्यवाही की गई जांच अभिमत सहित जानकारी दें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : *[(क) से(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।]* **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'द' अनुसार** है।

नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माणों की जानकारी
[नगरीय विकास एवं आवास]

22. परि.अता.प्र.सं. 56 (क्र. 1143) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश के इंदौर एवं भोपाल एवं रतलाम नगर निगम में विगत तीन वर्षों में कितने अवैध निर्माणकर्ताओं/बिल्डरों को मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत अवैध निर्माण को हटाने/अवैध निर्माण को तोड़ने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा नोटिस दिए गए। उक्त समस्त दिए गए नोटिस का क्रमांक अवैध निर्मित भवन का क्रमांक, भवन स्वामी का नाम एवं नोटिस देने वाले सक्षम अधिकारी का नाम पदनाम सहित बताएं। उक्त में से कितने अवैध निर्माणों को नगर निगम इंदौर एवं भोपाल के सक्षम अधिकारियों द्वारा अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की गई। पृथक-पृथक संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। यदि नहीं, की गई तो क्यों नहीं की गई। इसके लिए कौन दोषी हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नगर निगमों में विगत 3 वर्षों में 2000 वर्गफिट से अधिक के जिन भूखंडों में समझौता शुल्क लेकर अवैध निर्माण जिस सक्षम अधिकारी द्वारा वैध कर दिया गया है। उक्त अवैध निर्माण भवन का क्रमांक, भवन स्वामी का नाम, लिए गए कम्पाउंडिंग शुल्क का विवरण कम्पाउंडिंग करने वाले सक्षम अधिकारी का नाम, पदनाम सहित संपूर्ण सूची पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक एवं अन्य जागरुक नागरिक एवं जनसमस्या समाधान समिति के पदाधिकारियों द्वारा आयुक्त नगर निगम भोपाल एवं विभागीय प्रमुख सचिव को दिनांक 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में निरंतर कितनी अवैध निर्माण की शिकायतें जनसुनवाई एवं उनके कार्यालय में की हैं? यदि हाँ, तो प्रत्येक शिकायत पर सदन में उत्तर देने के दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? कितने अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। बतावें, यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई। इसके लिए कौन दोषी हैं, बतावें। भवन अनुज्ञा शाखा के दोषी अपर आयुक्त, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री को कब तक निलंबित कर विभागीय जांच आदेशित की जाएगी, बतावें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : *[(क) से(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।]* (**क**) नगर पालिक निगम इन्दौर, भोपाल एवं रतलाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार**

है। **(ख)** नगर पालिक निगम इन्दौर, भोपाल एवं रतलाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नकर्ता मान. विधायक एवं जन समस्या समाधान समिति के पदाधिकारियों से प्रश्नांकित अवधि में की गईं शिकायतों का नगर पालिक निगम भोपाल में रिकार्ड संधारित न होने से शिकायतों की वास्तविक संख्या बताया जाना संभव नहीं है, परन्तु शिकायतें प्राप्त होने पर नगर पालिक निगम द्वारा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है एवं यह एक सतत् प्रक्रिया है। उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विभिन्न नगर निगमों की कॉलोनियों की जानकारी
[नगरीय विकास एवं आवास]

23. अता.प्र.सं.62 (क्र. 1146) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला भोपाल, रतलाम, इंदौर नगर निगम में सक्षम अधिकारी कॉलोनी सेल प्रभारी द्वारा विगत पांच वर्षों में कौन-कौन सी कॉलोनियों की विकास अनुमति जारी करने हेतु भूखंडों को बंधक रखा गया है? उक्त कॉलोनियों के नाम, उनके संचालकगणों के नाम, बंधक भूखंडों को रखे जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी समस्त आदेशों की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नगर निगमों में सक्षम अधिकारी कॉलोनी सेल प्रभारी द्वारा विगत पांच वर्षों में कौन-कौन सी कॉलोनियों की संपूर्ण विकास पूर्ण होने के उपरांत बंधक रखे गए भूखण्डों को जिस सक्षम अधिकारी के आदेश से मुक्त किया गया है, उक्त संबंध में बंधक भूखंडों को मुक्त करने के संबंध में जारी समस्त आदेशों की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नगर निगमों में सक्षम अधिकारी कॉलोनी सेल प्रभारी द्वारा विगत पांच वर्षों में बंधक मुक्त रखे गए भूखंडों को बंधन से मुक्त करने के लिए उक्त कॉलोनी के संपूर्ण विकास का भौतिक सत्यापन जिस सक्षम अधिकारी एवं अन्य इंजीनियर द्वारा किया गया है? उनके नाम, पदनाम, कॉलोनी का नाम सहित संपूर्ण जानकारी देंवे। **(घ)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नगर निगमों में सक्षम अधिकारी कॉलोनी सेल प्रभारी द्वारा बिना कॉलोनी के संपूर्ण विकास कराए ही बंधक रखे गए भूखंडों को बंधन से मुक्त करने के लिए दोषी अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : *[**(क)** से **(ग)** नगर निगम, इन्दौर एवं नगर निगम रतलाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। नगर निगम, भोपाल की **जानकारी संकलित की जा रही है।** **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार नगर निगम इन्दौर एवं रतलाम में बिना कॉलोनी के विकास कराए बंधक रखे गये भूखण्डों को मुक्त करने का कोई भी प्रकरण उल्लेखित न होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।]* **(क) से (ग)** नगर निगम, इन्दौर एवं नगर निगम रतलाम की प्रश्नांकित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। नगर निगम, भोपाल की प्रश्नांकित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है।

इंदौर में नाला टेपिंग कार्य में अनियमितताएं
[नगरीय विकास एवं आवास]

24. अता.प्र.सं.112 (क्र. 1367) श्री उमंग सिंघार : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर पालिक निगम इंदौर सीमा क्षेत्र में नाला टेपिंग कार्य पर विगत 05 वर्षों में कितनी राशि व्यय की जा चुकी है एवं वर्तमान में नाला टेंपिंग कार्य की अद्यतन स्थिति क्या-क्या है? **(ख)** उक्त नाला टेंपिंग का कार्य किस-किस निर्माण एजेंसियों को दिया गया था एवं अनुबंध के अनुसार कितनी अवधि में पूर्ण किया जाना था? समय-सीमा में पूर्ण नहीं किये जाने के लिए कौन-कौन उत्तरदायी है और उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** उक्त नाला टैंपिंग का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : *[(क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।]* **(क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

बस कंपनियों में बसों के संचालन की अद्यतन स्थिति
[नगरीय विकास एवं आवास]

25. ता.प्र.सं. 1 (क्र. 1368) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बी.सी.एल.एल., ए.आई.सी.टी.एस.एल. एवं जे.सी.टी.एस.एस. के गठन से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी चल-अचल संपत्ति है? इस संपत्ति के अतिरिक्त और कौन-कौन से आय के स्रोत हैं? कितनी राशि भारत सरकार से, राज्य सरकार से किस-किस प्रयोजन से कब प्राप्त हुई? प्राप्त राशि का उपयोग उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया है, तो संपूर्ण जानकारी का पृथक गौशवारा मय दस्तावेजों के दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर में बस स्टॉप के साथ दुकानों का निर्माण किया गया है? कुल कितनी दुकानें बनाई गईं, दुकानों का साईज क्या है? इन दुकानों को किसे किस दर पर कितनी अवधि के लिये किसी एजेन्सी विशेष को, अन्य किसे लीज, किराये या विक्रय किया गया है? अनुबंध की प्रति सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर बतायें। दुकानों की अद्यतन स्थिति क्या है? **(ग)** प्रश्नांश अवधि में कितनी-कितनी बसें किस शहर में संचालित हो रही हैं? बसों के संचालन के लिये कितनी निविदा आमंत्रित की गई? किन निविदाकारों से किस दर पर किस प्रकार की कितनी बसें, किस-किस मापदण्डों के आधार पर क्रय की गईं? कब-कब, कितना-कितना भुगतान किस माध्यम से किया गया? वर्षवार, शहरवार, एजेन्सीवार पृथक-पृथक गौशवारा बनाकर बतायें। **(घ)** प्रश्नांश अवधि में कितने प्रश्न किस माननीय सदस्यों के कब-कब प्राप्त हुये हैं? संपूर्ण प्रश्नों का गौशवारा बनाकर बतायें। विधानसभा में जवाब प्रस्तुत करने वालों, कार्यों के लिये किन्हें क्या जिम्मेदारी तीनों कंपनियों को सौंपी गई थी, उनके नाम, पदनाम, उत्तरदायित्व सौंपा गया था? तीनों कंपनियों में कितने संविदाकर्मी किस पद पर कब से कार्यरत हैं, उनका सेवाकाल कब-कब बढ़ाया गया? नाम, पदनाम, मानदेय सहित गौशवारा बनाकर बतायें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : *[(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।]* **(क)** बीसीएलएल, एआईसीटीएसएल एवं जेसीटीएसएल के गठन से प्रश्न दिनांक तक चल-अचल सम्पति, आय के श्रोत, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्रायोजन हेतु प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** बीआरटीएस कॉरिडोर में बस स्टॉप के साथ दुकानों का निर्माण, दुकानों का साइज, दर, अवधि, एजेंसी विशेष लीज, किराए, विक्रय, अनुबंध की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश अवधि में

शहर में संचालित बसें, बसों के संचालन हेतु आमंत्रित निविदा, निविदाकारों से प्राप्त दर, बसों का प्रकार, बसों की संख्या, मापदण्ड के आधार, किया गया भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है। **(घ)** प्रश्नांश अवधि में माननीय सदस्यों से प्राप्त प्रश्नों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार** है। तीनों कंपनियों (BCLL), AiCTSL एवं (JCTSL) हेतु विधानसभा में जवाब प्रस्तुत करने वालों के नाम, पदनाम, उत्तरदायित्व की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार** है। तीनों कंपनियों में कार्यरत संविदाकर्मियों, पद, सेवाकाल, नाम, पदनाम एवं मानदेय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार** है।

पृथक वितरित उत्तर

दिनांक 8 जुलाई, 2024

बजट आवंटन एवं व्यय की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]

26. अता.प्र.सं.12 (क्र. 269) श्री उमाकांत शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र.में कितने विश्वविद्यालय,शासकीय इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) एवं विभाग द्वारा अन्य कौन-कौन सी संस्थाएं संचालित हैं? तहसीलवार, जिलावार, संभागवार, संस्था के नाम सहित जानकारी बतावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 1 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक उपरोक्त संस्थानों में कौन-कौन से निर्माण एवं विकास कार्य एवं अन्य शासकीय योजनाओं से कार्य स्वीकृत किये गये? संस्थावार, विकासखण्डवार, जिलावार बतावें तथा किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? मदवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में विदिशा जिले में शासकीय पॉलिटेक्निक एवं शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कौन-कौन सी ब्रांच (शाखा) एवं ट्रेड संचालित है? कुल कितनी कक्षाएं संचालित हैं तथा कितने-कितने छात्र-छात्राएं हैं? कक्षावार सूची उपलब्ध करावें एवं 01 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक किस-किस ट्रेड एवं ब्रांच में कितने-कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया? छात्रवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(घ)** 01 अप्रैल 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक किस-किस मद से उक्त विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा विभाग द्वारा अन्य संचालित संस्थानों में किस-किस मद से राशि प्राप्त हुई एवं किस-किस मद में व्यय की गई? बतावें। कुल व्यय कितना हुआ बतावें? कितनी राशि शेष है? कितनी राशि लेप्स हुई है? संस्थावार, जिलावार जानकारी उपलब्ध करावें। यदि पूर्णतः राशि का व्यय नहीं किया गया तो इसके लिए कौन दोषी है? क्या विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? उत्तरदायी दोषी अधिकारियों की संस्थावार,जिलावार,संभागवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ड.)** मध्यप्रदेश में शासकीय सहायता प्राप्त कितने गैर शासकीय संस्थान विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं आई.टी.आई. तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित है? उनको कब-कब, कितनी-कितनी राशि शासकीय मदों से आवंटित की गई? वर्ष 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक वित्तीय वर्षवार, संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें।

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) मंत्री : *[**(क)** विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल है, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार** है, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार** है। विभाग की नीति अनुसार आई.टी.आई. की जानकारी विकासखण्डवार संधारित की जाती है, अत: संभागवार, जिलावार एवं विकासखण्डवार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नावधि से संबंधित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार** है। तकनीकी शिक्षा संचालनालय से संबंधित **जानकारी एकत्रित की जा रही है।** कौशल विकास संचालनालय की संस्थावार, विकासखण्डवार, जिलावार, मदवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार** है। **(ग)** विदिशा जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-06 अनुसार** है एवं शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-07 अनुसार** है। पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों से संबंधित छात्रवार **जानकारी एकत्रित की जा रही है।** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-08 अनुसार** है। **(घ)** राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल एवं तकनीकी शिक्षा संचालनालय की **जानकारी एकत्रित की जा रही है।** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-09 अनुसार** है, पूर्ण राशि व्यय न होने के लिये कोई अधिकारी/कमचारी दोषी नहीं है, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल एवं तकनीकी शिक्षा संचालनालय की **जानकारी एकत्रित की जा रही है।** शासकीय सहायता प्राप्त गैर शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं हैं, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।]* **(ख)** तकनीकी शिक्षा संचालनालय से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-10 अनुसार** है। **(ग)** तकनीकी शिक्षा संचालनालय से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-11 अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-12 अनुसार** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-13 अनुसार** है।

कृषि उपज मण्डी की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

27. परि.अता.प्र.सं. 40 (क्र. 1448) श्री उमाकांत शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में कुल कितनी कृषि उपज मण्डियाँ (अ) (ब) (स) एवं (द) श्रेणी में हैं? जिलेवार श्रेणीवार जानकारी उपलब्ध करावें। इन मण्डियों में गत वर्ष से प्रश्नांकित कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? वर्षवार मदवार, मण्डीवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा संचालन एवं रख-रखाव हेतु किन-किन फर्मों, संस्थाओं, कंपनियों को ठेके दिये गये हैं? कार्यादेश एवं निविदा शर्तों की जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मध्यप्रदेश में कितनी मण्डियों के गत वर्ष से प्रश्नांकित अवधि तक स्थान परिवर्तन किया गया है? कृषि उपज मण्डी का नाम, सर्वे क्रमांक, क्षेत्रफल, मण्डी के निर्माण हेतु मण्डी बोर्ड से दी गई राशि का विवरण, किये गये कार्यों की जानकारी मण्डी समितिवार देवें। **(ग)** प्रश्नकर्ता का कृषि उपज मण्डी सिरोंज को स्थानांतरण करने

हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चिन्हित पत्र सीएम मॉनिट ए+ 624/एसएमएस/2022 दिनांक 05.08.2022 पर क्या कार्यवाही की गई? एवं प्रश्नकर्ता के माननीय मंत्री जी, अपर प्रमुख सचिव, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश एवं कृषि विपणन बोर्ड भोपाल को, कौन-कौन से पत्र प्राप्त हुए हैं? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? पत्रों एवं कृत कार्यवाही की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है? तो कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतावे। प्रश्नकर्ता को पत्र की पावती से एवं कृत कार्यवाही से कब-कब अवगत कराया? पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(घ)** कृषि उपज मण्डी सिरोंज के स्थानांतरण हेतु क्या-क्या प्रक्रिया की जा चुकी है? पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं कब तक प्रक्रिया पूर्ण कर मण्डी का स्थानांतरण तथा नवीन भवन एवं परिसर निर्माण की स्वीकृति दी जावेगी? समय-सीमा बतावें।

किसान कल्याण मंत्री : [(क) म.प्र. में (अ) श्रेणी की 39 एवं **(ख)** श्रेणी की 42, **(ग)** श्रेणी की 56 एवं **(घ)** श्रेणी की 122 इस प्रकार कुल 259 मंडियां है। जिलेवार एवं श्रेणीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। सिरोंज मंडी में प्रश्नांकित अवधि में स्वीकृत निर्माण कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ-1 अनुसार** है। प्रश्नांश "क" की शेष भाग की जानकारी वृहद स्वरूप की होने से संकलित की जा रही है। **(ख)** प्रदेश अंतर्गत कृषि उपजमण्डी खुरई, नौगांव एवं छतरपुर में स्थान परिवर्तन किया गया है। शेष जानकारी वृहद स्वरूप की होने से संकलित की जा रही है। **(ग)** प्राप्त पत्रों एवं कृत कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। कार्यवाही प्रचलन में होने से माननीय प्रश्नकर्ता को अवगत नहीं कराया जा सका। **(घ)** प्रक्रिया एवं कार्यवाही की जानकारी उत्तरांश **(ग)** की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। कार्यवाही विस्तृत प्रकृति एवं बहुविभागीय होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।] **(क)** म०प्र० में (अ) श्रेणी की 39, एवं **(ख)** श्रेणी की 42, **(ग)** श्रेणी की 56, एवं **(घ)** श्रेणी की 122 इस प्रकार कुल 259 मंडियॉ है। जिलेवार एवं श्रेणीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। सिरोंज मंडी प्रश्नांकित अवधि में स्वीकृत निर्माण कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ-1 अनुसार** है। प्रश्नांकित अवधि में प्रदेश की मंडी समितियों में स्वीकृत निर्माण कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -अ-2 अनुसार** तथा संचालन एवं रख-रखाव हेतु दिये गये ठेके की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ-3 अनुसार** है। (ब) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में मध्यप्रदेश में सागर संभाग की 02 मंडियां कृषि उपज मंडी समिति खुरई एवं नौगाव में स्थान परिवर्तन किया गया है। सर्वे क्रमांक, क्षेत्रफल, मंडी के निर्माण हेतु मंडी बोर्ड से दी गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ-4 अनुसार** है। **(ग)** प्राप्त पत्रों एवं कृत कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। कार्यवाही प्रचलन में होने से माननीय प्रश्नकर्ता को अवगत नहीं कराया जा सका। **(घ)** प्रक्रिया एवं कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। कार्यवाही विस्तृत प्रकृति एवं बहुविभागीय होने से समय-सीमा बताया जाना सभव नहीं है।

एम.पी. ऑनलाइन संबंधी जानकारी

[उच्च शिक्षा]

28. ता.प्र.सं. 25 (क्र. 1845) श्री अनिल जैन कालूहेड़ा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** एम.पी. ऑनलाइन संस्था शासकीय, अशासकीय अथवा संयुक्त उपक्रम है? **(ख)** यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर संयुक्त उपक्रम है तो इसमें किस-किस संस्थान की कितनी-कितनी हिस्सेदारी है? **(ग)** उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एम.पी. ऑनलाइन के साथ अनुबंध कब संपादित किया? **(घ)** उच्च शिक्षा विभाग एम.पी. ऑनलाइन से क्या-क्या कार्य करवाता है एवं एम.पी ऑनलाइन द्वारा किस-किस कार्य का कितना-कितना शुल्क लिया जाता है, उसमें एम.पी. ऑनलाइन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग एवं महाविद्यालयों को कितनी-कितनी राशि का वितरण किया गया? वर्षवार, कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावें।

उच्च शिक्षा मंत्री : *[**(क)** संयुक्त उपक्रम है। **(ख)** मध्यप्रदेश शासन की 11 प्रतिशत तथा टी.सी.एस. की 89 प्रतिशत हिस्सेदारी है। **(ग)** ई-प्रवेश हेतु अनुबंध दिनांक 07.03.2019 को किया गया। महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन माध्यम से देने संबंधी आदेश 05.10.2018 जारी किया गया। शेष **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)** एम.पी. ऑनलाईन द्वारा ई-प्रवेश, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) के पाठ्यक्रमों में ऑनलाईन प्रवेश तथा महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र से संबंधित ऑनलाईन कार्य कराया जाता है। एम.पी. ऑनलाईन द्वारा लिए जाने वाले शुल्कों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। महाविद्यालयों को प्रदत्त राशि की **जानकारी एकत्रित की जा रही है।** विभाग को प्राप्त राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।]* **(ग)** ई-प्रवेश हेतु सर्वप्रथम एम.पी.ऑनलाईन से अनुबंध दिनांक 07-05-2019 को प्रवेश सत्र 2019-20 हेतु किया गया तदउपरांत एक-एक वर्ष की वृद्धि की गई जो कि 06 मार्च 2022 तक कार्यशील रहा। वर्ष 2023-24 में प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्यिगिकी विभाग की अध्यक्षता में एम.पी.ऑनलाईन सेवा शुल्क निर्धारण का कार्यवाही विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। जिसके आधार पर आगामी कार्यवाही की गई। 2. एनसीटीई के पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाईन अनुबंध दिनांक 17-07-2008 को 5 वर्ष तक के लिये किया गया। पुन: दिनांक 17-12-2012 से तीन वर्ष के लिये किया गया। दिनांक 30-08-2014 को पुन: तीन वर्ष हेतु अनुबंध किया गया। 3. अशासकीय महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाईन माध्यम से देने संबंधी आदेश दिनांक 05-10-2018 को जारी किया गया। **(घ)** राशि की गणना का कार्य किया जा रहा है।

<u>परिशिष्ट - "पांच"</u>

सहकारी समितियों के कार्य और अनियमितताओं के प्रकरण

[सहकारिता]

29. अता.प्र.सं.88 (क्र. 1892) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले में कौन-कौन सी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में अनियमितताओं के प्रकरण पंजीबद्ध हुए? संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारियों की सूची सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** विगत 03 वर्षों में प्रश्नांश (ख) समितियों के कार्यों एवं इनके लेखों की जांच किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा कब-कब की गयी? क्या इनके कार्यों/दायित्वों एवं लेखों में अनियमितता पायी गयी? यदि हाँ, तो किन-किन समिति में क्या-क्या अनियमितता पायी गयी और

प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में सहकारी समितियों और कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यों में लगातार पायी जा रही अनियमितताओं और बड़ी राशि का गबन करने के प्रकरणों को दृष्टिगत कर शासन/विभाग द्वारा अपराधिक प्रकरण दर्ज करने एवं दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश दिये जायेंगे? यदि हाँ, तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री : [***(क)*** *कटनी जिले में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में अनियमितताओं के प्रकरण एवं संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारियों की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** *(ग) दोषियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। दंडात्मक कार्यवाही की गई है। विस्तृत विवरण* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।*** **] (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 (क) अनुसार है।**

म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ द्वारा आवंटित दुकानों की जानकारी

[सहकारिता]

30. परि.अता.प्र.सं. 96 (क्र. 2142) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ सहकार भवन रंगमहल टॉकीज, न्यू मार्केट, भोपाल में दुकान क्रमांक 22, 23, 25 जिन दरों पर/एक मुश्त राशि जमा कराकर, जिस व्यक्ति/संस्था को लीज पर/किराएदारी आधार पर आवंटित की गई है, उनके नाम, पते सहित उक्त समस्त की मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ द्वारा निष्पादित प्रथम लीज डीड/किरायेदारी अनुबंध पत्र एवं नवीनीकृत समस्त लीज डीडों, डीड/किरायेदारी अनुबंधों की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। उक्त दुकानों की लीज नवीनीकरण/किरायेदारी अनुबंध का नवीनीकरण क्यों नहीं किया गया, इसके लिए विभाग का कौन अधिकारी दोषी है? बतावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में दुकान कमांक 22, 23, 25 के प्रथम लीज डीड/किरायेदारी अनुबंध निष्पादन के दिनांक से प्रश्न दिनांक तक आवास संघ में जमा कराए गए किराए एवं अन्य जी.एस.टी. करों की जानकारी उपलब्ध करावें एवं बकाया किराए की जानकारी प्रश्न दिनांक तक की उपलब्ध करावें एवं उक्त दुकानें वर्तमान में कौन व्यक्ति किस अधिकार से संचालित कर रहा है? इसके गुमाश्ते की छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या यह सत्य है कि उक्त दुकान क्रमांक 22, 23 के मूल आवंटी किरायेदार/लीजधारी का स्वर्गवास वर्ष 2019 में हो गया था? यदि हाँ, तो उक्त दुकान क्रमांक 22, 23 आवास संघ से बिना किसी हस्तांतरण/नामांतरण के किस नियम एवं अधिकार के विभाग के किस सक्षम अधिकारी की अनुमति से बिना किसी किरायेदारी अनुबंध/लीज नवीनीकरण के कौन एवं क्यों वर्तमान में संचालित कर रहा है? बतावें। कब तक उक्त दुकान क्रमांक 22, 23 को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ सील कर अपने आधिपत्य में वापस ले लेगा? निश्चित समयावधि बतावें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं? कारण बतावें। कुल कितने आवेदन दुकान नंबर 25 के मूल आवंटी श्रीमती गीता गुप्ता द्वारा किरायेदारी अनुबंध नवीनीकरण हेतु आवास संघ को दिए हैं? बतावें। **(घ)** क्या यह सत्य है कि जून 2024 में प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा विभागीय मंत्री, विभागीय प्रमुख सचिव एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ को पृथक-पृथक पत्र लिखकर उक्त दुकान क्रमांक 22, 23 को सील किया जाकर अपने आधिपत्य में लेने एवं दुकान क्रमांक 25 का लीज नवीनीकरण/किरायेदारी नवीनीकरण किए जाने हेतु पत्र लिखे गए

थे? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों नहीं? इसके लिए कौन दोषी है? बतावें।

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है/*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार** एवं निष्पादित प्रथम लीज डीड/किरायेदारी अनुबंध पत्र एवं नवीनीकृत समस्त लीज डीड / किरायेदारी अनुबंधों की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार**, लीज नवीनीकरण /किरायेदारी अनुबंध का नवीनीकरण नहीं करने संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है**, शेष प्रश्न उपस्थित नही होता। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार** एवं वर्तमान में दुकान संचालित करने के संबंध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार,** गुमास्तों की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-06 अनुसार है। (ग)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार**, समय-सीमा बताया जाना संभव नही हैं, दुकान क्रमांक 25 किराये अनुबंध नवीनीकरण हेतु आवास संघ को प्राप्त हुये आवेदन पत्रों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-07 अनुसार है। (घ)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-08 अनुसार है।** शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

जिला भोपाल में पंजीकृत गृह निर्माण समितियों की जानकारी
[सहकारिता]

31. परि.अता.प्र.सं. 97 (क्र. 2143) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला भोपाल में पंजीकृत राजहर्ष गृह निर्माण समिति, महाकाली गृह निर्माण समिति, दानिश गृह निर्माण समिति का पंजीयन उपायुक्त सहकारिता के समक्ष किस दिनांक में किया गया था एवं उक्त गृह निर्माण समिति के नाम पर कुल कितनी भूमि किस खसरा क्रमांक एवं कुल कितने रकबे में किस ग्राम में स्थित है? उसकी संपूर्ण जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें एवं उक्त गृह निर्माण समिति के पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक की स्थिति में कुल कितने सदस्य बनाए गए? उनमें से कितने सदस्यों को भूखण्ड आवंटन किए गए एवं कितने सदस्यों को आज तक भूखण्ड आवंटन नहीं किए गए? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित गृह निर्माण समितियों के द्वारा सदस्यों को भूखण्ड आवंटन करने के पूर्व गृह निर्माण समिति का ले-आउट एवं संशोधित ले-आउट संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग भोपाल/आवास पर्यावरण विभाग से स्वीकृत कराया गया। उक्त स्वीकृत ले-आउट एवं संशोधित ले-आउट के समस्त आदेशों की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। उक्त में से किन गृह निर्माण समितियों द्वारा स्वीकृत एवं संशोधन ले-आउट के विपरीत मनमाने आधार पर पार्क, खुले स्थान, खेल मैदान एवं अन्य सामुदायिक उपयोग की भूमि पर भी भूखण्ड काटकर किस नियम के तहत विक्रय किए गए हैं? **(ग)** क्या यह सत्य है कि उक्त गृह निर्माण समितियों द्वारा वास्तविक गृह निर्माण समिति के सदस्यों को भूखण्ड आवंटित नहीं कर खुले बाजार में भू-माफिया बिल्डर से अनुबंध कर गृह निर्माण समिति के भूखण्ड विक्रय कर दिए गए हैं? यदि हाँ, तो इस संबंध में पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें एवं इस संबंध में विभाग द्वारा एवं सक्षम अधिकारी उपायुक्त सहकारिता भोपाल द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों नहीं की गई? बतावें। **(घ)** क्या यह सत्य है कि प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा

भी जून 2024 में विभागीय प्रमुख सचिव, मंत्री एवं मुख्यमंत्री को उक्त गृह निर्माण समितियों की लिखित शिकायत की है? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही सदन में उत्तर देने के दिनांक तक की गई? बतावें। यदि नहीं, की गई तो क्यों नहीं की गई?

सहकारिता मंत्री : *[(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]* **(क)** पंजीयन दिनांक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार** है, राजहर्ष, महाकाली, दानिश गृह निर्माण समिति की भूमि से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02, 03 एवं 04 अनुसार** है। पंजीयन दिनांक से बनाये गये सदस्यों की जानकारी, सदस्यों को आवंटित भूखण्ड एवं जिन सदस्यों को भूखण्ड का आवंटन नहीं किया गया है, की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार** है। **(ख)** राजहर्ष एवं दानिश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल के स्वीकृत ले-आउट की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-06 एवं 07 अनुसार** है। महाकाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल का रिकार्ड अप्राप्त है। रिकार्ड जप्ती हेतु उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत जप्ती अधिकारी की नियुक्ति की गई है, रिकार्ड जप्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्नांश की जांच हेतु उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल को निर्देशित किया गया है, शेष जांच निष्कर्षाधीन। **(ग)** उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। **(घ)** राजहर्ष एवं महाकाली गृह निर्माण सहकारी संस्था के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच हेतु उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल को आदेशित किया गया है।

दिनांक 9 जुलाई, 2024

न्यायालय निर्णय का पालन
[नर्मदा घाटी विकास]

32. अता.प्र.सं.62 (क्र. 2146) श्री फूलसिंह बरैया : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शिकायत निवारण प्राधिकरण इन्दौर खण्डपीठ क्र.5 के अध्यक्ष ने ग्राम एकलबारा मनावर जिला धार के प्रकरण क्रमांक 321/2009 आदेश दिनांक 04.01.2016 में अपीलार्थी के दोनों पुत्रों को, कृषि भूमि व रहवासी प्लाट की राशि दावा उत्पन्न दिनांक से साधारण ब्याज सहित बैंक खाते में भुगतान करने के आदेश दिये हैं? **(ख)** क्या 02 हेक्टेयर कृषि भूमि व एक प्लाट की राशि कलेक्टर गाइड लाइन अनुसार प्रत्येक के बैंक खाते में जमा की जावेगी? **(ग)** उक्त राशि जमा नहीं करने हेतु दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? क्या नियमानुसार साधारण ब्याज के रूप में भुगतान की राशि, संबंधित अधिकारी के वेतन से वसूल की जावेगी?

मुख्यमंत्री : *[(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]* **(क)** प्रकरण क्रमांक 321/2009 में दिनांक 04.01.2016 को यह आदेश पारित किया गया है कि आवेदक श्री नत्थु पिता श्री गोविंद के दोनों वयस्क पुत्रों को कृषि भूमि रहवासी प्लाट दिये जाये। उक्त प्रकरण में पारित आदेश का पालन कराये जाने बाबत् आवेदक द्वारा एक आवेदन शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया

गया, जिसे शिकायत निवारण प्राधिकरण इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर क्रमांक 02 के प्रकरण क्रमांक 126/2017 पर पंजीबद्ध किया जाकर शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28/06/2018 को आदेश पारित कर आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष न देते हुये आवेदक के आवेदन को इस दिशा-निर्देश के साथ खारिज किया गया कि आवेदक का नाम "विस्थापित परिवार" की सूची में दर्ज नहीं होने से आवेदक का आवेदन विचारण योग्य नहीं है। आवेदक पहले स्वयं को "विस्थापित परिवार" के रूप में सूची में दर्ज कराने के लिये संबंधित भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी के समक्ष कार्यवाही करें। **(ख)** एवं **(ग)** उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

शासकीय अनुदान में भ्रष्टाचार
[महिला एवं बाल विकास]

33. अता.प्र.सं.75 (क्र. 2284) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुलताई विधानसभा की 134 ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका क्षेत्र में कुल कितनी आंगनवाड़ियां संचालित है, इन आंगनवाड़ियों में विगत 3 वर्षों की धात्री महिलाओं एवं शिशुओं की दर्ज संख्या का विवरण उपलब्ध कराया जावें? **(ख)** प्रश्नांश (क) में दर्ज संख्या के विपरीत माहवार वास्तविक उपस्थिति का सत्यापन क्या किसी अधिकारी कर्मचारी अथवा जनप्रतिनिधि द्वारा किए जाने के नियम है? यदि नहीं, तो क्या विभाग ऐसे निर्देश जारी करेगा की आंगनवाड़ी में दर्ज संख्या के विपरीत वास्तविक उपस्थिति का माहवार सत्यापन किया जा सके? **(ग)** मुलताई विधानसभा में संचालित आंगनवाड़ियों में शासन द्वारा धात्री महिलाओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य हेतु कौन-कौन सी योजनाएं चालू है, इन योजनाओं में प्रति हितग्राही कितनी-कितनी मात्रा में क्या-क्या लाभ प्रदाय किए जाने के नियम है? **(घ)** प्रश्नांश (ग) में विगत 5 वर्षों की आंगनवाड़ीवार वितरित पोषण आहार की जानकारी उपलब्ध कराई जावें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : *[**(क)** मुलताई विधानसभा की 134 ग्राम पंचायत क्षेत्र में 316 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं नगर पालिका क्षेत्र में 16 आंगनवाड़ी केन्द्र, इस प्रकार कुल 332 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट**-"एक" पर है। **(ख)** आंगनवाड़ी में दर्ज संख्या के अनुसार वास्तविक उपस्थिति का माहवार सत्यापन पर्यवेक्षक एवं परियोजना अधिकारी द्वारा भ्रमण के दौरान किया जाता है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-दो पर** है। **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]* **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "3" पर** है।

आपराधिक रिकार्ड की जानकारी
[गृह]

34. अता.प्र.सं.123 (क्र. 2575) श्री राजेन्द्र भारती : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक दतिया जिला में कुल कितने अपराध घटित हुए हैं? कृपया थानावार, वर्षवार घटित/पंजीबद्ध अपराधों की अलग-अलग श्रेणीवार जानकारी प्रदाय करें। क्या अपराधों में आर्म्स एक्ट की धारा 25-27, आबकारी एक्ट की धारा 34 एवं 34 (2) एवं आई.पी.सी. की धारा 327 भी पंजीबद्ध किये गये? यदि हाँ, तो थानावार, वर्षवार आरोपियों के नाम/पता सहित विवरण दें? **(ख)** क्या पुलिस द्वारा जप्त शराब एवं अवैध शस्त्रों का भौतिक सत्यापन किये जाने का

नियम है? यदि हाँ, तो कृपया किस अधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया? कृपया थानावार सत्यापित करने वाले अधिकारियों के नाम/पते बतायें। **(ग)** प्रश्नांश (क) में पंजीबद्ध प्रकरणों में कितने चालान पुलिस द्वारा न्यायालयों में प्रस्तुत किये जा चुके हैं? कृपया प्रकरणों की कुल संख्या एवं न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये प्रकरणों की संख्या का विवरण वर्षवार, थानावार प्रस्तुत करें। **(घ)** उक्त पंजीबद्ध प्रकरणों में से पुलिस द्वारा कितने प्रकरणों में एफ.आर. एवं ई.आर. लगाई गई? कृपया वर्षवार, थानावार अपराधों की जानकारी दें।

मुख्यमंत्री : ***[(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ", "ब", "स" एवं "द" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ई" अनुसार।** **(ग)** एवं **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" में समाहित।**

अपार खनिज भण्डार की जानकारी
[खनिज साधन]

35. परि.अता.प्र.सं. 98 (क्र. 2584) श्री हरिशंकर खटीक : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** टीकमगढ़ जिले में खनिज संपदा से वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार कितनी-कितनी राजस्व आय प्राप्त हुई है? कृपया वर्षवार एवं किस प्रकार से प्रतिवर्ष आय हुई, की सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि जिले में कहाँ-कहाँ अपार खनिज भण्डार है? इसका सर्वे कब-कब हुआ था? क्या रॉक फॉसफेट, आयरन, डायस्पोर/पायरोलाइट एवं हीरा खनिज की मात्रा जिले में अगर है तो कहाँ-कहाँ एवं किस खसरा नं. में कितने-कितने रकबा में एवं किस ग्राम के किस तहसील में है? कृपया सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि खनिज पट्टा दिए जाने हेतु वर्तमान में कौन-कौन से नियम हैं? कृपया ऐसे आदेशों एवं नियमों की छायाप्रतियां प्रदाय कर सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें एवं यह भी बताएं कि टीकमगढ़ जिले की कौन-कौन सी खनिजों के वर्तमान में किस-किस को कब तक के लिए पट्टा प्रदाय है? कृपया ऐसे पट्टाधारी का नाम एवं पूरा पता, खनिज का नाम, खसरा नं, स्वीकृत क्षेत्र हेक्टेयर में, गाम, तहसील एवं विभागीय अमले द्वारा खनिज पट्टा स्थल निरीक्षण समयावधि सहित सम्पूर्ण जानकारी इसके आदेश की छायाप्रतियां सहित प्रदाय करें। **(घ)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) एवं **(ग)** के आधार पर बताएं कि जब टीकमगढ़ जिले में खनिज के अपार भण्डार हैं तो क्या इन खनिजों के आधार पर जिले में किस-किस का वृहद उद्योग औद्योगिक नीति एवं निवेश विभाग द्वारा खोला जा सकता है? विभाग से सहमति लेने क्या प्रस्ताव लंबित है? विभाग कब तक सहमति दे देगा? सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें।

मुख्यमंत्री : ***[(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर दर्शित है। (ख) जिले का विभाग द्वारा वर्ष 1968-1969 एवं 1975-76 में सर्वे किया गया है, जिसमें तहसील टीकमगढ़ के ग्राम खैरा, कारी, नगवारा, क्षेत्र में गड्ढाकरण एवं नालीकरण द्वारा डायस्पोर/पायरोलाइट होने की संभावना दर्शाई गई है। सर्वे का कार्य प्राथमिक चिन्हांकन के आधार पर किया जाता है। खसरा एवं रकबा से नहीं किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 अधिसूचित है। टीकमगढ़ जिले में स्वीकृत खनि रियायतों एवं खदान क्षेत्र का स्थल निरीक्षण***

प्रतिवेदन की ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर दर्शित*** *है।* ***(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(घ)** औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार विभाग द्वारा स्वयं उद्योग स्थापित नहीं किये जाते अपितु वृहद श्रेणी की पात्र औद्योगिक इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अंतर्गत प्रावधानित सुविधा/सहायता प्रदान की जाती है। मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के टीकमगढ़ जिले में खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना की राशि का अन्य मद में उपयोग
[महिला एवं बाल विकास]

36. अता.प्र.सं.143 (क्र. 2634) श्री उमंग सिंघार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रारंभ दिनांक से 10 जून 2024 तक की अवधि में किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि का बजट आवंटन किया एवं लाड़ली लक्ष्मी कोष में कितनी राशि जमा है तथा कितने हितग्राहियों का पंजीयन किया गया और लाड़ली लक्ष्मी कोष के विरूद्ध कितनी राशि के आश्वासन पत्र हितग्राहियों को बांटे गये है? कृपया वित्तीय वर्षवार जानकारी दें? **(ख)** क्या लाड़ली लक्ष्मी निधि में जमा राशि का उपयोग किसी अन्य मद किया है? यदि हाँ, तो कितनी राशि का उपयोग किया गया? **(ग)** क्या म.प्र. लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम के तहत कक्षा 6वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं एवं 12वीं के पश्चात् स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के समय पर प्रति हितग्राही को कितनी-कितनी राशि दिए जाने के प्रावधान है? **(घ)** प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में माह अक्टूबर 2022 से 10 जून, 2024 की अवधि में कितनी-कितनी राशि हितग्राहियों को प्रवेश लेने के समय दी गई है? इस राशि की व्यवस्था किस-किस मद से की गई? कृपया वर्षवार बतायें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : *[* ***(क)*** *लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रारंभ वर्ष 2007 से 10 जून 2024 तक की अवधि में बजट आवंटन वित्तीय वर्षवार* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट"अ" पर*** *है, लाड़ली लक्ष्मी कोष में जमा राशि का विवरण* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" पर*** *एवं हितग्राहियों के पंजीयन की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" पर*** *है । लाड़ली लक्ष्मी योजना कोष के विरुद्ध आश्वासन प्रमाण-पत्र दिए जाने का प्रावधान नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।* ***(ख)*** *वित्त विभाग से* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ***(ग)*** *म.प्र. लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम के तहत कक्षा 6वीं,9वीं, 11वीं, 12वीं क्रमशः राशि रू. 2000, 4000, 6000, 6000 एवं 12वीं के पश्चात स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के समय पर प्रति हितग्राही प्रथम किश्त के रूप में 12,500/- तथा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में द्वितीय किश्त के रूप में 12,500/- देय होगी कुल 25,000/- राशि दिए जाने का प्रावधान है।* ***(घ)*** *प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में माह अक्टूबर 2022 से 10 जून 2024 की अवधि में राशि का विवरण वर्षवार* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" पर*** *है। इस राशि की व्यवस्था छात्रवृत्ति हेतु 55-2235-02-103-0101-5067-41-002 एवं बालिका प्रोत्साहन*

55-2235-02-103-0101-5067-42-006 मद से की गई है।] **(ख)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 10 जुलाई, 2024

किसानों की दुर्घटना में आर्थिक सहायता
[राजस्व]

37. अता.प्र.सं.18 (क्र. 995) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. में कुल कृषि भूमि कितनी दर्ज है कुल रकबा बताएं एवं कितनी सिंचित अथवा असिंचित हैं पृथक-पृथक प्रतिशत में बतायें? **(ख)** किसानों को राज्य सरकार/विभाग द्वारा कृषि कार्य करते समय घायल होने पर अथवा मृत्यु होने पर किस तरह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं? यदि की जाती है तो किस योजना के तहत् राशि कितनी दी जाती हैं? **(ग)** म.प्र. में वर्ष 2023-24, 2024-2025 में अभी तक कितने किसानों को घायल होने अथवा मृत्यु होने पर आश्रितों को सहायता प्रदान की गई है? **(घ)** क्या किसानों को कृषि कार्य के अलावा अन्य सामान्य घटना, दुर्घटना में मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है?

राजस्व मंत्री : *[(क) जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख) जानकारी संकलित की जा रही है।** (ग) जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** जी हाँ।]* **(ख)** राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत उल्लेखित प्राकृतिक आपदाओं से जनहानि/ शारीरिक अंग हानि/ गंभीर शारीरिक क्षति होने पर आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है। किसानों को कृषि कार्य करते समय घायल होने अथवा मृत्यु होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत पृथक से आर्थिक सहायता हेतु प्रावधान नहीं है।

चिकित्सा विभाग में पद पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

38. अता.प्र.सं.145 (क्र. 2788) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अलीराजपुर जिला क्षेत्रान्तर्गत जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य समस्त केन्द्र जिनके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं संचालित हैं, उनमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने पद स्वीकृत किये गये हैं? कृपया पद, नाम एवं संख्या सहित केन्द्रवार जानकारी देवें। **(ख)** उक्त पदों की तुलना में वर्तमान में कितनी पद पूर्ति हो चुकी है तथा कौन-कौन शासकीय सेवक कौन-कौन से केन्द्र पर पदस्थ है? कृपया केन्द्रवार, पदस्थ सेवक के नाम सहित जानकारी देवें। **(ग)** कितने पद रिक्त है? रिक्त पदों की जानकारी केन्द्रवार एवं पदनाम सहित जानकारी देवें। रिक्त पद रहने का क्या कारण है? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी? **(घ)** जिला अलीराजपुर में 200 बेड की स्वीकृति की घोषणा की गई थी? भवन निर्माण, डॉक्टरों के पदपूर्ति एवं अन्य स्टॉफ की पूर्ति नहीं की गई है?

क्या कारण है? कब तक भवन निर्माण स्वीकृति, डॉक्टरों एवं अन्य स्टॉफ की पूर्ति की जावेगी? अवधि बतावें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : *[(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]* **(क)** अलीराजपुर जिला क्षेत्रांतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 913 पद स्वीकृत किये गये है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** कुल 438 पद रिक्त है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। वर्ष 2023 में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 15 चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना अलीराजपुर जिले अंतर्गत की गई थी, उक्त में से 05 चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना जिला चिकित्सालय अलीराजपुर में की गई है। इसके अतिरिक्त अलीराजपुर जिले अंतर्गत 07 एम.बी.बी.एस. बंधपत्र चिकित्सकों, वर्ष 2023-24 में 17 पी.जी. बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना भी अलीराजपुर जिले अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं में की गई है। इनमें से 13 चिकित्सकों को जिला चिकित्सालय अलीराजपुर में पदस्थ किया गया है। चिकित्सकों का चयन पी.जी. अध्ययन/ उच्च अध्ययन में होना अथवा चिकित्सा महाविद्यालय में बंधपत्र हेतु चयनित होना अथवा बंधपत्र राशि जमा कर बंधपत्र से मुक्त होने के कारण चिकित्सकों के कार्यग्रहण नहीं करने से चिकित्सकों की कमी बनी रहती है। उक्त के अतिरिक्त अन्य दो पदों की पूर्ति हेतु नियमित कार्यवाही की जाती है। पदपूर्ति हेतु शासन के निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता होना एवं नियुक्ति उपरांत चिन्हित संस्थाओं में कार्य किया जाना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। उक्त की अनुउपलब्धता में पद रिक्त रहना संभावित है। पदपूर्ति की प्रक्रिया निरंतर की जा रही है, शतप्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बतायी जाना संभव नहीं है। **(घ)** जी हाँ। जिला चिकित्सालय अलीराजपुर का 100 से 200 बिस्तरीय अस्पताल भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य हेतु शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 12.09.2023 को जारी की जा चुकी है। जानकारी उत्तरांश (ग) में समाहित है। जानकारी उत्तरांश (ग) में समाहित है। भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है। जानकारी उत्तरांश (ग) में समाहित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दिनांक 11 जुलाई, 2024

अंतिम संस्कार के लिए भूमि का आवंटन
[विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण]

39. परि.अता.प्र.सं. 17 (क्र. 1141) डॉ. चिंतामणि मालवीय : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, यह बताने की कृपा करेंगे कि विमुक्त घुमक्कड़ जाति सपेरे, कुचबंधीय, जोगी, नाथ या अन्य समुदाय के लोगों को अपनी अंतिम क्रिया संस्कार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाता है इनके अंतिम संस्कार के लिए कितने ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा जमीन आवंटित की गई?

राज्यमंत्री, विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण : *[जानकारी एकत्रित की जा रही है।]* जी नहीं, विमुक्त घुमक्कड़ जाति सपेरे, कुचबंधीय, जोगी, नाथ या अन्य समुदाय के लोगों को अपनी अंतिम क्रिया संस्कार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी जाति/समुदायों को अंतिम संस्कार करने के लिए कोई रोक नहीं है। इनके अंतिम संस्कार के लिए जिला शाजापुर के अनुभाग गुलाना क्षेत्र अन्तर्गत नाथ समुदाय के लोगों के अंतिम संस्कार करने हेतु पृथक से जमीन आवंटित की गई है जिसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है एवं जिला मन्दसौर के सीतामऊ तहसील अन्तर्गत ऐरा, सीतामऊ, सगोर, नहारगढ़ ग्राम पंचायत और सुवासरा तहसील अन्तर्गत गुराडिया विजय में अंतिम संस्कार हेतु भूमि आंवटित कराई गई है जिसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - "छः"</u>

प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत लाभान्वित हितग्राही
[नगरीय विकास एवं आवास]

40. ता.प्र.सं. 2 (क्र. 2913) श्री राजेन्द्र भारती : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दतिया नगर पालिका एवं बड़ौनी नगर पंचायत द्वारा PM आवास योजना में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है? कृपया हितग्राहियों के नाम/पता सहित बतायें कि मौका स्थल पर कितने भवन पूर्ण एवं अपूर्ण हैं? क्या उक्त हितग्राहियों में वर्तमान पार्षदों सहित उनके परिवार के सदस्य भी सम्मिलित हैं? यदि हाँ, तो क्या नगर पंचायत बड़ौनी में वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद ने स्वयं एवं अध्यक्ष ने अपने परिवारजनों को लाभान्वित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या शासन/कलेक्टर से उक्त भवनों की जांच के अंतर्गत वीडियोग्राफी कराकर जांच कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कृपया अनियमिताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में जांच रिपोर्ट सहित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। **(ख)** क्या उक्त संबंध में उक्त शिकायतों के अतिरिक्त शासन प्रशासन को और भी अन्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हो तो शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है? कृपया वर्षवार जांच प्रतिवेदन दें। बड़ौनी एवं दतिया नगर पालिका में ऐसे कितने स्वीकृत प्रकरण हैं, जिनमें प्रथम द्वितीय/तृतीय किस्ते (राशि) नहीं दी जा रही है? कृपया स्वीकृत प्रकरणों सहित किस्तों की सूचियां प्रदाय करते हुए राशि न देने का क्या कारण है? क्या मुख्य कारण भ्रष्टाचार ही है? यदि नहीं, तो उक्त स्वीकृत प्रकरणों की प्रकरणवार प्रथम द्वितीय/तृतीय किस्ते (राशि) दी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** दतिया नगर पालिका एवं बड़ौनी नगर पंचायत में उक्त वर्षों में कितने-कितने निर्माण कार्य एवं खरीदी की गई है? क्या उक्त संबंध में संस्थाओं द्वारा विज्ञप्ति एवं कोटेशन जारी की गई? यदि हाँ, तो कौन-कौन कंपनियों/फर्मों/ठेकेदारों के द्वारा टेण्डर/कोटेशन प्रदान किये गये हैं? कृपया वर्षवार सूची सहित स्वीकृत टेण्डर कोटेशन एवं कार्यादेश की सूची की अलग-अलग जानकारी देते हुये कैशबुक, बिल वाउचर की वर्षवार मदवार प्रतियां उपलब्ध करायें। **(घ)** दतिया नगर पालिका एवं बड़ौनी नगर पंचायत में फायरब्रिगेड सहित कितने-कितने वाहन संचालित हो रहे हैं? उक्त वाहन में संस्थाओं के कितने वाहन माह प्राईवेट कितने वाहन संचालित उक्त वाहनों में प्रतिदिन पैट्रोल एवं पर

कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? कृपया माहवार, वर्षवार, शहरवार जानकारी देते हुये पेट्रोल वाहन की लॉकबुक की प्रतियां सहित अलग-अलग संपूर्ण जानकारी प्रदाय करें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : *[(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।]* **(क)** नगर पालिका दतिया तथा नगर पंचायत बड़ौनी में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी अंतर्गत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक लाभांवित किये गये हितग्राहियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"1" अनुसार** है। हितग्राहियों के नाम, पता सहित आवासों की पूर्ण/अपूर्ण भौतिक प्रगति तथा उक्त हितग्राहियों में वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद सहित उनके परिवार के सदस्यों को लाभांवित किये जाने की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"2" अनुसार** है। नगर पंचायत बड़ौनी के पत्र क्रमांक 1422 दिनांक 25.07.2024 द्वारा कलेक्टर जिला दतिया को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद सहित एवं उनके परिवारजनों के लाभ के संबंध में जानकारी तथा वीडियों प्रेषित किया गया है। लाभार्थियों को योजना के लाभ देने की कार्यवाही योजना के निर्देशानुसार किये जाने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** शिकायत की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"3"** एवं भौतिक प्रगति की जियो टैगिंग के आधार पर किश्त प्रदाय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"4" अनुसार** है तथा हितग्राहियों को प्रदाय की गई किश्तों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"5" अनुसार** है। **(ग)** नगर पालिका दतिया एवं नगर पंचायत बड़ौनी में प्रश्नाधीन अवधि में निर्माण कार्यों की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"6"** एवं सामग्री क्रय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"7" अनुसार** है। स्वीकृत टेंडर, कोटेशन, कार्यादेश, केशबुक, बिल एवं बाउचर की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"8" अनुसार** है। **(घ)** नगर पालिका दतिया एवं नगर पंचायत बड़ौनी में संचालित फायर ब्रिगेड एवं पेट्रोल वाहनों की वर्षवार, माहवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"9" अनुसार** है तथा संबंधित लॉगबुक की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"10" अनुसार** है।

खर्च की गई राशि की जानकारी
[नगरीय विकास एवं आवास]

41. अता.प्र.सं.111 (क्र. 3024) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिवपुरी जिले में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में नगरपालिका शिवपुरी एवं जिले की समस्त नगर पंचायतों में किन-किन कार्यक्रमों में टेंट, लाईट लगाई गई एवं कितना भोजन कितनी-कितनी राशि के कब-कब कार्यक्रमवार प्रदाय किये गये? भुगतान की गई राशि के बिल एवं व्हाउचरों की छायाप्रति सहित जानकारी देने का कष्ट करें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्य किस-किस फर्म/संस्था के द्वारा किस दर में, किसके स्वीकृति आदेश से किया गया, स्वीकृत आदेश के समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति सहित जानकारी दें? **(ग)** क्या नगरपालिका शिवपुरी एवं समस्त नगर पंचायतों में बगैर निविदा आमंत्रित किये मन-माने तरीके से टेंट, लाइट एवं भोजन प्रदाय के आदेश जारी किये गये? यदि हाँ, तो क्यों? नहीं तो प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि एवं कार्यों के लिए कब-कब निविदाएं आमंत्रित की गई? निविदाओं के तुलना पत्रक एवं स्वीकृति पत्रक की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी दें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : *[(क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।]* **(क)** निकायवार (शिवपुरी, पिछोर, करैरा, खनियाधाना, बदरवास, कोलारस, नरवर, बैराड, पोहरी एवं रन्नौद) की **जानकारी**

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। नगर परिषद मगरोनी द्वारा कोई भी भुगतान नही किया गया है। **(ख)** निकायवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ग)** जी नही, शिवपुरी जिले की अन्य निकाय द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के प्रावधानों का पालन करते हुये कार्यवाही की गई है। निकायवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है।

संचालित गार्डन और स्विमिंग पुलों की जानकारी
[नगरीय विकास एवं आवास]

42. अता.प्र.सं.117 (क्र. 3076) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नगर निगम भोपाल सीमा अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में गार्डन/ रिजॉर्ट/रेस्टोरेंट, स्विमिंग पुलों का संचालन बिना शासन की अनुमति एवं बिना लाइसेंस किया जा रहा है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या 1 वर्ष से प्रश्न तक बिना लाइसेंस संचालित स्विमिंग पुलों में हुई दुर्घटना में कई व्यक्तियों की मौत हो चुकी है? यदि हाँ, तो किस-किस दिनांक को कहां-कहां तथा कौन-कौन सी घटनाएं घटित हुई है? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में गार्डन/रिजॉर्ट/रेस्टोरेंट/स्विमिंग पुलों का बिना लाइसेंस संचालित किए जाने के लिए कौन-कौन दोषी है? क्या दोषियों पर कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब-कब तथा क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कार्यवाही न किए जाने की क्या-क्या कारण है?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : ***[(क) से (ग) जानकारी सकंलित की जा रही है।]*** (**क**) नगर निगम भोपाल सीमान्तर्गत वर्तमान तक कुल 90 मैरिज गार्डन के लायसेंस मध्यप्रदेश नगर पालिका (विवाह स्थल का पंजीयन एवं उपभोग) आदर्श उपविधियां 2020 के अन्तर्गत गार्डन/रिजोर्ट/रेस्टोरेंट के लायसेंस जारी किए गए हैं, बिना अनुमति के संचालित किए जा रहे मैरिज गार्डनों को नियमानुसार लायसेंस प्राप्त करने के पश्चात ही संचालन किए जाने हेतु सूचित किया गया है। **(ख)** प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। **(ग)** प्रश्नांश (क) में दी गई जानकारी अनुसार बिना अनुमति संचालित गार्डन/रिजोर्ट/रेस्टोरेंट के विरूद्ध आदर्श उपविधियों के प्रावधानानुसार सूचना पत्र जारी किए गए हैं एवं बिना अनुमति संचालित गार्डन/रिजोर्ट/रेस्टोरेंट को सील करने की कार्यवाही की गई है। मेरिज गार्डन/रिजोर्ट/रेस्टोरेंट में बिना अनुमति संचालित स्वीमिंग पूल के संबंध में नगरपालिक निगम भोपाल द्वारा 09 संचालकों को नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीमिंग पूल का संचालन किए जाने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये है। बिना अनुमति संचालित अन्य स्वीमिंग पूल पर सर्वे उपरांत कार्यवाही की जा सकेगी। शेषांश का प्रश्न का उपस्थित नहीं होता है।

वित्तीय अनियमितता की विभागीय जांच
[नगरीय विकास एवं आवास]

43. परि.अता.प्र.सं. 99 (क्र. 3085) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इन्दौर नगर निगम में हाल ही में पाये गये 117 करोड़ के घोटाले के संदर्भ में बतावें कि इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई तथा इस बारे में की गई विभागीय जांच में कौन-कौन दोषी पाया गया? जांच रिपोर्ट की प्रति देवें तथा किस-किस पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई? एफ.आई.आर. की प्रति देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के घोटाले के मद्देनजर अन्य सारी नगरीय निकाय में इन्दौर घोटाले के बिन्दु अनुसार जांच की जायेगी। क्या ऐसा वक्तव्य मा. मंत्री जी ने दिया था? यदि हाँ, तो बतावें कि जांच हेतु निकाले गये आदेश की प्रति देवें तथा बतावें कि किस-किस नगरीय निकाय की जांच हो चुकी है तथा जांच में क्या पाया गया? **(ग)** नगर निगम रतलाम, इन्दौर, उज्जैन में वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक विभिन्न निर्माण तथा रख-रखाव के कार्य जो पूर्व की स्वीकृत दरों पर कराये गये हों, उनके ठेकेदार का नाम, कार्य स्थल, कार्य का प्रकार, दर, कुल राशि, कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक, कार्य समाप्त करने की दिनांक, भुगतान की तारीख सहित सम्पूर्ण जानकारी दें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित नगर निगम में वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक किस-किस कार्य के लिये 20 लाख से अधिक राशि के कार्य के टेण्डर निकाले गये? ठेकेदार का नाम जिसका टेण्डर न्यूनतम रह कर स्वीकृत हुआ, कार्य का स्थान, कार्य का नाम, अनुबंध की दिनांक, दर, कुल टेण्डर लागत, कार्य प्रारम्भ तथा समाप्ति की दिनांक, भुगतान की राशि और दिनांक सहित सूची दें। **(ड.)** प्रश्नांश (ग) तथा **(घ)** में उल्लेखित कार्य में से किस-किस कार्य में अनियमितता, घोटाला, भ्रष्टाचार पाया गया? उसकी सूची विस्तृत जानकारी सहित दें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : *[(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]* (**क**) शिकायत प्राप्त होने पर जांच समिति का गठन किया गया। जांच प्रतिवेदन की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। एफ.आई.आर. की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** नगर पालिक निगम, उज्जैन एवं रतलाम में वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक विभिन्न निर्माण कार्य तथा रख-रखाव के कार्य पूर्व स्वीकृत दर पर नहीं कराए गए हैं। नगर पालिक निगम, इंदौर द्वारा उल्लेखित अवधि में कराए गए कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। **(घ)** नगर पालिक निगम, इंदौर, उज्जैन एवं रतलाम में उल्लेखित अवधि में कराए गए कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है। **(ड.)** जानकारी निरंक है।

कुत्तों एवं अन्य जानवरों से संबंधित जानकारी
[नगरीय विकास एवं आवास]

44. परि.अता.प्र.सं. 102 (क्र. 3096) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम सहित प्रदेश के जिलों में नगर पालिका निगम के द्वारा कुत्तों की नसबंदी और अन्य कार्य पर वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कितनी राशि खर्च की गई? कितनी राशि के ठेके किस कार्य के लिए (भोजन, दवाइयां आदि) उपलब्ध/वितरित/डालने हेतु किस व्यक्ति/फर्म आदि को दिए हैं? कितना भुगतान किया गया है, कितना बकाया है? वर्षवार बतावें। कुत्तों सहित अन्य जानवरों के हित/एनिमल वेलफेयर में कार्य करने वालों की क्या जिम्मेदारी/अधिकार हैं? प्रतियां देवें। जिलेवार ऐसे व्यक्तियों की सूची/नाम सहित विवरण देवें। **(ख)** पालतू कुत्तों और अन्य जानवरों को पालने के लिए पंजीयन सहित अन्य क्या

नियम हैं? प्रति देवें। प्रदेश के जिलों में कितने कुत्ते और अन्य जानवरों का पंजीयन किया गया है? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी देवें। **(ग)** कुत्तों और अन्य जानवरों से संबंधित किस कारण से, कितनी शिकायतें प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में मिली तथा कितनों का निराकरण किया गया? क्या सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों सहित अन्य जानवरों को घुमाने एवं दैनिक क्रिया करवाने के क्या प्रावधान, नियम, प्रतिबंध हैं प्रतियां देवें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : *[(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]* **(क)** नगरपालिक निगमवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–"अ" अनुसार** है। **(ख)** मध्यप्रदेश नगरपालिका (रजिस्ट्रीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण) नियम 2023 तथा पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 की प्रति **पुस्तकालय रखे परिशिष्ट–"ब" अनुसार** है। शेषांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" अनुसार** है। शेषांश के संबंध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार** है।

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना का क्रियान्वयन
[नगरीय विकास एवं आवास]

45. परि.अता.प्र.सं. 105 (क्र. 3113) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग की रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेतु क्या योजना है? प्रदेश में कितनी जगह रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना लागू है? यदि कोई योजना नहीं है तो कब तक जल संरक्षण की दिशा में किस योजना को लागू कर क्रियान्वयन किया जाएगा? **(ख)** भवन निर्माण की अनुमति देते समय भी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान है? यदि हाँ, तो इसे शक्ति के साथ क्यों नहीं लागू किया जाता? यदि नहीं तो क्यों नहीं? **(ग)** समस्त जिलों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का कितना काम किया जा सका? **(घ)** जल संरक्षण के उद्देश्य से समस्त शासकीय भवनों पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो कारण देवें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : *[(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।]* **(क)** नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 2009/2563 दिनांक 27.10.2009 के अनुसार 140 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भवन अनुज्ञा प्रदान करते समय, भूखंड के आकार के आधार पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य की गई है। परिपत्र की प्रति **पुस्तकालय रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। यह प्रावधान प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में लागू है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** जी हाँ, भवन निर्माण अनुमति प्रदान करते समय, प्रश्नांश में उल्लेखित परिपत्र अनुसार भूखंड के आकार के आधार पर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग हेतु आवश्यक राशि, निकाय द्वारा धरोहर के रूप में रखी जाती है। उक्त राशि आवेदक द्वारा रूफ वाटर हार्वेस्टिंग कराये जाने की सूचना प्राप्त होने उपरांत ही आवेदक को वापस की जाती है। **(ग)** एवं **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है।**

भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड में नियुक्ति की जानकारी
[नगरीय विकास एवं आवास]

46. परि.अता.प्र.सं. 115 (क्र. 3242) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड द्वारा वर्ष 1 जनवरी, 2008 से 31 दिसंबर, 2019 तक जनसंपर्क अधिकारी (पी.आर.ओ.) पद पर नियुक्ति दी गई है? हाँ अथवा नहीं? यदि हाँ, तो नियुक्ति दिनांक, नियुक्त कर्मचारी का नाम, प्रथम नियुक्ति आदेश, शैक्षणिक/अनुभव संबंधी योग्यता, अंक-सूची, प्रमाण पत्र, वर्षवार सर्विस रिकार्ड, आपराधिक प्रकरण, नियुक्ति के विरूद्ध शिकायतें, वेतन एवं वर्षवार वेतन वृद्धि, नियुक्ति प्रक्रिया मय समस्त दस्तावेज गौशवारा बनाकर सम्पूर्ण जानकारी देवें। **(ख)** क्या बिना प्रथम नियुक्ति आदेश के कोई कर्मचारी विभाग में काम कर सकता है? हाँ अथवा नहीं? क्या बी.सी.एल.एल. के मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2024 से 6 जनवरी, 2024 के मध्य किसी कर्मचारी की सेवा वृद्धि/संविदा की प्रक्रिया की गई? यदि हाँ, तो उस प्रक्रिया की नोटशीट एवं आदेश की सत्यापित छायाप्रति प्रदान करें। **(ग)** क्या नगर पालिक निगम, भोपाल की जनसंपर्क शाखा द्वारा 7 मार्च 2024 को बी.सी.एल.एल. की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के संबंध में कोई प्रेस विज्ञप्ति/पत्र/दस्तावेज जारी किया गया? हाँ अथवा नहीं? यदि हाँ, तो प्रेस विज्ञप्ति की छायाप्रति एवं भोपाल म्युनिसिपल कार्पोरेशन के सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर 8 मार्च 2024 को जारी इसी विषय से संबंधित जानकारी की भी छायाप्रति प्रदाय करें। यदि नहीं, तो 8 मार्च 2024 को भोपाल के विभिन्न अखबारों में इसकी जानकारी प्रकाशित हुई, तो किस आधार पर? उपरोक्त वर्णित बोर्ड में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी की सूची एवं अटेण्डेंस शीट प्रदाय करें। **(घ)** बी.सी.एल.एल. की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 38वीं बैठक दिनांक 23/09/2023 के एजेन्डा बिन्दु क्रमांक 31 में वर्णित जांच समिति में 23/09/2023 से 06/01/2024 तक सदस्यों के नाम एवं पद बताएं और क्या यह जांच 06/01/2024 तक पूर्ण हुई? हाँ अथवा नहीं? क्या यह जांच रिपोर्ट आगामी बोर्ड में प्रस्तुत की गई? हाँ अथवा नहीं?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : *[(क) एवं (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।]* **(क)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। **(ख)** जी नहीं। जी हाँ। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। वांछित जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है। **(घ)** बी.सी.एल.एल. की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 38 वीं बैठक दिनांक 23.09.2023 के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक 31 में वर्णित जांच समिति में 23.09.2023 से 06.01.2024 तक सदस्यों के नाम एवं पद निम्नानुसार हैं-1. श्रीमती निधि सिंह, अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम 2. श्री मनोज राठौर, महापौर परिषद सदस्य यातायात एवं परिवहन विभाग 3. श्री गुणवंत सेवतकर, अपर आयुक्त (वित्त) नगर पालिक निगम। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विभागीय संरचना एवं कार्यों की जानकारी
[विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण]

47. अता.प्र.सं.152 (क्र. 3273) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग की विभागीय संरचना क्या है? छायाप्रति उपलब्ध करावें। विभाग के अंतर्गत कौन-कौन सी शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय संस्थाएं, प्रशासनिक इकाइयां आदि सम्मिलित हैं? सभी के नाम और उक्त सभी संस्थाओं, इकाइयों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग एवं विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थाओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्नांकित अवधि तक कौन-कौन सी योजनाओं में, किन-किन निर्माण/विकास एवं अन्य कार्य हेतु विभिन्न मदों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में आवंटित राशि के विरूद्ध कितनी राशि व्यय की गई? कितनी राशि शेष हैं तथा शेष राशि का भुगतान कब तक दिया जावेगा? योजनावार, मदवार, कार्य के नाम सहित जानकारी देवें। **(घ)** प्रश्नांश (ख) एवं **(ग)** के संदर्भ में क्या गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य, अनियमितता, लापरवाही एवं विकास कार्यों तथा कार्य एजेन्सियों, ठेकेदारों, फर्मों को किये गये भुगतान में अनियमितता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो शिकायतों का विवरण दें तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों में जांच उपरांत कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी/ठेकेदार/निर्माण एजेन्सी दोषी पाये गये? उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो कब तक की जावेगी? अभी तक कितनी जांचे लंबित हैं? उनका निराकरण कब तक कर दिया जावेगा? **(ड.)** विभाग की सिरोंज एवं लटेरी अनुविभाग में विभाग की कौन-कौन सी योजनाएं एवं कौन-कौन से निर्माण कार्य संचालित हैं? योजनावार, निर्माण कार्यों की जानकारी उपलब्ध करावें।

राज्यमंत्री, विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण : *[**(क)** विभागीय संरचना **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट'अ' अनुसार** है। विभाग के अन्तर्गत शासकीय इकाई-संचालनालय, अर्द्धशासकीय इकाई-निरंक, अशासकीय संस्थाएं-अभिकरण, प्रशासकीय इकाईयां-निरंक सम्मिलित है। उक्त संस्थाओं में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट'ब' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट'स' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट'द' अनुसार** है। वित्तीय वर्ष में योजना हेतु बजट आवंटन का उपयोग मार्च अन्त तक ही किये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत मांग अनुसार आवंटित राशि के नियमानुसार व्यय न होने की स्थिति में राशि समर्पित हो जाती है। छात्रावास भवन निर्माण एवं बस्ती विकास योजनान्तर्गत नियमानुसार शेष राशि के भुगतान की जानकारी जिलों से एकत्रित की जा रही है। **(घ)** जिलों से **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट'इ' अनुसार** है। शेष **जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ग)** विभाग द्वारा बस्ती विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए आवंटित राशि का व्यय पूर्ण किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। छात्रावास भवन निर्माण अन्तर्गत आवंटित राशि रू. 261.78 लाख व्ययित राशि रू. 201.78 लाख समर्पित राशि रू. 60.00 लाख है। राशि आवंटन हेतु शेष न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** विभाग की सिरोंज एवं लटेरी अनुविभाग में संचालित योजनाएं **संलग्न परिशिष्ट 'इ' अनुसार** है। निर्माण कार्य से संबंधित जानकारी निरंक है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सात"

नियमों को अनदेखी करने से उत्पन्न स्थिति
[नगरीय विकास एवं आवास]

48. परि.अता.प्र.सं. 122 (क्र. 3288) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास एवं सागर निकाय में कितने-कितने बैंक खाते हैं? नगर पालिक निगम का नाम, बैंक का नाम, पता, खाता क्र., आई.एफ.एस.सी. कोड, खाते का प्रकार, खाता कब एवं किसके नाम खोला गया, पेन कार्ड नं., जी.एस.टी. नं., बैंक खाते खोलने के नियम, खाते का प्रयोजन, खाते में प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि जमा है, कब-कब कितना-कितना ब्याज प्राप्त हुआ एवं अन्य मूलभूत जानकारी का गौशवारा बनाकर नगर पालिका निगमवार खाते के प्रथम पृष्ठ की प्रति, बैंक स्टेटमेन्ट, खाता खोलने के नियम, खाता खोलने के किस स्तर के अनुमोदन की कार्यालयीन नस्ती की छायाप्रति सहित पृथक-पृथक गौशवारा बनाकर बतायें। **(ख)** उपरोक्त के संबंध में बैंक खातों में राज्य व केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य किस-किस एजेन्सी से ऋण, अनुदान सहित कितनी-कितनी राशि कब और किस योजना में प्राप्त होकर किन खातों में रखी गई? निर्धारित लक्ष्य पूर्ति के उपरांत कितनी राशि उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ राज्य व केन्द्र सरकार को वापस की गई? उक्त अवधि में कितना ऋण किस की ग्यारन्टी पर लिया गया, कितना चुकाया गया तथा कितना शेष है? कुल कितने ऋण प्रश्न दिनांक तक नगर पालिक निगम में प्रचलित है? कितनी अवधि के हैं? कितने ऋणों में अवधि व्यतीत होने के बाद डिफाल्टर घोषित हैं? संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर नियमों, दिशा-निर्देशों की प्रति सहित बतायें। **(ग)** उपरोक्त अवधि में वॉटर हार्वेस्टिंग मद में कितनी राशि प्राप्त हुई एवं किन-किन खातों में रखी गई? इस पर कितना-कितना ब्याज कब-कब प्राप्त हुआ? यद्यपि पृथक से नहीं रखी गई तो नियमों, आदेशों एवं निर्देशों की प्रति सहित बतायें। क्या यह राशि पूर्ण से वापसी योग्य है? कितने स्थानों पर विभाग में वॉटर हार्वेस्टिंग स्थापन्न का निरीक्षण किया गया? नगर पालिका निगम ने अपनी कितनी योजनाओं में वॉटर हार्वेस्टिंग हेतु कितनी राशि कब जमा की और कब वॉटर हार्वेस्टिंग स्थापन्न की जानकारी दी एवं कब राशि वापस प्राप्त की? बतायें। अद्यतन स्थिति तक प्रत्येक शहर में वॉटर लेवल कितना है?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : ***[(क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।]*** **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "अ" अनुसार** है। **(ख)** नगर पालिक निगम, सागर की जानकारी निरंक है। शेष निकायों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "स" अनुसार** है।

दिनांक 12 जुलाई, 2024

अपात्र एवं गरीबी रेखा से बाहर आने वाले परिवारों के आंकड़ों की जांच
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

49. परि.अता.प्र.सं. 13 (क्र. 1596) श्री महेश परमार : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन जिले में कितने परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है? **(ख)** वर्ष 2020 से 21 मार्च 2022 उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में 21218 कार्ड धारक अपात्र पाए गए थे? वर्ष 2020 से वर्तमान प्रश्न दिनांक तक उज्जैन जिले में कितने अपात्र परिवार पाए गए हैं? **(ग)** वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक की अवधि तक अपात्र परिवार और गरीबी रेखा से बाहर परिवार के उज्जैन जिले के आंकड़ों में कितना अंतर है? **(घ)** इस प्रकार मध्य प्रदेश में गरीबी से बाहर एवं अपात्र पाए गए गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों में कितना अंतर पाया गया है? **(ड.)** विभाग द्वारा क्या अपात्र गरीबी रेखा के परिवार वालों को अपनी नाकामी छुपाने के लिए गरीबी रेखा से बाहर बताकर अपनी गंभीर गलती को छुपाने का प्रयास किया गया है? **(च)** राज्य शासन द्वारा सभी जिले के अपात्र परिवारों एवं गरीबी से बाहर के परिवारों के आंकड़ों का जांच प्रतिवेदन एवं प्रशासनिक रिपोर्ट किन मापदंडों के आधार पर किया गया है? पूर्ण अभिलेख सहित विवरण दें।

खाद्य मंत्री : ***[(क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(क)** वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन जिले में 28907 गरीबी रेखा परिवारों को पोर्टल से हटाया गया है। **(ख)** वर्ष 2020 से 21 मार्च 2022 उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में 16288 कार्ड धारक अपात्र परिवार राशन मित्र पोर्टल से हटाये गये थे। वर्ष 2020 से वर्तमान प्रश्न दिनांक तक उज्जैन जिले में 52562 बीपीएल/अन्य श्रेणी के अपात्र पाये गये परिवार पोर्टल से हटाये गये है। **(ग)** वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक की अवधि तक अपात्र परिवार और गरीबी रेखा से बाहर परिवार के उज्जैन जिले के आंकड़ों का अंतर 23655 है। **(घ)** मध्यप्रदेश में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक की अवधि तक कुल 2243846 अपात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से बाहर किया गया, जिसमें से 1289036 परिवार गरीबी रेखा के नीचे के तथा शेष 954810 परिवार गरीबी रेखा के अलावा अन्य पात्रता श्रेणियों के है। **(ड.)** जी नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत पात्र परिवारों को शामिल करना तथा अपात्र परिवारों को पृथक करना एक सतत् प्रक्रिया है। **(च)** मृत्यु/ विवाह/दोहरे/राशन प्राप्त नहीं करने आदि कारणों से अपात्र परिवारों का पोर्टल से विलोपन स्थानीय निकायों द्वारा राशन मित्र पोर्टल पर किया जाता है, उक्त संबंध में जारी मापदण्ड/निर्देश/अभिलेख की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

घोटाला करने वालों पर FIR
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

50. परि.अता.प्र.सं. 37 (क्र. 2483) श्री प्रदीप पटेल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा संभाग के राजस्व आयुक्त ने दिनांक 3-11-2020 को कलेक्टर सतना को पत्र लिखकर प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी पद का दुरूपयोग करने एवं मैहर नगर पालिका क्षेत्र में 6 दुकानों के नियम विरूद्ध आवंटन पर जो जांच के आदेश दिये थे, उन पर प्रश्नतिथि तक किस आदेश क्रमांकों एवं दिनांकों को क्या कार्यवाही की गई? जारी सभी आदेशों की एक प्रति दें? सतना में 93 लाख रूपयों के गेहूँ घोटाले में प्रश्नतिथि तक नागेन्द्र सिंह पर FIR क्यों नहीं करवाई गई है? किसानों को

लूटने वाले नागेन्द्र सिंह के निज सहायक संजय तिवारी पर भी FIR क्यों नहीं करवाई है जबकि ये प्रथम दृष्टया दोषी है? **(ख)** क्या खरीदी केन्द्र आवंटन की प्रक्रिया में नागेन्द्र सिंह ने संजय तिवारी को आगे करके कूट रचना कर उक्त घोटाला नहीं किया? अगर नहीं तो समग्र आई.डी. 120000208 से फर्जी पंजीयन सेवा सह. समिति नयागांव खुटहा का हुआ? संजय कुमार पिता धर्मराज ब्राह्मण निवासी कारीगोही की अराजी क्रमांक 198/1/2 रकबा 2.9730 हेक्टेयर को स्वयं की जमीन बताकर संजय तिवारी ने अपने नाम पंजीयन कराया? राज्य शासन इस तरह के गंभीर प्रकरणों में लीपापोती करने वाले SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों, पटवारियों को कब तक निलंबित कर उन्हें घोटाले में 120 बी का अरोपी क्यों नहीं बना रही है? **(ग)** कलेक्टर सतना/राज्य शासन ने प्रश्नतिथि तक नागेन्द्र सिंह, अमित गौड बिचौलिये संजय तिवारी, फर्जी गिरदावरी के आरोपी पटवारियों सहित राजस्व विभाग के वे अधिकारी जो इस कूटरचित दस्तावेजी घोटाले में आरोपियों को बचाने में लगे है के विरूद्ध धारा 420, 419, 467, 468, 471, 120बी सहित अन्य धाराओं में अपराध कब तक कायम करवाया जायेगा?

खाद्य मंत्री : ***[(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(क)** रीवा संभाग के राजस्व आयुक्त का पत्र क्रमांक/6/वि/यो/शिका/2020/823 दिनांक 22.02.2020 एवं स्मरण दिनांक 03.11.2020 को कलेक्टर सतना को पत्र लिखकर जिला सतना के सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री नागेन्द्र सिंह द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारी व कलेक्टर की अनुमति लिये बगैर अवैध तरीके से पद का दुरूपयोग कर नगर पालिका क्षेत्र मैहर में 06 दुकानों का आवंटन नियम विरुद्ध किया जाने का लेख किया गया। उक्त के संबंध में कलेक्टर के पत्र क्रमांक/1027/12/खाद्य/2020 दिनांक 23.10.2020 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मैहर को तत्संबंध में जांच के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया। जिसके पालन में तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मैहर द्वारा जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि मैहर नगर पालिका क्षेत्र में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मैहर जिला सतना म.प्र. के द्वारा पारित आदेश क्रमांक 14/स्टेनो/2019/मैहर दिनांक 17.09.2019 में पारित आदेश द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों का आवंटन विधि सम्मत न होने से दुकानों का आवंटन निरस्त किया गया है एवं उक्त आवंटन संबंधी कार्यवाही में सहायक आपूर्ति अधिकारी मैहर एवं किसी अन्य कर्मचारी का कोई दोष नहीं है। जिस संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) का पत्र क्रमांक 1188/12/खाद्य-स्था/2020 सतना दिनांक 14.12.2020 को आयुक्त संभाग रीवा को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट अनुसार** है। सतना में 93 लाख रूपयों के गेहूं घोटाले में गठित जांच दल द्वारा प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर 09 आरोपियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गयी है। मामले की विवेचना पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है, कार्यवाही प्रचलन में है। **(ख)** जी नहीं, समग्र आई.डी. 120000208 से हुए पंजीयन के संबंध में कृषक श्री संजय कुमार पिता श्री धर्मराज पयासी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि आराजी क्रमांक 198/1/2 रकबा 2.9730 हेक्टेयर एवं आराजी क्रमांक 198/1/1 रकबा 0.809 हेक्टेयर जो कि शपथकर्ता व उनके भाई एवं मां के नाम पर दर्ज वह आराजी ठास में राजकरण पिता बृजमोहन प्रसाद द्विवेदी को रूपये 40000 में दिया है। संजय तिवारी ने राजकरण के रिश्तेदार है जिनके पंजीयन क्रमांक 22120080198 एवं समग्र आईडी 120000208 में सेवा सहकारी समिति नयागांव

खुटहा के आपरेटर द्वारा स्वयं मे दर्जकर पंजीयन का कार्य किया गया है। जिसके संबंध में जिला उपार्जन समिति द्वारा पंजीयन केन्द्र सेवा सहकारी समिति नयागांव खुटहा की जांच की गयी एवं जांच में दोषी पाये गये समिति प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए कम्प्यूटर आपरेटर की सेवा समाप्त की गयी। उक्त पंजीयन सहित अन्य फर्जी किसानों के नाम से जायतमालबाबा स्व-सहायता समूह में विक्रय की गयी मात्रा के फर्जीवाड़ा के विरुद्ध गठित जांच दल द्वारा 09 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। मामले की विवेचना पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है, कार्यवाही प्रचलन में हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर सभी दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। **(ग)** जिला प्रबंधक सतना के पद पर कार्यरत श्री अमित गौड को आदेश क्रमांक 2024/332 दिनांक 21.05.2024 द्वारा निलंबित किया गया है एवं आदेश क्रमांक 2835/स-3/वि.जां./स्थापना/2024 भोपाल दिनांक 22.05.2024 द्वारा श्री नागेन्द्र सिंह के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की गयी है। जायतमालबाबा महिला स्व-सहायता समूह केन्द्र कारीगोही घोटाले में गठित जांच दल द्वारा में 09 आरोपियों पर धारा 406, 417, 420, 467, 468, 471, 120बी, भा.द.सं. के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। मामले की विवेचना पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है, कार्यवाही प्रचलन में है। जांच मे अन्य दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जावेगी।

शासकीय एवं निजी गोदामों को किराया भुगतान
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

51. ता.प्र.सं. 17 (क्र. 2512) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नागरिक आपूर्ति निगम एवं मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा गोदामों में भंडारित धान स्कंद के सूखद को मापने का क्या मापदंड निर्धारित है? यदि है तो विवरण दें? यदि नहीं, तो शासकीय एवं निजी गोदामों में पिछले पांच वर्षों से भण्डारित धान स्कंद की सूखद किस आधार पर निर्धारित की जा रही है? **(ख)** विगत 03 वर्षों से शासकीय एवं निजी गोदामों की किराया राशि का भुगतान किस आधार पर लंबित रखा गया है और निजी गोदाम संचालकों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही किस आधार पर की जा रही है? **(ग)** क्या बिना सूखद मापदंड के किसी अनुबंध के तहत 2% सूखद का निर्धारण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? **(घ)** शासन की योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त कर बनाये गये निजी गोदाम संचालकों को विगत लगभग 03 वर्षों से किराया भुगतान न होने के कारण अधिकतर गोदाम संचालकों के बैंक खाते एन.पी.ए. हो चुके हैं तथा संपत्ति कुर्की की कार्यवाही हो चुकी है या होने की कगार पर है, इस संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?

खाद्य मंत्री : ***[(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(क)** समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के भण्डारण अवधि में सूखत संबंध में जारी निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन कार्य विकेन्द्रीयकृत उपार्जन योजना के तहत किया जाता है जिसके अंतर्गत उपार्जित स्कंध के निराकरण उपरांत भारत सरकार को अंतिम लेखे प्रस्तुत किए जाते है अंतिम लेखे अनुसार भारत सरकार से प्राप्त राशि अनुसार गोदामों संचालकों को किराए का भुगतान किया जाता है। विगत वर्षों के शेष किराया राशि

के भुगतान की कार्यवाही प्रचलित है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न के भण्डारण एवं रखरखाव का दायित्व गोदाम संचालक का है। भण्डारित स्कंध में निर्धारित मापदण्ड से अधिक सूखत होने, कमी होने, क्षति होने पर इस मात्रा की राशि गोदाम संचालक को देय किराए से एवं शासकीय गोदार्मा में संबंधित कर्मचारी से वसूली कर प्रतिपूर्ति की जाती है। **(ग)** समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के गोदाम में भण्डारण के दौरान होने वाले सूखत के मापदण्ड निर्धारित होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उत्तरांश (ख) अनुसार है।

पम्प ऊर्जाकरण की राशि का उपयोग
[जनजातीय कार्य]

52. परि.अता.प्र.सं. 51 (क्र. 2877) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला डिण्डोरी के लिये जनजाति कार्य विभाग द्वारा पिछले वर्षों में 2020 से आज तक विद्युतीकरण मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? **(ख)** क्या पिछले वर्षों में ऊर्जा विभाग को जनजाति कार्य विभाग से पम्प ऊर्जाकरण हेतु कभी राशि आवंटित किया गया, यदि हाँ, तो किन-किन जिलों में कितनी-कितनी राशि दी गई? **(ग)** अ.ज.जा. के कितने कृषकों को मुफ्त सिंचाई कनेक्शन डिण्डोरी जिले के किन-किन किसानों को दी गई? विकासखण्ड एवं ग्रामवार बतावें। **(घ)** फ्री सिंचाई कनेक्शन हेतु अ.ज.जा. के किसान को कितनी राशि विभाग को जमा करना होता है?

जनजातीय कार्य मंत्री : *[(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]* (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (अ) अनुसार** है। **(ख)** वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक जनजातीय कार्य विभाग द्वारा उर्जा विभाग को डिण्डौरी जिले के लिये पम्प उर्जीकरण हेतु कोई राशि प्रदाय न किये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** एवं **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (ब) अनुसार** है।

योजनाओं का संचालन
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

53. अता.प्र.सं.91 (क्र. 2966) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में कौन-कौन सी योजनाएं संचालन किस प्रकार से किया जा रहा है? सूची उपलब्ध करायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) योजनाओं में हितग्राही मूलक कौन-कौन सी योजनाएं हैं? ग्वालियर जिले की विधानसभा 18-भितरवार में किस-किस योजना में कौन-कौन सी कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है? संख्यात्मक जानकारी ग्राम पंचायतवार/ग्रामवार/नगर पालिका एवं नगर परिषदवार बताएं। **(ग)** क्या भितरवार विधानसभा क्षेत्र में सभी पात्र हितग्राहियों की खाद्यान्न पात्रता पर्ची नहीं बनाई गई है? यदि हां तो क्यों? पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी? जानकारी ग्रामवार/ग्राम पंचायतवार/नगर परिषद/नगर पालिकावार दें। समय-सीमा बताएं।

खाद्य मंत्री : *[(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]* **(क)** खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, लाड़ली बहना एवं प्रधानमंत्री

उज्जवला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी महिलाओं को रु. 450 में गैस रिफिल उपलब्ध कराना, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना, कल्याणकारी एवं हॉस्टल योजना, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, पुरस्कार योजना-6387, मूल्य नियंत्रण सुदृढ़ीकरण योजना (3046), विकेन्द्रीकृत गेहूं, धान, मोटा अनाज (ज्वार, बाजरा) का समर्थन मूल्य पर उपार्जन, नमक व शक्कर वितरण आदि प्रमुख योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ख)** उपरोक्त में से तीन योजनाएं 1.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2.प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 3. लाड़ली बहना एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी महिलाओं को रु. 450 में गैस रिफिल उपलब्ध कराना हितग्राही मूलक योजनाएं है। ग्वालियर जिले की विधानसभा 18 भितरवार में हितग्राही मूलक योजनाओं में लाभांवित हो रहे हितग्राहियों की जानकारी निम्नानुसार है:-

योजना का नाम	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा	पात्र परिवार 51449 परिवारों के 214875 सदस्य
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	43726 हितग्राही
लाड़ली बहना एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी महिलाओं को रु. 450 में गैस रिफिल उपलब्ध कराना	प्रश्नांकित अवधि में 450 रूपये में सिलेण्डर उपलब्ध कराने हेतु जारी सब्सिडी की राशि 01 फरवरी 2024 को सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिला मुरैना से जारी की गई थी जिसमें ग्वालियर जिले के PMU योजना हेतु 37350 रिफिल एवं NON PMUY 12090 रिफिल की राशि हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की गई।

नोट- 1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अंतर्गत हितग्राहियों की ग्रामवार/नगर परिषदवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। 2. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की पंचायतवार जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने से विधानसभा क्षेत्र भितरवार में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत गैस एजेंसीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है। 3. लाड़ली बहना एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी महिलाओं को रु. 450 में गैस रिफिल उपलब्ध कराने के हितग्राहियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार** है। **(घ)** जी नहीं। पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित 28 पात्रता श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी में पात्र होने पर हितग्राही द्वारा आवेदन करने के पश्चात पात्रता पर्ची जारी करने हेतु स्थानीय निकाय द्वारा राशन मित्र पोर्टल पर स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जल-जीवन मिशन योजनांतर्गत आर्थिक अनियमितताएं
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

54. परि.अता.प्र.सं. 102 (क्र. 3253) श्री उमंग सिंघार : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना के प्रारंभ से अभी तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? **(ख)** क्या प्रदेश में अधिकांश नल-जल योजनाएं आधी-अधूरी हैं एवं अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी द्वारा भी कार्यों का पर्यवेक्षण नहीं किया गया है? **(ग)** यदि नहीं तो इंदौर संभाग में गुणवत्ताविहीन कार्य किये जाने से संबंधित कितनी शिकायतें विगत 5 वर्षों में प्राप्त हुईं और किस-किस जिले में उक्त घटिया कार्य की जांच हेतु समिति बनाई गई और जांच समितियों ने जांच निष्कर्ष के आधार पर क्या कार्यवाही की गई? यदि जांच समय-सीमा में पूर्ण नहीं की गई तो क्यों? स्पष्ट करें। **(घ)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि नल-जल योजना के अंतर्गत ग्रामीणों के घरों के बाहर तक ही पाइप-लाइन डाली गई जिनमें टोटियां भी नहीं लगाई गई है? यदि हाँ तो क्या इसकी जांच करायी जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री : [***(क)*** *प्रदेश में जल जीवन मिशन पर जून, 2024 तक कुल राशि रु. 29015.77 करोड का व्यय किया जा चुका है।* ***(ख)*** *जी नहीं, प्रदेश में जल जीवन मिशन की योजनाओं के कार्य निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता के साथ कराया जा रहे हैं, तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है।* ***(ग) जानकारी संकलित की जा रही*** *है।* ***(घ)*** *जी नहीं, नल-जल योजनाओं से घरों के परिसर तक पाइप-लाइन बिछाकर स्टैंड पोस्ट लगाकर अथवा पाइप में वाल्व/टोटी लगाकर योजनाएं हस्तांतरित की जाती हैं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।* **] (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

वन विकास निगम द्वारा किए गए पौधरोपण की जानकारी

[वन]

55. परि.अता.प्र.सं. 105 (क्र. 3268) श्री उमाकांत शर्मा : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2014 से विदिशा जिला अंतर्गत वन परिक्षेत्र शमशाबाद, वन परिक्षेत्र उत्तर लटेरी एवं वन परिक्षेत्र दक्षिण लटेरी, जिला विदिशा में वन विभाग द्वारा वन विकास निगम को कब-कब, कितनी-कितनी भूमि, किस प्रयोजन हेतु हस्तांतरित की गई? बीटवार, वर्षवार, हस्तांतरित की गई भूमि का सर्वे नंबर, कम्पार्टमेंट नंबर सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वन विकास निगम द्वारा कितनी-कितनी वन भूमि पर कब-कब, कितने-कितने पौधारोपण किये गये? पौधों की संख्या, पौधरोपण का स्थल सहित प्रभारी अधिकारियों के नाम, बीटवार, परिक्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में पौधारोपण हेतु वन विकास निगम को विभाग द्वारा कब-कब, कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? वर्षवार, मदवार जानकारी देवें। पौधरोपण हेतु भूमि सुधार, गड्ढे खोदने हेतु खाद, उर्वरक, मजदूरी एवं अन्य किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? व्यय राशि की जानकारी बीटवार, परिक्षेत्रवार, वर्षवार, भुगतानकर्ता अधिकारी के नाम सहित उपलब्ध करावें। **(घ)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में पौधरोपण की गणना कब-कब, किस-किस अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा की गई? अधिकारी/कर्मचारी के नाम सहित बतावें। उनमें से कितने पौधे जीवित हैं? बीटवार वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ड.)** प्रश्नांश (क)

के संदर्भ में क्या वन विकास निगम की भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर खेती होती है? यदि हाँ, तो अतिक्रमण की गई भूमि का सर्वे नंबर, कम्पार्टमेंट नंबर, बीट, वन परिक्षेत्रवार जानकारी देवें। **(च)** प्रश्नांश (ड.) के संदर्भ में कम्पार्टमेंट नंबर पी-358, 359, 360, 361, 362 की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर खेती की जा रही है? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो कब तक की जावेगी? बतावें।

वन मंत्री : ***[(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार*** *है।* ***(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार*** *है।* ***(ग)*** *वन विभाग से कैम्पा मद अंतर्गत प्राप्त राशि तथा निगम की स्वयं की राशि से वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक विदिशा जिले के परिक्षेत्र शमशाबाद एवं उत्तर/दक्षिण लटेरी में किये गये रोपण पर व्यय की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार*** *है।* ***(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार*** *है।* ***(ड.)*** *प्रश्नाधीन अतिक्रमण की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार*** *है।* ***(च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(च)** जी हाँ। कम्पार्टमेंट नं. 561 में 56 हेक्टेयर अतिक्रमण में से 25 हेक्टेयर वनक्षेत्र से अतिक्रमण रिक्त कराया गया। प्रश्नाधीन कम्पार्टमेंट में अतिक्रमण बेदखली की वैधानिक कार्यवाही प्रक्रिया में होने से समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

वन विभाग में निविदा नियमों को अनदेखा कर कार्य किया जाना

[वन]

56. परि.अता.प्र.सं. 110 (क्र. 3286) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल के पत्र क्र./एफ 2544/2019/10-2 दिनांक 29/5/23, 17/08/23, 29/10/23, 29/12/23, 27/3/24, 04/06/24 एवं 06/06/2024 में किन कार्यों के लिये समय-समय पर पत्र जारी किये गये? इन पत्रों में जावक क्रमांक एक समान होने के क्या नियम है? यह नस्ती कब से प्रारंभ हुई है? कृत कार्यवाही से अवगत कराते हुये गौशवारा बनाकर नस्ती प्रारंभ करने से प्रश्न दिनांक तक कारण सहित बतायें। (ख) क्या पत्र में उल्लेखित समान प्रकृति का कार्य निश्चित समय-सीमा में प्रत्येक वर्ष संपन्न होता है? विभाग इस कार्य को कितने वर्षों से संपादित कर रहा है? क्या प्रत्येक बार इसमें कुछ नया जोड़ा जाता है? यदि नहीं तो विभाग को लक्ष्य में प्राप्ति में क्या कठिनाई उत्पन्न हो रही है? यदि नहीं तो 04/06/24 में जारी निर्देशों के अतिरिक्त विदोहन के लिये पिछले वर्ष काटे गये कूपों में पुनरुत्पादन के कार्य कराये जाने की आवश्यकता को देखते हुये एस.सी.आई. तथा आई.डब्ल्यू.सी. कार्य वृत्तों से संबंधित कार्य विभागीय रूप से प्रचलित प्रथा अनुसार संपादित किये जाए में मनमाने तरीके से कार्य करने के लिये किसके आदेश पर जारी किये गये? विभागीय प्रचलित प्रथा के आधार पर वर्ष 2020 से किस प्रकार किया गया? संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर बजट की स्थिति सहित बतायें। (ग) दिनांक 27/03/24 में जिस प्रक्रिया का पालन करते हुये कार्य किये जाने थे उसी अनुक्रम में वर्ष 2020 से क्या-क्या कार्य किस-किस के द्वारा कितने व्यय पर संपादित किये गये? वर्क-ऑर्डर, क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम, पता, एजेन्सी संचालक का नाम, प्रस्तुत देयक, भुगतान राशि का चैक नं., ऑडिट, राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं विभाग के कौन अधिकारी, कर्मचारी उक्त कार्य में संलग्न हैं का नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, पता, एक ही स्थान पर कब से पदस्थ हैं सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर बतायें।

वन मंत्री : [*(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** प्रश्नांकित पत्रों द्वारा कार्य निविदा के माध्यम से किये जाने के संबंध में जारी किये गये। शासन के पत्र जिस नस्ती से जारी किये जाते हैं, उस नस्ती का क्रमांक ही पत्रों पर उल्लेखित किया जाता है। चूंकि उक्त सभी पत्र निविदा के माध्यम से कार्य कराये जाने वाली नस्ती से जारी हुये हैं इसलिये जावक क्रमांक समान है। उक्त नस्ती दिनांक 07.12.2019 से प्रारंभ हुई। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। कार्य के प्रकार अनुसार विभाग द्वारा समय-सीमा में कार्य संपन्न कराया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर, परिस्थिति अनुसार नये कार्य जोड़े जाते हैं। वर्षो से प्रचलित प्रथानुसार कार्य करते हुये लक्ष्य प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं है। प्रश्नाधीन IWC/SCI के कार्य विभागीय रूप से करने का आदेश प्रशासकीय निर्णय उपरांत जारी किया है। वर्ष 2020 से विभागीय प्रचलित प्रथानुसार कार्य किये गये। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **(ग)** निविदा प्रक्रिया हेतु आदेश वित्तीय वर्ष 2023-24 में जारी हुये हैं, जो वर्ष 2020 में भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं है, अत: शेष जानकारी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - "आठ"</u>

जैव चिकित्सीय कचरे के निष्पादन हेतु अनुमति प्रदान किया जाना
[पर्यावरण]

57. अता.प्र.सं.148 (क्र. 3289) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट कितने और कहां पर है? फर्म का नाम, संचालक का नाम, पता, मो.नं. प्रोजेक्ट की लागत, कौन से मशीने, जल-थल-वायु के लिये की सुरक्षा के उपाय यहां पर किये गये है, प्रोजेक्ट के लिये क्या नियम शर्तों, अनुमतियों का पालन किया जा रहा हैं ब्यौरा दें। **(ख)** सीबीएमडब्ल्यूटीएफ जिन-जिन जिलो में है वहां जैव चिकित्सीय कचरे का निष्पादन किस प्रकार हो रहा है? निष्पादन की मॉनीटरिंग विभाग द्वारा कब और किस स्तर के अधिकारी के द्वारा किन-किन मापदण्डों के आधार पर की गई? इन प्लान्टों में क्या कमी पाई और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही कब और क्या की गई? **(ग)** जैव चिकित्सीय कचरे के निष्पादन में शा.एवं निजी चिकित्सालयों की जिम्मेदारी किस प्रकार है? क्या प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में जैव चिकित्सीय कचरे के निष्पादन के उपाय स्वंय स्थापित है अथवा इनके द्वारा निष्पादन प्लान्टों को वेस्ट दिया जा रहा है? यह किस दर पर, कितनी मात्रा में कितनी अवधि में कितने स्थानों में कितनी संस्थाओं (शा. निजी चिकित्सालय एवं क्लीनिक) से किस प्रकार के वाहनों से कितनी-कितनी दूरी से एकत्र किये जा रहे है? **(घ)** प्रदेश में कितने एसटीपी, इटीपी, भष्मक प्लान्ट लगाने की अनुमति विभाग ने कब और किस, प्रक्रिया तथा नियमों के तहत किन-किन को कब-कब कितनी अवधि के लिये दी है? **(ड.)** उपरोक्त के संबंध में विभाग के कौन से अधिकारी/वैज्ञानिक की क्या भूमिका, कितना शुल्क प्राप्त करके कितनी अनुमति जारी की गई सहित अनुमति प्रमाण की प्रति सहित जिलेवार गौशवारा बनाकर अधिकारी/वैज्ञानिक का नाम, पदनाम, कब से एक ही स्थान पर पदस्थ, किसने कितनी अनुमति कब और किस आधार पर प्रदान की सहित बतायें।

पर्यावरण मंत्री : [*(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" एवं "ब" अनुसार है। (ग)** शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों द्वारा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निष्पादन का उल्लेख जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 04 में है। चिकित्सालयों में जैव चिकित्सीय कचरे का निष्पादन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट निष्पादन सुविधाओं के माध्यम से किया जाता है तथापि जहां संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट निष्पादन सुविधाओं की पहुंच नहीं है वहां स्वयं डीप-बरियल विधि द्वारा निष्पादन किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार है। (घ)** मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एसटीपी, ईटीपी, भस्मक प्लांटों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत निगमित नियमों के प्रावधानों तहत सम्मति/प्राधिकार दिये जाते हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" अनुसार है। (ड.)** अधिकारियों द्वारा अनुमतियां संस्थाओं के आवेदन पर, स्थल निरीक्षण व गुण-दोषों के आधार पर जारी की जाती हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" के कॉलम क्रमांक 5,6,7 तथा 8 एवं परिशिष्ट-"ई" अनुसार है।**

<u>दिनांक 15 जुलाई, 2024</u>

संचालक मण्डल से संबंधित जानकारी
[सहकारिता]

58. अता.प्र.सं.13 (क्र. 1115) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के मुरैना जिले के अंतर्गत कौन-कौन सी विपणन सहकारी समितियां पंजीकृत है, उनकी उपविधियां, संस्थागत सदस्यों व्यक्तिगत सदस्यों की सूची प्रमाण सहित कृपया उपलब्ध करावें। **(ख)** मुरैना जिले के अंतर्गत कौन-कौन सी विपणन सहकारी समितियों में निर्वाचन संचालन मण्डल है। निर्वाचन संचालन मण्डल की सूची नाम, वर्ग निर्वाचन दिनांक प्रमाण सहित कृपया जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में निर्वाचन संचालन मण्डल के सदस्यों द्वारा चुनाव से एक वर्ष पूर्व एवं संचालक बनने की अवधि में अपने खुद की जमीन की फसलों की पैदावार में से पांच क्विंटल इसमें से जो भी कम हो अपनी विपणन समिति में विक्रय की है या नहीं। यदि की है तो सदस्यवार प्रमाण सहित कृपया जानकारी देवें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ यदि नहीं, तो समिति कि उपविधि क्रमांक 30 (1) (ज) के अनुसार उक्त संचालक मण्डल के सदस्य संचालक पद के लिए अपात्र है। अतः ऐसे अपात्र संचालकों को पद से हटाने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की कृपया समयावधि अवगत करावें।

सहकारिता मंत्री : *[(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]* (क) प्रदेश के मुरैना जिले के अंतर्गत विपणन सहकारी संस्था मर्यादित मुरैना, कैलारस, जौरा, सबलगढ़, अम्बाह एवं पोरसा हैं। इन संस्थाओं की उपविधियाँ, संस्थागत सदस्यों, व्यक्तिगत सदस्यों की सूचियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार** है। **(ख)** मुरैना जिले की विपणन सहकारी संस्था, मुरैना, कैलारस, जौरा,

सबलगढ़ एवं पोरसा में निर्वाचित संचालक मंडल है, शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार** है। **(ग)** विपणन सहकारी संस्थाओं से प्राप्त जानकारी अनुसार- विपणन सहकारी संस्था मर्या. मुरैना में दो संचालक व्यक्तिगत कृषक वर्ग से निर्वाचित हैं जिनमें से श्री बल्लभ डण्डोतिया संचालक द्वारा चुनाव से एक वर्ष पूर्व एवं संचालक बनने की अवधि में अपने खुद की जमीन की फसलों की पैदावार में से कृषि उपज का विक्रय शासकीय समर्थन मूल्य पर विपणन सहकारी संस्था मर्या. मुरैना को किया गया है। दूसरे संचालक व्यक्तिगत कृषक वर्ग से श्री गिर्राज शर्मा द्वारा दिनांक 13.05.2024 को 42.80 क्विंटल सरसों विपणन सहकारी संस्था मर्या. मुरैना को विक्रय किया गया है। इसका प्रमाणक **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार** है। विपणन सहकारी संस्था मर्या. कैलारस में दो संचालक श्री वैजनाथ एव श्री संदीप शुक्ला व्यक्तिगत कृषक वर्ग से निर्वाचित हैं जिनमें से श्री वैजनाथ शुक्ला द्वारा चुनाव से 01 वर्ष पूर्व अथवा संचालक बनने की अवधि में अपने खुद की जमीन की फसलों की पैदावार में से कृषि उपज का विक्रय संस्था द्वारा दी गई संशोधित जानकारी अनुसार दिनाक 24.05.2024 को 06 किंवटल गेहूं राशि रू.14400.00 की फसल संस्था पर विक्रय की गई है, जिसका प्रमाण कृषक पंजी, लागू व्हाउचर संस्था द्वारा संलग्न किये गये हैं। इसका प्रमाणक **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 03 अनुसार** है। दूसरे संचालक व्यक्तिगत कृषक वर्ग से श्री संदीप शुक्ला द्वारा अपनी कृषक उपज का विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्या. कैलारस में दिनांक 12.04.2024 को सरसों विक्रय की गयी है। इसका प्रमाणक **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 03 अनुसार** है। विपणन सहकारी संस्था मर्या., जौरा में दो संचालक व्यक्तिगत कृषक वर्ग से निर्वाचित है जिनमें से श्री कमल किशोर संचालक एवं श्री सूरज प्रताप सिंह द्वारा अपनी फसल की पैदावार में से फसल, प्रश्न में दर्शित अवधि में संस्था को विक्रय की है, खरीदी रजिस्टर की प्रति, इसका प्रमाणक **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 04 अनुसार** है। विपणन सहकारी संस्था मर्या. पोरसा में दो संचालक श्रीमती उमादेवी एवं श्री अतुल गुप्ता व्यक्तिगत कृषक वर्ग से निर्वाचित हैं, जिनमें से श्रीमती उमादेवी द्वारा दिनांक 11.05.2020 को 31 क्विंटल सरसों का विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्या. पोरसा पर किया गया। इसका प्रमाणक **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 05 अनुसार** है किन्तु दूसरे संचालक श्री अतुल गुप्ता द्वारा अपनी उपज विपणन सहकारी संस्था मर्या. पोरसा में विक्रय नहीं किया गया है। विपणन सहकारी संस्था मर्या., सबलगढ़ में दो संचालक श्री शिवदयाल सांडिल्य एवं श्री तुलसीराम त्यागी व्यक्तिगत कृषक वर्ग से निर्वाचित हैं, जिनमें से श्री शिवदयाल सांडिल्य द्वारा दिनांक 14.05.2024 को 12.40 क्विंटल सरसों का विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्या. सबलगढ़ पर किया गया। दूसरे श्री तुलसीराम त्यागी संचालक द्वारा अपनी उपज विपणन सहकारी संस्था मर्या., सबलगढ़ में 06 क्विंटल गेहूं संस्था को दिनांक 25.04.2024 को विक्रय किया गया। इसका प्रमाणक **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 06 अनुसार** है। **(घ)** विपणन सहकारी संस्था मर्यादित पोरसा से श्री अतुल गुप्ता संचालक मण्डल के अपात्र सदस्य है, अपात्रता धारित करने वाले सदस्य को अधिनियम/नियम/उपविधि प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने हेतु उप आयुक्त सहकारिता जिला मुरैना को पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म.प्र. द्वारा दिनांक 05.07.2024 को निर्देश जारी किये गये हैं, समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

लक्ष्मण नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की जानकारी
[सहकारिता]

59. अता.प्र.सं.88 (क्र. 3432) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला इन्दौर में उपायुक्त सहकारिता के अंतर्गत लक्ष्मण नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था कब पंजीकृत हुई थी, उक्त संस्था के पास पंजीयन दिनांक से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कुल कितनी भूमि कहां किस खसरा क्रमांक एवं कुल कितने रकबे में रूप में स्थित है, उक्त संस्था में पंजीयन दिनांक से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में बनाये गये गृह निर्माण समिति के सदस्यों की सूची मय नाम पते के एवं उन्हें गृह निर्माण समिति में आवंटित भूखंड क्रमांक की जानकारी उपलब्ध करावें एवं इसके पंजीयन दिनांक से प्रश्न दिनांक तक अवधि में कार्यरत संचालक मंडल में सम्मिलित पदाधिकारियों के नाम, पदनाम सहित जानकारी देवें। वर्तमान में उक्त गृह निर्माण समिति की कुल कितनी भूमि एवं कितने भूखंड शेष है? **(ख)** जिला इन्दौर में लक्ष्मण नगर गृह सहकारी संस्था इन्दौर के विरूद्ध उसके पंजीयन दिनांक से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कुल कितनी शिकायतें उपायुक्त सहकारिता इन्दौर अथवा सक्षम अधिकारी कलेक्टर इन्दौर के समक्ष प्राप्त हुई है? उक्त प्रत्येक शिकायत का विवरण देते हुए बतावें कि प्रत्येक शिकायत पर सक्षम अधिकारी अथवा उपायुक्त सहकारिता इन्दौर द्वारा क्या कार्यवाही की गई है एवं क्या जांच प्रतिवेदन तैयार किये गये सम्पूर्ण जांच प्रतिवेदनों की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं इस संबंध में विभाग द्वारा इस गृह निर्माण समिति के संबंध में अन्य विभागों जैसे नगर निगम, पुलिस प्रशासन, जिला पंजीयक, कलेक्टर, आदि को जो पत्र लिखे गये है एवं जो रिपोर्ट भेजी गई उसकी छायाप्रति पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। **(ग)** लक्ष्मण नगर गृह निर्माण सहकारिता के पूर्व पदाधिकारियों के नाम, बैंक खाता क्रमांक, खाते में जमा राशि का सम्पूर्ण विवरण देंवे एवं उक्त गृह निर्माण समिति के ऑडिट के संबंध में लंबित समस्त ऑडिट आपत्तियों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(घ)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा उक्त लक्ष्मण नगर गृह निर्माण सहकारी सोसायटी की उच्च स्तरीय जांच हेतु जून 2024 में विभागीय प्रमुख सचिव एवं मुख्यमंत्री म.प्र.शासन को पत्र लिखा गया था? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या जांच कार्यवाही की गई यदि नहीं, की तो इसके लिए कौन दोषी है?

सहकारिता मंत्री : *[(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जी हां, प्रकरण में जांच हेतु पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के द्वारा उपायुक्त सहकारिता, जिला इंदौर को निर्देशित किया गया है।]* **(क)** जिला इंदौर में लक्ष्मण नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या, इंदौर दिनांक 08-01-1981 को पंजीकृत हुई थी। पंजीयन दिनांक से प्रश्नांश दिनांक तक क्रय की गई भूमि के ग्राम खसरा एवं रकबा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है।** सदस्यों के नाम पते की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।** सदस्यों को आवंटित किये गये भूखण्डों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।** संस्था का पंजीयन वर्ष 1981 में होने से लगभग 43 वर्ष की जानकारी दी जाना संभव न होने से संस्था के विगत 3 निर्वाचन कार्यकाल की निर्वाचित संचालक मंडल की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है**। संस्था में आवंटन हेतु शेष भूखण्डों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार है**। **(ख)** संस्था का पंजीयन वर्ष 1981 में होने से लगभग 43 वर्ष की जानकारी दी

जाना संभव न होने से संस्था के विरूद्ध विगत तीन वर्ष 2021-22 2022-23 एवं 2023-24 की अवधि में विभिन्न वरिष्ठ कार्यालयों से उपायुक्त सहकारिता जिला इंदौर को प्राप्त शिकायतों पर कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला इंदौर द्वारा की गई कार्यवाही का **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 6 अनुसार है।** शिकायतों के जांच प्रतिवेदन एवं शिकायतों पर की गई कार्यवाही/ निराकरण के दस्तावेज **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 7 अनुसार है। (ग)** चाही गई जानकारी संस्था के पूर्व पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी है जो कि कार्यालय स्तर एवं संस्था स्तर पर संधारित नहीं किये जाने के कारण दी जाना संभव नहीं है एवं संस्था का पंजीयन वर्ष 1981 में होने से लगभग 43 वर्ष की अंकेक्षण टीपो की जानकारी दी जाना संभव नहीं है तथा वर्तमान में संस्था के विगत 3 वर्षो के अंकेक्षण टीपो के परीक्षण किये जाने के उपरांत पारित होने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]

60. परि.अता.प्र.सं. 87 (क्र. 3562) श्री उमाकांत शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग की विभागीय संरचना क्या है? छायाप्रति उपलब्ध करावें। विभाग के अंतर्गत कौन-कौन सी शासकीय, अर्द्धशासकीय, प्रशासनिक इकाइयां एवं संस्थाएं आदि सम्मिलित हैं? सभी के नाम और उक्त सभी संस्थाओं, इकाइयों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी के नाम सेवाकाल सहित संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** म.प्र. में कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा 1 अप्रैल 2014 से प्रश्नांकित अवधि तक कौन-कौन सी परीक्षा आयोजित की गई? परीक्षा का नाम, सम्मिलित प्रतियोगियों की संख्या, उत्तीर्ण प्रतियोगियों की संख्या सहित वर्षवार जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में कौन-कौन सी परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया गया है तथा कितनी व कौन-कौन सी परीक्षाओं का परिणाम घोषित करना शेष है? परीक्षावार जानकारी देवें। **(घ)** प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में 1 अप्रैल 2014 से प्रश्नांकित अवधि तक कौन-कौन सी परीक्षाओं द्वारा किन-किन विभागों को कितने-कितने कर्मचारी चयन किये गये? पदवार, विभागवार, संस्थावार एवं वर्षवार जानकारी चयनित कर्मचारियों के नाम सहित जानकारी देवें। **(ड.)** प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में से कितनी परीक्षाएं निरस्त की गई? परीक्षा निरस्त करने के क्या कारण थे तथा कितनी परीक्षाओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? कौन-कौन सी एजेन्सियों द्वारा क्या-क्या जांच की गई? परीक्षाएं निरस्त होने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी/जनप्रतिनिधि दोषी हैं? नाम, पदनाम सहित जानकारी देवें। उन पर अभी तक नियमानुसार क्या कार्यवाही की गई? कितनी जांचें लंबित हैं? जांच में विलंब के लिए दोषी कौन है? क्या भविष्य में जांच कराकर कार्यवाही की जावेगी? परीक्षावार जानकारी देवें। **(च)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में इन परीक्षाओं से कितनी राशि प्रतियोगियों छात्रों से शुल्क के माध्यम से प्राप्त की गई है? कितनी राशि परीक्षाओं पर व्यय की गई है? कितनी राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ? बतावें तथा परीक्षा निरस्त करने पर प्रतिभागियों को शुल्क वापिस किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) मंत्री : *[**(क)** विभागीय संरचना की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)** से **(च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]* **(क)** राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्याल, भोपाल में डॉ. रूपम गुप्ता, कुलपति के पद पर दिनांक 07.03.2024 से एवं डॉ. मोहन सेन, कुलसचिव के पद पर दिनांक 21.02.2024 से पदस्थ है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। **(ग)** म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित समस्त परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस आरक्षित भर्ती परीक्षा-2023 एवं जेल प्रहरी, वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2023 का प्रथम चरण का परिणाम जारी किया है। शारीरिक परीक्षण का परिणाम विभाग से प्राप्त होने उपरांत अंतिम चरण का परिणाम घोषित किया जायेगा। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 (पेन ड्राईव) अनुसार** है। **(ड.)** मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा (1) राजस्व मण्डल, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त प्रमुख राजस्व आयुक्त, संभाग आयुक्त तथा कलेक्टर स्थापनाओं की लिपिकिवर्गीय सेवाओं तथा पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग से नायब तहसीलदार पद पर विभागीय समिति प्रतियोगिता परीक्षा 2017 (2) समूह-5 2020 (K पेपर) (3) समूह-2 उप समूह-4 2020 एवं (4) किसान कल्याण कृषि विकास अधिकारी 2020 निरस्त किया जाकर पुन: परीक्षा आयोजित की गई। बिन्दु क्रं. (1) में उल्लेखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में विसंगति होने संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर निरस्त की गई थी। बिन्दु 2, 3, 4 में उल्लेखित परीक्षाओं की सुचिता दूषित होने की आशंका उत्पन्न होने के कारण संबंधित परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं करते हुये न्यायाहित एवं छात्रहित में तीनों परीक्षाओं को निरस्त किया गया था। 5. पी.पी.टी. प्रवेश परीक्षा-2020 कोविड-19 महामारी के कारण विभाग के अनुरोध पर आयोजन नहीं किया गया। वर्ष 2023 में आयोजित परीक्षा ग्रुप-2 सब ग्रुप-4 पटवारी भर्ती परीक्षा-2022 से संबंधित जांच हेतु मान. उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधिपति श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा को जांच हेतु नियुक्त किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार** है। मण्डल द्वारा समस्त परीक्षाएं विज्ञापित नियम पुस्तिका अनुसार ही आयोजित कर परिणाम जारी किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(च)** प्रश्नावधि में परीक्षा में प्रतियोगी छात्रों से प्राप्त राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार** है। परीक्षाओं पर व्यय राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार** है एवं राजस्व की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-8 अनुसार** है। मैप आई.टी. विभाग के अंतर्गत ई-गवर्नेंस भर्ती परीक्षा-2018 विभाग द्वारा निरस्त किए जाने के कारण कुल राशि रूपये 13,09,250/- दिनांक 24.01.2019 को अभ्यर्थियों को वापस की गई है। पी.पी.टी. परीक्षा निरस्त की गई थी। जिसकी परीक्षा शुल्क राशि रूपये 10,53,000/- दिनांक 12.06.2021 को अभ्यर्थियों को वापस की गई है। इसके अतिरिक्त कोई शुल्क वापस नहीं किया जाना है।

बैंक के परिपत्र के परिपालन में जमा संग्रहण योजना

[सहकारिता]

61. अता.प्र.सं.129 (क्र. 3632) श्री राजेन्द्र भारती : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. राज्य सहकारी भूमि विकास सीमित भोपाल द्वारा नाबार्ड मुख्यालय का पत्र क्रमांक एनवी/आईडीडी//एलडीबी/1086 वी-4/ए/1997-1998 दिनांक 26/08/1997 के संदर्भ में जमा संग्रहण योजना हेतु परिपत्र क्रमांक लेखा-1/एफ.डी./7403 दिनांक 1/06/1998 जारी किया गया था यदि हाँ, तो कृपया उक्त परिपत्र की प्रति संलग्न करें। **(ख)** क्या उक्त परिपत्र दिनांक 1/1/1998 में साविधि निक्षेप (FIX DEPOSIT) योजना अंतर्गत बिन्दु (अ) सावधि निक्षेप के अंतर्गत एक लाख या इससे अधिक राशि जमा किये जाने पर ब्याज का भुगतान मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक दिये जाने का प्रावधान किया गया है यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें। **(ग)** क्या उक्त परिपत्र के बिन्दु क्रमांक (द) में दिनांक 08/12/1997 से प्रभावशील अवधि एवं ब्याज दर का उल्लेख किया गया है? यदि हाँ, तो क्या उक्त अवधि में एक वर्ष हेतु 9.50 एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष तक ब्याज दर 11.50 दो वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक 12.50 ब्याज दर एवं अवधि तीन वर्ष से अधिक पर ब्याज 13.50 का उल्लेख किया गया? यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें? यदि हाँ, तो क्या जिला बैंकों द्वारा इसी आधार पर FD बनाई गई और भुगतान किया गया? यदि हाँ, तो जानकारी दें? **(घ)** क्या सहकारिता विभाग द्वारा तत्कालीन वित्तीय वर्ष कारी संस्थाओं में सहकारी द्वारा किये गये वित्तीय/प्रशासनिक एवं अन्य सभी कार्यों के लिये ऑडिट करने के लिए ऑडिटर (अंकेक्षण) को अधिकृत किया जाता है? यदि हाँ, तो कृपया नियम निर्देशों की कॉपी उपलब्ध करायें। क्या विभाग द्वारा ऐसे भी नियम निर्देश जारी किये गये हैं तत्कालीन वित्तीय वर्ष के लिये अधिकृत ऑडिटर पिछले वित्तीय वर्षों में सहकारी संस्था द्वारा किये गये वित्तीय/प्रशासनिक और अन्य सभी कार्यों की ऑडिट आंकक्षेप लिये जा सकते हैं यदि हाँ, तो कृपया नियम निर्देश की प्रतियां उपलब्ध करायें।

सहकारिता मंत्री : *[**(क)** नाबार्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 26-8-1997 के संदर्भ में म.प्र. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, सीमित भोपाल के पत्र दिनांक 1/06/1998 द्वारा नहीं अपितु पत्र दिनांक 6-1-1998 द्वारा परिपत्र जारी किया गया था, जिसकी प्रति क्रमश:* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 एवं 02 अनुसार*** *है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार** है। जिला बैंकवार **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)** सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण से संबंधित जानकारी म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 एवं म.प्र. सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 50 में है, जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार** है।]* **(ग)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार** है। 07 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा कोई एफ.डी. नहीं बनायी गयी तथा 31 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा एफ.डी. बनायी गयी है, बैंकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03(1) अनुसार** है।

जबलपुर हेतु स्वीकृत स्किल डेवलपमेंट पार्क

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

62. परि.अता.प्र.सं. 132 (क्र. 3777) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार, यह बताने की कृपा करेंगे कि कि **(क)** मध्यप्रदेश के गठन के समय संस्कार धानी जबलपुर को कौन-कौन से संचालनालय मुख्यालय दिये गये थे? क्या जबलपुर को कौशल विकास संचालनालय मुख्यालय दिया गया था एवं क्या केन्द्र सरकार ने संचालनालय मुख्यालय जिले हेतु 1500 करोड़ रूपये का ग्लोबल स्किल पार्क स्वीकृत किया था? यदि हाँ, तो फिर जबलपुर हेतु स्वीकृत स्किल डेवलपमेंट पार्क अन्य जिले में क्यों खोला गया? विभागीय अधिकारियों ने 1500 करोड़ रूपये के स्किल पार्क को अन्य जिले में खोले जाने हेतु कौन-कौन से तर्क दिये? पत्राचार की प्रति देवें। **(ख)** क्या अधिकारी संचालनालय जबलपुर में बैठते तो यह जबलपुर में ही खुलता? **(ग)** इसी प्रकार प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण संस्थान भी जबलपुर में न खोल कर अन्य जिले में क्यों खोला गया है? **(घ)** कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश के अधिकारी जबलपुर की वजह क्यों भोपाल में बैठे? कोई नियम अधिनियम हो तो प्रति उपलब्ध कराई जाये? यदि नहीं, तो अधिकारी भोपाल में कैसे बैठे हैं? उनके उपर सिविल सेवा आचरण नियम लागू हैं अथवा नहीं? यदि है तो प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो उनके उपर क्या और कब कार्यवाही होगी? वर्ष 2012 से मुख्यालय नहीं आने वाले अधिकारियों से अभी तक किया गया, वेतन भत्तों की राशि की वसूली कि जाये? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? नियम दें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) : *[**(क)** मध्यप्रदेश के गठन के समय जबलपुर में संचालित संचालनालयों की **जानकारी एकत्रित की जा रही है।** विभाग अंतर्गत कौशल विकास संचालनालय, जबलपुर में संचालित है। जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** ग्लोबल स्किल्स पार्क की स्थापना जनसुविधा अनुसार निर्धारित स्थान पर की गई है, अधिकारी विशेष के बैठक स्थान के आधार पर यह निर्णय नहीं लिया गया है। **(ग)** महानिदेशालय कौशल विकास, नई दिल्ली के द्वारा विश्व बैंक की सहायता से व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में एक आईटॉट भोपाल में स्वीकृत किया गया है। विभाग द्वारा शासकीय संभागीय आई.टी.आई., जबलपुर परिसर में आईटॉट वर्ष 2022 से संचालित है। **(घ)** कौशल विकास संचालनालय का संचालन एवं कार्यों का संपादन जबलपुर से किया जा रहा है। केन्द्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यों के सुचारू रूप से संचालन, तत्संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं क्रियान्वयन के लिये राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से अधिकारीगणों द्वारा कार्य किया जा रहा है। विभाग द्वारा अधिकारी विशेष के बैठक स्थान के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। कौशल विकास संचालनालय के कार्यों के साथ-साथ भोपाल मुख्यालय स्थित क्षेत्रीय कार्यालय एवं मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के कार्य भी अधिकारी सम्पादित करते हैं। अत: इन पर कार्यवाही किये जाने का कोई कारण नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।]* **(क)** विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश के गठन के समय संस्कार धानी जबलपुर में कोई संचालनालय नहीं दिया गया था।

दिनांक 16 जुलाई, 2024

फर्सी, पत्थर, रेत आदि खदानों के पट्टों की जानकारी
[खनिज साधन]

63. परि.अता.प्र.सं. 4 (क्र. 295) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिवपुरी जिले की तहसील पोहरी, नरवर, शिवपुरी, पिछोर, बदरवास, के क्षेत्रांतर्गत फर्सी, फत्थर, रेत एवं स्टोन क्रेशर के पट्टे 2020-21 से 2023-24 तक किन-किन को कहां-कहां पर किस भूमि खसरा नं./रकवा में उत्खनि पट्टे स्वीकृत किये गये है? **(ख)** स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से स्वीकृत खदान/स्टोन क्रेशर से अप्रैल 2020 से मार्च 2024 तक कितनी-कितनी मात्रा में कितना-कितना खनिज उत्खनन/उत्पादन किया गया? उक्त पट्टेदारों द्वारा रॉयल्टी की कितनी-कितनी राशि कब जमा की? **(ग)** क्या स्वीकृत पट्टेदारों द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है? यदि हाँ, तो कहां-कहां से कितना-कितना उत्खनन किया? अवैध उत्खननकर्ताओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** शिवपुरी जिले में जनवरी 2022 से 03 जून 2024 तक अवैध खनन परिवहन, भण्डारण की वैधानिक कार्यवाही किन-किन के विरूद्ध कब-कब किस-किस प्रयोजन के लिए की गई तथा कितनी-कितनी जुर्माना राशि किस-किस से जमा कराई गई? यदि राशि जमा नहीं कराई गई तो क्यों?

मुख्यमंत्री : ***[(क) से(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर** है। **(ग)** प्रश्नांश (क) में वर्णित पट्टेधारियों में से जिन पट्टेदार द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है, उन पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द पर** है।

संविलियत कर्मियों को 5वें वेतनमान का प्रदाय
[वाणिज्यिक कर]

64. परि.अता.प्र.सं. 25 (क्र. 2139) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ से प्रतिनियुक्ति पर वाणिज्यिक कर विभाग में पदस्थ किन-किन कर्मियों को पांचवां वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया है? वेतन निर्धारण/एरियर पत्रक की छायाप्रति देवें? **(ख)** क्या यह सही है कि वित्त विभाग आदेश क्रमांक 496/2031/2018/नियम/चार, दिनांक 23-3-2019 द्वारा तिलहन संघ के शासन में पदस्थ कर्मियों को पांचवें/छठवें वेतनमान निर्धारण के आदेश प्रसारित किये है? यदि हाँ, तो प्रतिनियुक्ति स्थापना विभाग में संविलियत कर्मियों को यह लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? **(ग)** क्या यह सही है कि विभाग में संविलियत कुछ सेवायुक्तों ने पुन:रीक्षित L.P.C पांचवां वेतनमान गणना आधार पर प्रस्तुत किया है? यदि हाँ, तो किन-किन कर्मियों ने? क्या विभाग इन्हें इस L.P.C के आधार पर वेतन निर्धारण किया? यदि नहीं, तो क्यों? स्पष्ट करेंगे? **(घ)** विधानसभा प्रश्न 753 उत्तर दिनांक 21-12-2021 में बताया गया है कि विभाग में संविलियत सेवायुक्तों को पांचवें वेतनमान की पात्रता नहीं है। **(ड.)** क्या प्रश्नांश (ख) अन्तर्गत वित्त विभाग का आदेश मान्य नहीं है? स्पष्ट करें?

किन-किन का न्यायालयीन अवमानना प्रकरण प्रचलित है? अधिवक्तावार कब-कब कितनी राशि इन प्रकरणों के अन्तर्गत व्यय किया गया।

उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर : ***[(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(क)** मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ से आयुक्त, वाणिज्यिक कर की पदस्थापना में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हुए किसी भी सेवायुक्तों को पांचवें वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। विभाग अंतर्गत म.प्र.राज्य तिलहन संघ से मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहें निम्नांकित कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में दायर रिट पिटिशन क्रमांक 21234/2013 में दिनांक 18.12.2013 को पारित आदेश के परिपालन में कोष एवं लेखा के सत्यापन उपरांत केवल प्रतिनियुक्ति अवधि का पांचवा/छठवां वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया गया है-1. श्री दामोदरन पी.एन. 2. श्री प्रमोद बिसारिया 3. श्री ऋषिकेश थालनेरकर 4. श्री शेखर प्रधान 5. श्री हेमराज यादव 6. श्री चरण सिंह राजपूत 7. श्री सी.एस.नापित। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट पिटिशन क्रमांक 21234/2013 में दिनांक 18.12.2013 को पारित आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। प्रतिनियुक्ति अवधि के वेतन निर्धारण आदेशों की छायाप्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। गणना पत्रक **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है। **(ख)** मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 496/2031/2018/नियम/चार, दिनांक 23.03.2019 की कण्डिका 01 में उल्लेख किया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ से राज्य शासन के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किये गये सेवायुक्तों में से कतिपय सेवायुक्तों द्वारा माननीय न्यायालय में दायर याचिकाओं में न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के अनुक्रम में इन विशिष्ट प्रकरणों में प्रतिनियुक्ति अवधि के लिये पॉचवां व छठवां वेतनमान दिये जाने की स्थिति निर्मित हुई है। इसके अतिरिक्त तिलहन संघ से राज्य शासन एवं जिला/जनपद पंचायतों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ सेवायुक्तों को भी राज्य शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति तिथि से पॉचवें/छठवें वेतनमान दिये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ से वाणिज्यिक कर विभाग में कार्यपालिक (वाणिज्यिक कर निरीक्षक) पद पर संविलियन के पूर्व इस विभाग में कोई भी सेवायुक्त वाणिज्यिक कर निरीक्षक पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ नहीं रहा है। मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 496/2031/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 23.03.2019 की कंडिका 03 अनुसार तिलहन संघ से राज्य शासन के विभागों में किसी सेवायुक्त का संविलियन होने पर वेतन निर्धारण, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12 अगस्त, 2013 की कंडिका 2.6 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 23 अगस्त, 2016 में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-06/2016/1/3, दिनांक 23.08.2016 के निर्देशानुसार तिलहन संघ से संविलियत सेवायुक्तों को सीधे छठवें वेतनमान का लाभ देते हुये उनका वेतन निर्धारण भी उक्त परिपत्र द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार ही किया गया है। उक्त सेवायुक्तों को पांचवें वेतनमान का लाभ स्वीकृत किये जाने संबंधी कोई शासनादेश नही होने से उन्हें पांचवें वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। **(ग)** राज्य तिलहन संघ से वाणिज्यिक कर विभाग में कार्यपालिक (वाणिज्यिक कर निरीक्षक) पद पर संविलियत सेवायुक्तों द्वारा मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ से पांचवें वेतनमान की गणना आधार पर पुनरीक्षित LPC प्राप्त कर इस विभाग में प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि उनका

संविलियन राज्य शासन द्वारा सीधे राज्य तिलहन संघ से वाणिज्यिक कर विभाग में किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ से वाणिज्यिक कर विभाग में संविलियन के पूर्व मात्र एक सेवायुक्त (श्री शेखर प्रधान), जो राज्य तिलहन संघ से मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड, भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हुये थे और बाद में इस विभाग में राज्य तिलहन संघ से वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर संविलियित हुये, के लिये अपील बोर्ड, भोपाल द्वारा पांचवें वेतनमान का लाभ देते हुये पुनरीक्षित एलपीसी इस विभाग में प्रेषित की गई थी, किन्तु यह पुनरीक्षित एलपीसी राज्य तिलहन संघ द्वारा जारी नहीं की गई थी। अतः इस विभाग द्वारा पांचवें वेतनमान अन्तर्गत उनका वेतन निर्धारण नहीं किया गया। राज्य तिलहन संघ से संविलियित सेवायुक्तों के मामलों में पांचवें वेतनमान का लाभ दिये जाने हेतु कोई शासनादेश नहीं है। अतः सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12 अगस्त, 2013 की कंडिका 2.6 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 23 अगस्त, 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुसार इस विभाग में वेतन निर्धारण किया गया है। विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य तिलहन से मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में संविलियत श्री सुशील कुमार जैन द्वारा पुनरीक्षित एलपीसी पांचवें/छठवें वेतनमान गणना आधार पर प्रस्तुत किया गया है। विभाग से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त न होने से अपील बोर्ड से वेतन निर्धारण नहीं किया गया। **(घ)** विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 753 के प्रश्नांश (क) का उत्तर दिया गया था कि मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ से वाणिज्यिक कर विभाग में संविलियित हुये सेवायुक्तों को पांचवें वेतनमान का लाभ स्वीकृत किये जाने संबंधी कोई शासनादेश न होने से इसका लाभ नहीं दिया गया है। संविलियित किये गये सेवायुक्तों का वेतन निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-06/2016/1/3, दिनांक 23.08.2016 के तहत सीधे छठवें वेतनमान में किया गया है। **(ङ.)** प्रश्नांश (ख) अन्तर्गत उल्लेखित वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 496/2031/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 23.03.2019 मान्य है। इस परिपत्र की कण्डिका 03 में दिये गये निर्देशों के अनुसार राज्य तिलहन संघ से इस विभाग में संविलियित सेवायुक्तों का वेतन निर्धारण किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ से वाणिज्यिक विभाग में संविलियत अधिकारियों / कर्मचारियों के निम्नलिखित अवमानना प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रचलित हैं: 1. अवमानना याचिका क्रमांक 1026/2024 बेन्नी पी.एम. विरुद्ध श्री मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक), मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन भोपाल एवं अन्य. 2. अवमानना याचिका क्रमांक 1324/2024 अनूप दास रॉय विरुद्ध श्री मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक), मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन भोपाल एवं अन्य. उक्त अवमानना याचिकाओं में निम्नानुसार व्यय किया गया है:- 1. अवमानना याचिका क्रमांक 1026 /2024 बेन्नी पी. एम. विरुद्ध श्री मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक), मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन भोपाल एवं अन्य में दिनांक 18.05.2024 को रू.5500/- का भुगतान किया गया है।

दोषियों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

65. परि.अता.प्र.सं. 29 (क्र. 2335) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा पत्र क्रमांक 196 दिनांक 20.02.2024, पत्र क्रमांक 240 दिनांक 26.02.2024, पत्र क्रमांक 155 दिनांक 05.02.2024, पत्र क्रमांक 90 दिनांक 23.01.2024, पत्र क्रमांक 174 दिनांक 12.02.2024 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा पत्र क्रमांक 48 दिनांक 01.01.2024, पत्र क्रमांक 126 दिनांक 28.01.2024/29.01.2024, पत्र क्रमांक 119 दिनांक 28.01.2024, पत्र क्रमांक 143 दिनांक 29.01.2024/30.01.2024, पत्र क्रमांक 48 दिनांक 30.12.2023/01.01. 2024, पत्र क्रमांक 156 दिनांक 05.02-2024, पत्र क्रमांक 266 दिनांक 01.03.2024 द्वारा कलेक्टर रीवा पत्र क्रमांक 280 दिनांक 08.03.2024, पत्र क्रमांक 330 दिनांक 03.05.2024, पत्र क्रमांक 15 दिनांक 22.12.2023 के पुलिस अधीक्षक रीवा, पत्र क्रमांक 145 दिनांक 29.01.2024/30.01.2024, पत्र क्रमांक 144 दिनांक 29.01.2024/30.01.2024, पत्र क्रमांक 287 दिनांक 09.03.2024 के माध्यम से कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रीवा एवं पत्र क्रमांक 252 दिनांक 29.02.2024, पत्र क्रमांक 255 दिनांक 29.02.2024 द्वारा आयुक्त राजस्व रीवा संभाग रीवा को पत्र लिखकर कार्यवाही का लेख किया गया था, पत्रों पर की गई कार्यवाही की प्रति देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार अगर पत्रों पर कार्यवाही नहीं की गई जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 12.11.2021 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन न करने व पत्रों का समय पर निराकरण न करने के लिये जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे बतावें साथ ही पत्रों पर कार्यवाही बाबत् क्या निर्देश देंगे यह भी बतावें अगर नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [***(क) एवं(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है/*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ", "ब" एवं "स" अनुसार** है। **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 19-76/2007/1/4 दिनांक 12/11/2021 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

रेत भण्डारण की अनुमति
[खनिज साधन]

66. अता.प्र.सं.33 (क्र. 2710) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नवंबर 2023 से प्रश्न दिनांक तक नर्मदापुरम, सीहोर, रायसेन एवं देवास जिले में किस-किस स्थान पर किस कि नदी की कितनी-कितनी रेत भण्डारण की अनुमति किस-किस दिनांक को प्रदाय की गई? **(ख)** रेत भण्डारण की दी गई अनुमति के स्थल पर किस-किस माह में कितनी-कितनी रेत का भण्डारण किस-किस खदान से किए जाने की सूचना अनुबन्धकर्ता ने जिला खनिज कार्यालय एवं मध्यप्रदेश राज्य खनिज विकास निगम को दी? प्रति सहित बतावें। **(ग)** रेत भण्डारण स्थल पर परिवहन की गई रेत की ऑनलाईन टी.पी. जारी किए जाने पर कितनी मात्रा बताई गई, भण्डारण स्थल पर ऑनलाईन पोर्टल पर कितनी मात्रा दिखाई गई? माहवार अलग अलग बतावें।

मुख्यमंत्री : [***(क) से(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है/*** **] (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नाधीन जानकारी रेत पोर्टल पर संधारित होने से पृथक से इसकी सूचना अनुबंधकर्ता द्वारा जिला खनिज कार्यालय एवं मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को नहीं दी गई है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - "नौ"</u>

शासन द्वारा अपराधों की रोकथाम
[गृह]

67. परि.अता.प्र.सं. 59 (क्र. 3326) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शहडोल जिले के विभिन्न थानों में वर्ष 2021-22 से प्रश्नांश दिनांक के दौरान कितने अपराध घटित पश्चात आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये का विवरण माहवार, वर्षवार जिलेवार देवें। यह भी बतावें कि यह अपराध किन किस्मों के थे, इनमें से गंभीर अपराध कितने थे, इनमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी कितने में की जा चुकी है एवं कितने में शेष हैं, तो क्यों? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार कारित अपराधों में कितनों पर अपराध पंजीबद्ध किये गये एवं कितने आवेदनों पर अपराध पंजीबद्ध नहीं किये गये? उन पर कार्यवाही के क्या निर्देश देंगे जिन अपराधों पर अपराध पंजीबद्ध किये जा चुके हैं? उनमें कितने प्रकरणों को न्यायालय में पेश किये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है एवं कितने लंबित हैं, तो क्यों? इनमें से कितने प्रकरणों में अभियुक्तों को बरी किया जा चुका है, उनकी भी जानकारी देवें। न्यायालय से बरी होने में पुलिस द्वारा अपनी भूमिकाओं के निर्वहन में कहाँ कमी की गई, इसकी समीक्षा बाबत् क्या निर्देश देंगे? बतावें। अगर नहीं तो क्यों? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार कारित अपराधों की रोकथाम बाबत् शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनांए संचालित कर इन पर अंकुश लगाने का कार्य किया जा रहा है? अगर इन योजनाओं के संचालन के पश्चात भी अपराधों में कमी नहीं हो रही है तो आए दिन गंभीर से गंभीर अपराध कारित हो रहे हैं, इसके लिये किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जवाबदार मानकर कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे? बतावें। अगर नहीं तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के तारतम्य में विभाग द्वारा अपराधों की रोकथाम बाबत् सार्थक प्रयास नहीं किये गये, आए दिन अपराध कारित हुए। कोरेक्स व मदिरा की पैकारी पुलिस विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में कराई जाती रही। शासन द्वारा अपराधों की रोकथाम बाबत् चलायी गई योजनाओं का क्रियान्वयन कर लागू करने में लापरवाही की गई। इन सब अनियमितताओं के लिये किन-किन अधिकारी एवं कर्मचारी को जवाबदेह मानकर कार्यवाही बाबत् किस तरह के निर्देश देंगे? बतावें। अगर नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [*(क) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब एवं स अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-य अनुसार है।**

पुलिस कर्मियों को आवास एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता
[गृह]

68. अता.प्र.सं.67 (क्र. 3536) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासकीय सेवकों को श्रेणीवार शासकीय आवासों की पात्रता के क्या नियम/निर्देश हैं? पुलिस विभाग में कार्यरत शासकीय सेवकों को जिला एवं स्थानवार कितने और किस-किस श्रेणी के शासकीय आवासों की वर्तमान में उपलब्धता हैं? इन आवासों की वर्तमान स्थिति से अवगत

कराइए,और बताइये कटनी जिले में थानावार कितने एवं किस-किस श्रेणी के आवास कहाँ-कहाँ उपलब्ध हैं? **(ख)** पुलिस विभाग में कार्यरत शासकीय सेवकों एवं परिवारजनों की सुविधा एवं मनोरंजन के लिए जिलेवार क्या-क्या संसाधन कहाँ-कहाँ उपलब्ध हैं और क्या-क्या सुविधाओं/ संसाधनों की आवश्यकता हैं? इनकी पूर्ति के लिए शासन/विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही हैं? **(ग)** कटनी जिले में थाना एवं स्थानवार निर्मित आवासों की वर्तमान में क्या स्थिति हैं? स्वीकृत पदों के अनुसार कितने आवासों की आवश्यकता हैं? क्या जिले के थानों में स्वीकृत पदों के मान से सर्वसुविधायुक्त आवास निर्माण की कोई कार्ययोजना हैं? हाँ,तो क्या? नहीं तो,क्यों एवं क्या आवास निर्माण के प्रस्ताव तैयार जायेंगे और कार्य की स्वीकृति प्रदान की जायेगी? हाँ, तो किस प्रकार और कब तक? नहीं तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (ख) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या कटनी जिले के थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों एवं स्वीकृत पदों के मान से आवासों के निर्माण और आवश्यक सुविधाओं/संसाधनों की उपलब्धता के प्रस्ताव वरिष्ट कार्यालय को प्रेषित किए गए हैं? हाँ,तो यह प्रस्ताव क्या हैं? इन्हें किस प्रकार और कब तक स्वीकृत किया जायेंगा? नहीं तो क्या? प्रस्ताव तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किए जायेंगे?

मुख्यमंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ, ब एवं स अनुसार** है।**(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार**, पुलिस विभाग में कार्यरत शासकीय सेवकों एवं परिवार जनों की सुविधा एवं मनोरंजन के लिए संसाधनों की पूर्ति विभाग द्वारा अशासकीय मद में उपलब्ध राशि से आवश्यकता अनुसार की जाती है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार**, कटनी जिले में स्वीकृत पदों के अनुसार वर्तमान में सउनि से निरीक्षक तक के लिए 177 एवं आर./प्र.आर. के लिए 492 आवासगृहों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना अंतर्गत पुलिस कर्मचारियों एवं उनके परिवार की मांग के अनुसार जिला स्तर पर सर्वसुविधा युक्त आवासगृहों का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त योजना में शासन द्वारा कुल 208 आवासगृहों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में कुल 188 आवासगृहों का निर्माण कराया जा चुका है तथा शेष आवासों का निर्माण आवश्यकतानुसार चतुर्थ एवं पंचम चरण में किया जायेगा।**(घ)** उत्तरांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य मे प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विभागीय संरचना एवं कार्यों की जानकारी
[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]

69. अता.प्र.सं.69 (क्र. 3569) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), कुटीर एवं ग्रामोद्योग, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग की विभागीय संरचना क्या है? छायाप्रति उपलब्ध करावें। विभाग के अंतर्गत कौन-कौन सी शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय संस्थाएं, प्रशासनिक इकाइयां, सहकारी संस्थाएं आदि सम्मिलित हैं? सभी के नाम और उक्त सभी संस्थाओं,इकाइयों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी के नाम, सेवाकाल सहित संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में विभाग एवं विभाग के अंतर्गत संचालित सहकारी संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं, प्रशासनिक इकाइयों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक कौन-कौन सी योजनाओं में,किन-किन कार्यों एवं योजनाओं एवं अन्य कार्य हेतु विभिन्नमदों कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई

है? योजनावार, मदवार, कार्य के नाम,कुल स्वीकृत राशि, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा, कार्यादेश सहित संस्थावार विकासखण्डवार विस्तृत जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के संदर्भ में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में आवंटित राशि के विरूद्ध कितनी राशि व्यय की गई? कितनी राशि शेष हैं तथा शेष राशि का भुगतान कब तक दिया जावेगा? योजनावार, मदवार, कार्य के नाम सहित जानकारी देवें एवं छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(घ)** प्रश्नांश 'ख' एवं 'ग' के संदर्भ में क्या गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य, अनियमितता, लापरवाही एवं विकास कार्यों तथा कार्य एजेंसियों, ठेकेदारों, फर्मों को किये गये भुगतान में अनियमितता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो शिकायतों का विवरण दें तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों में जांच उपरांत कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी/ठेकेदार/निर्माण एजेंसी दोषी पाये गये? उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? अभी तक कितनी जांचे लंबित हैं? उनका निराकरण कब तक कर दिया जावे? कार्य, योजना, कार्य के नाम, स्थान, तहसीलवार, जिलावार विभाग अनुसार संपूर्ण जानकारी देवें। **(ड.)** विभाग के विदिशा जिले में कौन-कौन सी योजनाएं एवं कौन-कौन से कार्य संचालित हैं? योजनवार, निर्माण कार्यों की विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कुटीर एवं ग्रामोद्योग : [***(क)*** *विभाग के अधीन संचालनालय, निगम एवं बोर्ड की विभागीय संरचना की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार*** *है। प्रश्नांश की शेष जानकारी एवं* ***(ख)*** *से* ***(घ)*** *की* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ***(ड.)*** *विदिशा जिले में संचालित योजनाओं की योजनावार, विकासखंडवार* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार*** *है।*] **(क)** प्रश्नांश का शेष उत्तर- शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय संस्थाएं, प्रशासनिक इकाईयां, सहकारी संस्थाएं आदि के नाम, पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी के नाम सेवाकाल सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार** है। **(ख)** विभाग एवं विभाग के अंतर्गत संचालित सहकारी संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं, प्रशासनिक इकाईयों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक स्वीकृत योजनावार, मदवार, कार्य के नाम, कुल स्वीकृत राशि, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा कार्य आदेश, संस्थावार, विकासखण्डवार विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार** है। **(ग)** विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में आवंटित राशि के विरूद्ध व्यय राशि, शेष राशि तथा शेष राशि का भुगतान योजनावार, मदवार, कार्य के नाम सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांश ''ख'' एवं ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश ''घ'' की जानकारी निरंक है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम योजनाओं का संचालन
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

70. परि.अता.प्र.सं. 87 (क्र. 3678) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है? उक्त योजनाओं में से ग्वालियर जिले में कौन-कौन सी योजना संचालित है? सूची उपलब्ध करायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार ग्वालियर जिले की 18-भितरवार विधानसभा क्षेत्र में किस-किस योजना में कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी राशि के, कहाँ-कहाँ वर्ष

2021 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत किये गये हैं, इन कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? योजनावार, हितग्राहियों एवं कार्यावार विवरण विकासखण्डवार, ग्राम पंचायतवार/नगर पालिका/नगर परिषद्वार दें। **(ग)** क्या भितरवार विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने एवं ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु विभाग के माध्यम से सर्वे कराकर जहां-जहां सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित कराया जाना आवश्यक है, उन स्थानों एवं ग्रामों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित किये जाएंगे? यदि हाँ, तो कब तक? समय-सीमा बताएं।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री : [***(क)*** *प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा राज्य शासन की निम्नानुसार योजनाएं संचालित की जा रही हैं - 1. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, 2. म.प्र. एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2021, 3. म.प्र. स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022, 4. राज्य एम.एस.एम.ई. पुरस्कार योजना। उक्त सभी योजनायें ग्वालियर जिले के लिए भी संचालित हैं।* ***(ख) जानकारी एकत्र की जा रही*** *है।* ***(ग)*** *विभाग के माध्यम से सर्वे कराकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित किये जाने का प्रावधान नहीं है, तथापि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना संचालित है तथा एम.एस.एम.ई. की स्थापना के प्रोत्साहन के लिए म.प्र. एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2021 संचालित है जिनके माध्यम से विभाग द्वारा एम.एस.एम.ई. उद्यमियों को उद्यम स्थापना के लिए सतत प्रोत्साहित किया जा रहा है।* **]**
(ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में ग्वालियर जिले की 18 भितरवार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना तथा म.प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक किये गये कार्यों का विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

लोकायुक्त पुलिस के प्रकरण
[सामान्य प्रशासन]

71. अता.प्र.सं.86 (क्र. 3724) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लोकायुक्त पुलिस द्वारा वर्ष 2023 से 10 जून, 2024 तक इंदौर संभाग में कितने प्रकरण दर्ज किये गये प्रकरण क्रं. दिनांक, धारा, आरोपियो के नाम तथा पता गिरफ्तारी की दिनांक न्यायालय में चालान पेश करने की दिनांक सहित सूची देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) की अवधि में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज किस किस प्रकरण में न्यायालय ने पक्ष तथा विपक्ष में फैसले दिये प्रकरण क्रं., दिनांक, धारा, आरोपियों के नाम सहित सूची देवें। **(ग)** 11 जून 2024 को लोकायुक्त पुलिस द्वारा राजीव गांधी सिविक सेन्टर रतलाम में भूखण्ड विक्रय में अनियमितता के लिये दर्ज प्रकरण के क्रमांक, आरोपी के नाम, पता, उम्र गिरफ्तारी की दिनांक सहित सूची दें तथा एफ.आई.आर. की प्रति उपलब्ध करावें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित प्रकरण में चालान पेश करने की दिनांक बतावें क्या प्रकरण में पूरक चालान पेश किया गया है तथा नये आरोपी के नाम शामिल किये गये है? **(ड.)** लोकायुक्त पुलिस के पास कितने प्रकरण 15 जून, 2024 तक विवेचना में है उन प्रकरणो को प्राप्त करने की दिनांक सहित जानकारी दें, कि विवेचना में अधिक समय किन-किन प्रकरणों में क्यो लग रहा है?

मुख्यमंत्री : [*(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* **]** (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार** है। **(ख)** प्रकरण विवेचनाधीन हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांश ''ग'' में उल्लेखित प्रकरण में वर्तमान में विवेचना जारी है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' के कॉलम-2 एवं 6 अनुसार** है।

हवाई पट्टी का विस्तार

[विमानन]

72. परि.अता.प्र.सं. 99 (क्र. 3759) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** संभागीय मुख्यालय सागर स्थित ढाना हवाई पट्टी काफी वर्ष पुरानी है, जिस पर हवाई अड्डे की स्थापना को लेकर लम्बे समय से शासन स्तर पर मांग की जा रही है। इस संदर्भ में शासन द्वारा भी कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही प्रचलन में है? **(ख)** क्या बड़े वायुयानों के संचालन की दृष्टि से सागर स्थित ढाना हवाई पट्टी छोटी है, इस हवाई पट्टी के विस्तार कराये जाने हेतु कोई योजना बनायेगा तथा कब तक? **(ग)** क्या पी.एम. श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत मध्यप्रदेश के कुछ शहरों से वायु सेवा शुरू की गई है, जबकि बुन्देलखण्ड अंचल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहर संभागीय मुख्यालय सागर होने की दृष्टि से यहाँ भी पी.एम. श्री पर्यटन वायु सेवा की अपार संभावनायें हैं। क्या शासन इस पर विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [***(क)*** *प्रदेश स्थित अन्य हवाई पट्टियों के साथ-साथ सागर हवाई पट्टी के विस्तार/विकास की कार्यवाही म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. से कराए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। वर्तमान हवाई पट्टी की रिकार्पेटिंग एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 717.73 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।* ***(ख)*** *जी हाँ। उत्तरांश (क) अनुसार प्रक्रिया प्रचलन में है।* ***(ग)*** *जी हाँ।* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(ग)** वर्तमान में सागर हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

दिनांक 18 जुलाई, 2024

मंत्रालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करना
[स्कूल शिक्षा]

73. अता.प्र.सं.4 (क्र. 485) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 1-4/07/बीस-1, भोपाल, दिनांक 28.06.2007 के प्रावधानों के तहत तथा अध्यापक संवर्ग से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं होने पर प्राचार्य, शासकीय कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर की अनुशंसा के पश्चात मुख्य नगर पालिका अधिकारी सारंगपुर जिला राजगढ़ द्वारा बी.एड. करने की विभागीय अनुमति प्रदान की गई थी। प्रशिक्षण संस्था की निरन्तर उपस्थिति संस्था प्राचार्य को प्रदान की जा रही है। इसके पश्चात भी विगत 11 माह का वेतन नियम विरूद्ध रोका गया है, वेतन का भुगतान करवाया जायेगा। **(ख)** नगर परिषद सारंगपुर द्वारा पत्र क्र. 1211/स्था./2023-24, दिनांक 12.04.2024 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ को अवगत कराने के पश्चात तथा प्रकरण उच्च न्यायालय इन्दौर में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यूपी 20837/2023 प्रचलित होने पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है फिर आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा नियम विरूद्ध कार्यवाही की अनुशंसा कलेक्टर राजगढ़ को कैसे की गई है? **(ग)** उच्च न्यायालय इन्दौर के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यूए-409/2024 में पारित आदेश दिनांक 04/03/2024 के तहत नगर परिषद सारंगपुर द्वारा अपने स्तर पर जांच तथा कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कराई गई जांच तथा कार्यवाही की अनुशंसा नियम विरूद्ध की जा रही है जो निरस्त किये जाने योग्य है?

स्कूल शिक्षा मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, भोपाल से संबंधित की अनुपस्थिति के संबंध में जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री सुभाष चन्द्र शर्मा को अशासकीय संस्था से बी.एड. करने की पात्रता नहीं होने के कारण संबंधित की अनाधिकृत अनुपस्थिति होने से वेतन की पात्रता नहीं आती हैं। **(ख)** प्रश्नांश में उल्लेखित याचिका में मान. न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश नहीं दिया गया हैं। **(ग)** स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कराई गई जांच एवं कार्यवाही नियमानुसार हैं।

किसान सम्मान निधि की जानकारी
[राजस्व]

74. अता.प्र.सं.8 (क्र. 1297) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 2019 के बाद नये कृषि भूमि स्वामियों, बंटवारे में बने नये भूमि स्वामी, जिनके नामांतरण भी हो चुके हैं, उन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन स्वीकार नहीं होते हैं। जबकि उनके पिता, माता, काका या अन्य परिजन जिनके नाम जमीन भी उन्हें सम्मान निधि प्राप्त होती थी, किन्तु बंटवारे के बाद नये भू-स्वामियों का पंजीयन नहीं होता है? कृषि भूमि नये खरीदी करने वालों को भी सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है। उपरोक्त कृषकों को जो छोटे व लघु मध्यम वर्गीय है उन्हें भी किसान सम्मान निधि प्राप्त हो इस

दिशा में शासन कोई कार्यवही कर रहा है, यदि हाँ, तो कब तक? **(ख)** क्या यह समस्या नागदा-खाचरोद क्षेत्र में है या सम्पूर्ण प्रदेश में?

राजस्व मंत्री : [***(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका की कंडिका-5.2 के प्रावधान- The cut-off date for determination of eligibility of beneficiaries under the schemeshall be 01.02.2019 and no changes thereafter shall be considered for eligibility of benefit under the scheme for next 5 years. However, this date is not applicable when transfer of ownership of cultivable land takes place on account of succession due to death के अनुक्रम में भू-अभिलेख में उपलब्ध भूधारियों को योजना का लाभ प्राप्त होने संबंधी कार्यवाही की जा रही है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** पात्र हितग्राहियों को पीएमकिसान योजना हेतु नियत कार्यवाही पूर्ण करने पर योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के उत्तर के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

असत्य एवं निराधार अनुशंसा
[स्कूल शिक्षा]

75. अता.प्र.सं.17 (क्र. 1920) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासकीय कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर, जिला-राजगढ़ के प्रभारी प्राचार्य के विरूद्ध वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं की शिकायत की गई थी। शिकायतों की जांच किसके द्वारा की गई है? जांच प्रतिवेदन से अवगत कराया जायेगा। संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल संभाग भोपाल को पत्र क्रमांक 271 दिनांक 22.07.2024 को शिकायतों की निष्पक्ष जांच के संबंध में अवगत कराया गया था किंतु उक्त पत्र के आधार पर अभी तक कोई कार्यवाही, जांच न करते हुये दोषी व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। अवगत करावें। **(ख)** माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 409/2024 में पारित आदेश दिनांक 04.05.2024 के तहत नियोक्ता की बी.एड. प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान करने के पश्चात, प्रशिक्षण संस्था की ग्यारह माह की उपस्थिति प्रदान करने के पश्चात वेतन से वंचित करने पर कार्यवाही की जायेगी? अवगत करावें। **(ग)** संस्था प्राचार्य द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-राजगढ़ को अपने भ्रष्टाचार व वित्तीय अनियमितताओं को छिपाते हुये अध्यापक की असत्य एवं निराधार शिकायत की गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-राजगढ़ द्वारा किसी भी प्रकार की जांच नहीं करवाकर तथा जांच में दोषी नहीं पाये जाने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सारंगपुर को पत्र क्रमांक 397, दिनांक 11.03.2024 को कार्यवाही की अनुशंसा की गई थी। क्या उक्त अनुशंसा निरस्त की जायेगी? अवगत करावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** शासकीय कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर जिला राजगढ़ के प्रभारी प्राचार्य के विरूद्ध की गई शिकायतों की जांच प्राचार्य शासकीय गांधी उ.मा.वि.पचोर, जिला राजगढ़ के द्वारा कराई गई। प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र के आधार पर ही जांच करवाई गई जांच में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि नही होने से कोई कार्यवाही नही की गई। (संलग्न जांच प्रतिवेदन) **(ख)** प्रश्नांश में उल्लेखित डब्ल्यू.पी. 409/2024

बी.एड. प्रशिक्षण की अनुमति से संबधित नही हैं। श्री सुभाष शर्मा अध्यापक, को अशासकीय संस्था से बी.एड. करने की पात्रता नहीं है, साथ ही श्री शर्मा ने विद्यालय से भारमुक्त हुए बगैर अशासकीय संस्था ज्योति कॉलेज ऑफ एजुकेशन डोंडी जिला सीहोर में बी.एड. करने हेतु प्रवेश लिया हैं तथा अध्ययन अवकाश या अन्य कोई अवकाश का आवेदन भी कार्यालय को प्रस्तुत नही किया हैं। डब्ल्यू.पी. 20837/2023 में भी माननीय न्यायालय द्वारा यह कहा गया हैं कि यदि संबंधित नियमित रूप से अपनी सेवाएँ दे रहा है (Discharging the duties regularly) तो वेतन भुगतान किया जाए। संबंधित कर्तव्य से अनुपस्थित है इस कारण दिनांक 17.6.2023 से वर्तमान तक अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण वेतन की पात्रता नहीं आती है। वेतन भुगतान का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** पत्र क्रमांक 397 दिनांक 11.3.2024 के क्रम में नगर पालिका अधिकारी सारंगपुर द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई हैं। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नही होता हैं।

कायाकल्प अभियान में हुए कार्यों की जांच
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

76. परि.अता.प्र.सं. 51 (क्र. 2805) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अशोकनगर जिले में योजना प्रारंभ होने से लेकर प्रश्न दिनांक तक कायाकल्प अभियान में कुल कितनी राशि विभाग को प्राप्त हुई? कितनी राशि शेष है? तालिका में वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** कायाकल्प अभियान की क्रियान्वयन के लिए विभाग के द्वारा जारी किए गए समस्त निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें? **(ग)** अशोकनगर जिले में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कायाकल्प अभियान के अंतर्गत कार्य कराया गया है? प्रत्येक केंद्र पर व्यय की गई राशि, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र, केश बुक, माप पुस्तिका, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावे। **(घ)** क्या भ्रष्टाचार के चलते ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किए गए कार्य की माप पुस्तिका उपलब्ध नहीं है? **(ड.)** क्या राज्य शासन जांच के लिए राज्य स्तरीय जांच दल गठित करेगी या नहीं?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [*(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। शेष भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। **(ग)** कुल 15 स्वास्थ्य संस्थाओं, 01 जिला चिकित्सालय, 02 सिविल अस्पताल, 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 01 निविदा आमंत्रित कर एक ही अनुबंध में कार्य राशि रूपये 15065981.00 को सम्पादित कराया गया। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार** है। **(घ)** जी नहीं, सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में कराये गये कार्यों की माप पुस्तिकाएं थी, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार** है, प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिवहन चौकी में प्रायवेट व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाना
[परिवहन]

77. परि.अता.प्र.सं. 102 (क्र. 3775) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के परिपत्र क्रमांक 1973/प्रर्व.-राजस्व/टीसी/2017 ग्वालियर, दिनांक 30/03/2017 एवं पत्र क्रमांक 2396/प्रर्व.-राजस्व/टीसी/2017 ग्वालियर, दिनांक 19/04/2017 के द्वारा परिवहन चौकियों/उड़नदस्तों पर किसी भी तरह के प्रायवेट व्यक्तियों को कार्य करने हेतु मौजूद रहने को निषिद्ध किये जाने के निर्देश दिये गये थे? यदि हाँ, तो शिवपुरी जिले में चैक पोस्ट सिकंदरा (दिनारा) एवं कोटानाका (कोलारस) में प्रायवेट व्यक्ति कैसे कार्य कर रहे हैं? यदि नहीं, कर रहे हैं तो कौन-कौन से शासकीय अधिकारी/कर्मचारी उक्त दोनों चैक पोस्टों पर मई 2024 की स्थिति में पदस्थ थे? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित परिपत्र के अनुसार शिवपुरी जिले में क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारी शिवपुरी द्वारा जनवरी 2022 से मई 2024 तक कब-कब, कहाँ-कहाँ पर भ्रमण कर परिवहन जांच चौकी एवं उड़नदस्ता की जांच कब-कब की गई? उक्त अधिकारियों द्वारा परिवहन आयुक्त को प्रायवेट व्यक्ति कार्यरत नहीं है, के प्रमाण-पत्र की भेजी गई जानकारी की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी दें। **(ग)** क्या उक्त दोनों जांच चौकी/उड़नदस्ता में शिवपुरी जिले में आपराधिक प्रवृत्ति के प्रायवेट व्यक्ति कार्य करते पाये जाने की शिकायतें प्रश्नकर्ता को भ्रमण के दौरान, जनप्रतिनिधियों, पीड़ितों, समाचार पत्रों, लिखित शिकायतों के माध्यम से जनवरी 2022 से मई 2024 तक कोई शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो, प्राप्त शिकायतों की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी दें कि विभाग द्वारा क्या कार्यवाही किसके प्रति कब की गई?

परिवहन मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **]** **(क)** जी हाँ। शासन के आदेश दिनांक 30.06.2024 के द्वारा प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन जांच चौकियों का संचालन दिनांक 01.07.2024 से बंद कर दिया गया है। पूर्व में शिवपुरी जिले में चैकपोस्ट सिकंदरा (दिनारा) एवं कोटानाका (कोलारस) पर शासन की नीति के अनुसार शासकीय लोकसेवकों की ही पदस्थापना की जाती थी, जो प्रदेश में प्रचलित मोटरयान नियमों/अधिनियमों के तहत कार्य संपादन करते थे। माह मई 2024 की स्थिति में उक्त दोनों परिवहन जांच चौकियों पर पदस्थ शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ एवं ब अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (ख) में वर्णित परिपत्र अनुसार शिवपुरी जिले में कोई भी परिवहन उड़नदस्ता कार्यरत नहीं हैं। जिला परिवहन अधिकारी, शिवपुरी द्वारा आलोच्य अवधि में उनके क्षेत्रांतर्गत संचालित परिवहन जांच चौकियों का भ्रमण समय-समय पर किया जाता रहा है। परिवहन जांच चौकियों पर वरिष्ठ सक्षम अधिकारियों के भ्रमण/निरीक्षण के संबंध में प्रविष्टियां वहां पर संधारित किये जाने वाले रोजनामचा आम में की जाती थीं। **(ग)** आलोच्य अवधि में उक्त दोनों जांच चौकी/उड़नदस्ता में शिवपुरी जिले में आपराधिक प्रवृत्ति के प्रायवेट व्यक्ति कार्य करते पाये जाने की शिकायतें विभाग के संज्ञान में नहीं हैं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "दस"</u>

निजी चिकित्सालयों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

78. परि.अता.प्र.सं. 112 (क्र. 3878) श्री उमाकांत शर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल, ग्वालियर संभाग में दिनांक 01.04.2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने निजी चिकित्सालय (सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी, सामान्य), निजी नर्सिंग होम, निजी प्रसूती गृह, डे-केयर सेंटर एवं ओ.पी.डी. क्लिनिक संचालित हैं? इन चिकित्सालयों की मान्यता कब-कब प्रदान की गई है? विकासखण्डवार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। क्या पंजीकृत चिकित्सालय मानव संसाधन, जैविक कचरा निस्तारण, निर्धारित परामर्श एवं सेवा शुल्क आदि अन्य मापदण्डों का पालन करते हैं? निर्धारित मापदण्डों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि मापदण्डों का पालन नहीं करते हैं तो उन पर मान्यता रदद् करने हेतु क्या कार्यवाही की गई? निजी चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सकों की जानकारी, नाम सहित चिकित्सालयवार, विकासखण्डवार एवं नगर निगमवार, जिलावार उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में मापदण्डों के पंजीयन के समय एवं समयबद्ध रूप से आकस्मिक निरीक्षण/परीक्षण कब-कब कौन-कौन से अधिकारियों द्वारा किया गया? क्या अनियमितताएं पाई गई? यदि हाँ, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? बतावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना में प्रदेश में कितने चिकित्सालय को अधिकृत किया गया है? चिकित्सालयों के नाम सहित, विकासखण्डवार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(घ)** प्रश्नांश (ख) के सन्दर्भ में प्रदेश में योजना प्रारंभ से आयुष्मान कार्ड धारियों का कितने रोगियों का उपचार किया गया एवं कितनी राशि का, किस बीमारी का, किस चिकित्सालय को भुगतान किया है? भुगतान राशि, उपचारित मरीज, चिकित्सालयवार, तहसीलवार, जिलेवार, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। क्या चिकित्सालय आयुष्मान योजना के निर्धारित मापदण्डों का पालन करते हैं? यदि नहीं, तो इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? बतावें। **(ड.)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में भोपाल एवं ग्वालियर संभाग में कितने अपंजीकृत चिकित्सालय एवं क्लिनिक संचालित हैं? विकासखण्डवार, जिलेवार, चिकित्सालयवार जानकारी देवें तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? **(च)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में भोपाल, ग्वालियर के हॉस्पिटलों में किस-किस बीमारी के उपचार की कितनी-कितनी राशि निर्धारित है? बीमारी के नाम, हॉस्पिटल के नाम सहित जानकारी देवें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** भोपाल, ग्वालियर संभाग में संचालित निजी चिकित्सालय (सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी/ सामान्य), निजी नर्सिंग होम, निजी प्रसूती गृह, डे-केयर सेंटर एवं ओपीडी क्लीनिक संबंधी पतेवार, जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। जी हां, पंजीकृत निजी चिकित्सालयों द्वारा मध्यप्रदेश उपचार्यगृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 एवं नियम, 1997 (यथासंशोधित) 202 के नियम 17 अंतर्गत अनुसूची-दो (झ), (ट) में उल्लेखित मानव संसाधन तथा (ड.) में उल्लेखित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन तथा (ब) में उल्लेखित चिकित्सीय सेवा शुल्क संबंधी मापदण्डों का पालन किया जाता है। निर्धारित मापदण्डों की छायाप्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है।

मापदण्ड पालन नहीं करने वाले निजी चिकित्सालयों को विनियामक अधिनियम की धारा 6 अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है एवं उक्त परिपालन में प्राप्त प्रति उत्तर असंतोषजनक होने पर धारा 5 अनुरूप मान्यता रद्ध की जाती है। निजी चिकित्सालयों में पदस्थ चिकित्सकों की नाम सहित चिकित्सालयवार, विकासखण्डवार एवं जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश "क" के संदर्भ में मापदण्डों के पंजीयन के समय एवं समयबद्ध रूप से आकस्मिक निरीक्षण/परीक्षण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"द" अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश "क" के संदर्भ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना में प्रदेश में संबद्ध निजी चिकित्सालयों के नाम सहित विकासखण्डवार, जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ई" अनुसार** है। **(घ)** प्रदेश में योजना प्रारंभ से आयुष्मान कार्डधारी 713939 रोगियों का उपचार किया गया। मरीज की बीमारी की जानकारी व्यक्तिगत होने के कारण साझा नहीं की जा सकती है। भुगतान राशि, उपचारित मरीज चिकित्सालयवार, तहसीलवार, जिलेवार, वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"फ" अनुसार** है। जी हां, आयुष्मान योजना से संबद्ध चिकित्सालय आयुष्मान योजना के निर्धारित मापदण्डों का पालन करते है। यदि चिकित्सालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं किया जाता है तो, एन.एच.ए/एस.एच.ए के दिशा-निर्देश एवं एस.ओ.पी अनुसार कार्यवाही की जाती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत विभिन्न निजी चिकित्सालयों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ज" अनुसार** है। **(ड.)** उत्तरांश "क" के संदर्भ में भोपाल एवं ग्वालियर संभाग में अपंजीकृत चिकित्सालय/क्लीनिक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ह" अनुसार** है। **(च)** प्रदेश में निजी चिकित्सालयों के विनियमन हेतु प्रवृत्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार उपचर्यागृह के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न चिकित्सकीय सेवाओं तथा विभिन्न वार्डो के शुल्क, चिकित्सक/ परिचर्या शुल्क, नैदानिक जांच आदि की दर सूची रजिस्ट्रीकरण कांउटर पर प्रमुखता से प्रदर्शन किया जाना होता है। अत: उत्तरांश "क" के संदर्भ में भोपाल, ग्वालियर के हॉस्पिटलों में बीमारीवार निर्धारित राशि की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खरीदी में अनियमितता
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

79. परि.अता.प्र.सं. 124 (क्र. 3947) श्री पंकज उपाध्याय : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुरैना जिला चिकित्सालय में कितने पद स्वीकृत हैं और किन पदों पर कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कितने समय से कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? **(ख)** जिले में आउटसोर्स ठेका कितने समय एवं कितनी राशि का हुआ है? आउटसोर्स कंपनी की संपूर्ण निविदा के बारे में जानकारी प्रदान करें। **(ग)** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन शहर मुख्य अस्पताल अधीक्षक के खिलाफ कर्मचारियों एवं आमजन के द्वारा कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं इन शिकायतों में क्या कार्रवाई की गई? **(घ)** क्या जिला चिकित्सालय में महिला कर्मियों का यौन एवं शारीरिक उत्पीड़न हुआ है? अगर हुआ है तो दोषियों पर क्या कार्रवाई की गई? **(ड.)** वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक जिला अस्पताल में कितनी सामग्री खरीदी गई? उपकरण, दवाइयां एवं अन्य की बिल की छायाप्रति सहित जानकारी उपलब्ध कराएं।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार*** *है।* ***(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार*** *है।* ***(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार*** *है। कार्यवाही प्रचलन में है। जांच उपरांत प्रकरण में गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।* ***(घ)*** *प्रश्नांश (ग) अनुसार जांच उपरांत प्रकरण में गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।* ***(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(ड.)** वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक खरीदी सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"द" अनुसार** तथा सामग्री बिल की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ई" अनुसार** है।

परमिट से प्राप्त राजस्व
[परिवहन]

80. अता.प्र.सं.156 (क्र. 4087) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन संभाग में वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक विभिन्न कैटेगरी के वाहनों का कितनी-कितनी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुआ तथा उनसे किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? संख्यात्मक जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितनी निजी सवारी बसों को परमिट दिया गया तथा उनसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ? वर्षवार बताएं। **(ग)** प्रश्नाधीन वर्षों में राज्य के बाहर सवारी यात्रा के लिये कितनी बसों को परमिट दिए गए तथा उनसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ? **(घ)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग को किस-किस मद में कितना-कितना राजस्व मिला तथा किस-किस मद में कितना व्यय हुआ? विभाग को प्रतिवर्ष कितना-कितना लाभ अथवा हानि हुई? यदि लाभ हुआ तो उसका क्या उपयोग किया गया?

परिवहन मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।***] (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। उनसे विभिन्न मद में प्राप्त हुई राशि की संख्यात्मक **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ई अनुसार** है। विभाग द्वारा प्राप्त राजस्व में से व्यय नहीं किया जाता, अपितु व्यय हेतु पृथक से कार्यालयीन मदों में बजट आवंटित होता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में लाभ-हानि के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

टेण्डर स्वीकृति में अनियमितताएं
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

81. परि.अता.प्र.सं. 169 (क्र. 4133) श्री हेमंत कटारे : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत विगत 02 वर्षों में निम्न तीन फर्म 1. Science House Medical Private Ltd., 2. Sinco India & 3. Anu Sales Corporation के किन-किन कार्यों के कौन-कौन से टेण्डर स्वीकृत किये गये? फर्म व वर्षवार स्वीकृत प्रत्यके टेण्डर की पूर्ण जानकारी निविदा क्र. दिनांक, कार्य, स्वीकृत दिनांक, निविदा की राशि, निविदा के साथ संलग्न किये गये समस्त सपोर्टिंग दस्तावेज जिनमें कार्य अनुभव, बैंक गारंटी, प्रक्रिया में

कौन-कौन फर्मों ने भाग लिया एवं तकनीकी बिड को कितनी फर्म पात्र रहीं फर्मों के नाम सहित, टेण्डर प्रक्रिया की नोटशीट सभी की छायाप्रतियां उपलब्ध करायी जाये? **(ख)** प्रश्नांश (क) में वर्णित तीनों फर्मों को विगत 02 वर्षों में री-टेण्डर प्रक्रिया में कौन-कौन से टेण्डर स्वीकृत हुये? फर्म व वर्षवार स्वीकृत किये प्रत्येक टेण्डर की पूर्ण जानकारी निविदा क्र., दिनांक, कार्य, स्वीकृत दिनांक, निविदा की राशि निविदा के साथ संलग्न किये गये समस्त सपोर्टिंग दस्तावेज जिनमें कार्य अनुभव, बैंक गारंटी की जानकारी दी जाये। जिन टेण्डरों को निरस्त कर री-टेण्डर किये गये, उनको निरस्त करने का आधार क्या था? जानकारी दें तथा प्रक्रिया से संबंधित नोटशीट/दस्तावेजों की छायाप्रतियां उपलब्ध करायी जाये। **(ग)** उक्त सभी फर्मों के स्वीकृत टेण्डरों में टेण्डर के समय निर्धारित प्राईज क्या थी तथा समापन के बाद किस प्राईज से भुगतान किया गया? टेण्डर एवं टेण्डर प्रोडक्ट हेतु निर्धारित प्राईज का क्या समापन के समय प्राईज रिवीजन किया गया? यदि हाँ, तो रेट रिवीजन करने का क्या आधार था? ऐसे समस्त प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध करायी जाये। **(घ)** उक्त फर्मों को प्राप्त हुये कौन-कौन से टेण्डर की कार्यावधि बढ़ायी गई? कार्यावधि बढ़ाने का आधार क्या था एवं क्या उक्त वृद्धि टेण्डर की शर्तों के अनुरूप थी? कार्यावधि बढ़ाने वाले प्रत्येक टेण्डर की जानकारी सहित उपलब्ध करायी जाये। **(ड.)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित तीनों फर्मों को विगत 02 वर्षों में स्वीकृत समस्त टेण्डरों का फर्मों को किन-किन स्तरों पर किस स्तर के अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त कितना-कितना भुगतान किस-किस दिनांक को किया गया? भुगतान स्वीकृति से संबंधित विवरण उपलब्ध कराया जाये। **(च)** क्या आलोच्य अवधि में उक्त तीनों फर्म एक ही परिवार की होने व इनको विभाग के उच्चतम अधिकारी का संरक्षण प्राप्त होने से नियम विरुद्ध टेण्डर स्वीकृत कर लाभ पहुँचाने अथवा अन्य प्रकार की कितनी शिकायतें आर्थिक अपराध ब्यूरो अथवा विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करायी जाये। **(छ)** क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित तीनों फर्मों में से किसी को विभाग द्वारा आलोच्य अवधि में ब्लैक लिस्ट किया गया अथवा ब्लैक लिस्ट करने हेतु शोकॉज नोटिस जारी किया गया? यदि हाँ, तो शोकॉज नोटिसों की छायाप्रतियां एवं उन पर की गई कार्यवाही के दस्तावेज उपलब्ध करायें? क्या इन फर्मों पर कोई दण्ड अधिरोपित किया गया अथवा अरनेस्ट मनी (E.M.D.) को राजसात करने की कार्यवाही प्रचलित की गई? पूर्ण जानकारी दी जावे।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क) से (छ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं, उत्तरांश (क) मे वर्णित तीनों फर्मों के साथ विगत 02 वर्षों में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पो. लिमि. द्वारा किसी भी री-टेण्डर के अंतर्गत अनुबंध नहीं किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश (क) में वर्णित फर्मों के स्वीकृत टेण्डरों में निर्धारित प्राईस तथा समापन के बाद भुगतान संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पो. लिमि. द्वारा जारी होने वाली निविदाओं के अंतर्गत बिडर प्राईस रिवीजन संबंधी प्रावधान वर्णित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार** है। MPPHSCL द्वारा प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं हेतु औषधि/कन्ज्युमेबल सामग्री/उपकरण/सर्विस हेतु केवल दर मात्रा अनुबंध

उपलब्ध कराया जाता है, अनुबंधित उत्पादों हेतु क्रयादेश जारी किये जाने से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया मांगकर्ता विभाग/क्रयकर्ता प्राधिकारी द्वारा की जाती है। **(च)** उत्तरांश (क) में वर्णित फर्मों मे से केवल 01 फर्म के विरूद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईकाई, भोपाल में की गयी शिकायत के संबंध में MPPHSCL कार्यालय द्वारा विधिक अभिमत के आधार पर जिसमें निविदाकार के विरूद्ध किसी भी प्रकार का अपराध सिद्ध नहीं हुआ, निविदाकार को निविदाओं में निविदा शर्तानुसार भाग लिया जाने हेतु पात्र किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"द" अनुसार** है। **(छ)** जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चेक पोस्ट/टोल नाकों पर अभद्रता व अवैध वसूली
[परिवहन]

82. परि.अता.प्र.सं. 170 (क्र. 4151) श्री उमंग सिंघार : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग के चेक पोस्ट/टोल नाकों पर भारी वाहन व अन्य वाहनों के चालकों/मालिकों से गुंडागर्दी के साथ अवैध रूप से वसूली किये जाने के मामले विभाग के संज्ञान में हैं एवं दिनांक 01 फरवरी, 2024 से लगातार सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों में इस विषय को लेकर खबरे प्रकाशित हो रही है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में विगत 5 वर्षों में अवैध वसूली किये जाने से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? शिकायतवार की गई कार्यवाही की जानकारी दें। **(ग)** उक्त अवैध वसूली की रोकथाम के लिए डिजिटलाइजेशन कराने हेतु विभाग द्वारा विगत 05 वर्षों में क्या-क्या कार्यवाही की गई है एवं की गई कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों एवं नस्तियों की छायाप्रति उपलब्ध करायें? **(घ)** क्या वर्तमान में पदस्थ परिवहन आयुक्त के संरक्षण में उक्त अवैध वसूली का कारोबार चल रहा है? यदि नहीं, तो क्या इस अवैध वसूली एवं परिवहन आयुक्त की भूमिका की जांच ई.ओ.डब्ल्यू. या अन्य जांच एजेंसी से करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **]** **(क)** प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थापित परिवहन जांच चौकियों पर पदस्थ शासकीय अमले द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989, मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम/नियम 1991 एवं म.प्र. मोटरयान नियम 1994 व इनके अधीन/सहनिर्मित/सहपठित आदेशों, अनुदेशों में विहित प्रावधानों के अनुसार वाहनों की जांच की जाती हैं एवं कमी पायी जाने पर चालानी कार्यवाही कर शासकीय राजस्व वसूली किया जाकर उसकी पावती संबंधित वाहन चालक/मालिक को प्रदान की जाती है। यद्पि समय-समय पर मुख्यालय द्वारा अमले को दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं कि चैकपोस्ट परिसर में आने वाले सभी वाहन चालकों/मालिको से शालीनता पूर्वक व्यवहार किया जावें तथा वाहनों को अनावश्यक रूप से परिवहन जांच चौकी पर न रोका जावें। जारी किये गये निर्देशों की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** हैं। तथापि कतिपय परिवहन जांच चौकियों के संबंध में उल्लेखित प्रकार की शिकायतें एवं 01 फरवरी 2024 से समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित समाचारों में से कुछ विभाग के संज्ञान में आई हैं। शासन के आदेश दिनांक 30.06.2024 के द्वारा प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन जांच चौकियों का संचालन दिनांक 01.07.2024 से बंद

कर दिया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में विगत 5 वर्षों में अवैध वसूली की प्राप्त शिकायतों का शिकायतवार विवरण एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** हैं। **(ग)** परिवहन विभाग के डिजिटलाइजेशन हेतु परिवहन विभाग के चैकपोस्टों के स्थान पर परिवहन चैकिंग प्वाइंट तथा मोबाइल यूनिट आधुनिक उपकरणों सहित स्थापित करने हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ हैं, जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** हैं। वाहन चैकिंग हेतु आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रवर्तन अमले को उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। **(घ)** जी नहीं, विभाग में परिवहन आयुक्त के निर्देशन में परिवहन विभाग केन्द्र एवं प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप उन्नत एवं सशक्त परिवहन प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से, नवीन तकनीकों का समावेश विभाग की कार्यप्रणाली में करते हुये मोटरवाहनों के आवागमन को निरापद/सुरक्षित करने, शासकीय राजस्व उद्ग्रहण बढ़ाने, अवैध संचालन एवं ओव्हरलोड वाहनों के संचालन पर नियंत्रण हेतु कार्य किया जाता है। शासन के आदेश दिनांक 30.06.2024 के द्वारा प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन जांच चौकियों का संचालन दिनांक 01.07.2024 से बंद किया गया हैं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पी.एम. श्री एयर एम्बुलेंस सेवा
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

83. परि.अता.प्र.सं. 171 (क्र. 4153) श्री उमंग सिंघार : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में पी.एम. श्री एयर एम्बुलेंस सेवा कब से प्रारंभ किस उद्देश्य को लेकर की गई एवं इस योजना में विभाग का क्या दायित्व है? **(ख)** उक्त एम्बुलेंस सेवा का प्रश्न दिनांक तक कितने लोग/मरीजों को लाभ मिला है? लाभ उठाने वाले मरीजों के नाम व पता सहित कहां से कहां तक ले जाया गया, की संपूर्ण सूची दें। **(ग)** उक्त सेवा योजना के लिए क्या नियम और नीति के साथ कार्ययोजना का विश्लेषण किया गया है? यदि हाँ, तो बताएं। यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या नेशनल हाइवे अथॉरिटी स्वास्थ्य विभाग को एयर सेवा के साथ जोड़ा गया है? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में आयुष्मान कार्डधारकों के सभी कोड्स प्रदेश के सभी अस्पतालों में लागू नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में मरीज को कौन से अस्पताल में भेजा जाना है, यह कैसे निर्धारित होगा? **(च)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में टेलीमेडिशन के लिए जिस एजेंसी को टेण्डर दिया गया है, इस एजेंसी को पूर्व का क्या-क्या अनुभव है? जानकारी दें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** प्रदेश में पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा दिनांक 29.05.2024 को सेवाप्रदाता संस्था M/s. ICATT Health Solution Pvt. Ltd., Bangaluru के साथ अनुबंध निष्पादन उपरांत प्रारंभ कर दिया गया है। उद्देश्य एवं इस योजना में विभाग के दायित्व की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। जानकारी उत्तरांश (क) के **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ग)** असंबंधित। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** 1. नि:शुल्क हेल्पलाईन नंबर- आयुष्मान योजनांतर्गत नि:शुल्क हेल्पलाईन नंबर 14555/14477 or 1800-11-4477 जारी किये गये हैं। जिससे हितग्राही यह जानकारी

प्राप्त कर सकता है कि उसे संबंधित बीमारी के लिए किस अस्पताल हेतु जाना है। 2. कॉल सेंटर-आयुष्मान योजनांतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों द्वारा Call Centre Number 14555/14477 or 1800-11-4477 से यह जानकारी प्राप्त कर सकता है कि उसे संबंधित बीमारी के लिए किस अस्पताल में इलाज हेतु जाना है, जो कि आयुष्मान कार्ड के पीछे प्रदर्शित है। 3. किसी भी जिले या राज्य में उपलब्ध बीमारी से संबंधित विषय विशेषज्ञताओं के संबंध में और उनसे संबंधित सूचीबद्ध अस्पतालों का विवरण निम्नांकित लिंक के माध्यम से हितग्राही जानकारी प्राप्त कर सकता है। **https://hospitals.pmjy.gov.in/Search/empnlWorkFlow.htm?actionFlag**=ViewRegisteredHosptIsNew पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति/अनुशंसा के आधार पर मरीज को उपचार हेतु सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। **(च)** विमानन संचालनालय मध्यप्रदेश से प्राप्त जानकारी अनुसार, विमानन विभाग द्वारा टेलीमेडिशन के लिये कोई भी टेंडर नहीं किया गया है। विमानन विभाग द्वारा मेसर्स ICATT HEALTH SOLUTION PVT. LTD. को एयर एम्बुलेंस की सुविधा हेतु निविदा के माध्यम से टेंडर प्रदाय किया गया है। यह संस्था उपरोक्त कार्य हेतु वर्ष 2017 से पंजीकृत है एवं इनके द्वारा समय-समय पर अन्य राज्य सरकारों एवं अन्य एजेंसियों हेतु एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रदाय की जा रही है। जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है।

जननी एक्सप्रेस एवं एम्बुलेन्स का प्रदेश में संचालन
[परिवहन]

84. अता.प्र.सं.172 (क्र. 4161) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** एन.आर.एच.एम. द्वारा अनुबंध पर किराए से लिए गए 108 जननी एक्सप्रेस और 108 एम्बुलेन्स के संचालन में हो रही टैक्स चोरी के संबंध में पत्र दिनांक 18/03/2024 के माध्यम से आवेदक पुनीत टंडन द्वारा परिवहन आयुक्त को संबोधित पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए जानकारी देवें कि पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? **(ख)** उपरोक्त शिकायती पत्र के परिप्रेक्ष्य में यह बतावें कि नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा जय अम्बे प्राइवेट लिमिटेड से छत्तीसगढ़ में पंजीकृत परिवहन नम्बरों पर दर्ज कितने और कौन-कौन से वाहन संचालित हैं? पंजीकृत नम्बर अनुसार सूची दें। **(ग)** शिकायती पत्र के आधार पर बतावें कि जय अम्बे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहनों से प्रदेश को किस-किस वाहन से किस अवधि तक कुल कितनी राशि की राजस्व हानि हुई? **(घ)** टैक्स चोरी के आरोपियों के नाम और पद बतावें और उनके विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जाएगी? निश्चित समयावधि बतायें। विलम्ब के लिये/बिना अनुमति संचालन पर विभाग में किसकी जिम्मेदारी तय कर क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी बतायें। **(ड.)** जननी एक्सप्रेस एवं एम्बुलेन्स संचालन के क्या नियम है? किन नियमों के उल्लंघन पर क्या सजा के प्रावधान है? विभाग में रोकथाम के लिये क्या रणनीति तय है उसका पालन कब और कैसे किया जाता है? जानकारी दें।

परिवहन मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **]** **(क)** वांछित पत्र की प्रतियां **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। उक्त पत्र में की गई शिकायत के संबंध में विभागीय स्तर पर जांच की जा रही है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब**

अनुसार है। **(ग)** एवं **(घ)** उक्त संबंध में विभागीय स्तर पर जांच की जा रही है। जांचोपरांत ही तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट होगी। **(ड.)** जननी एक्सप्रेस का संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा संबंधित सेवा प्रदाता कंपनी जय अम्बे प्राइवेट लिमिटेड के मध्य हुए अनुबंध में विहित शर्तों/नियमों के तहत किया जा रहा है, जिसके उल्लंघन करने पर अनुबंध के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने के प्रावधान है। प्रदेश में एम्बुलेन्स का संचालन मोटरयान अधिनियम एवं नियमों तथा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम एवं नियम में विहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, जिसके उल्लंघन में उक्त अधिनियम/ नियमों में सजा के प्रावधान विहित किये गये हैं। परिवहन विभाग द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान कोई भी एम्बुलेन्स वाहन नियम विरुद्ध संचालित होते पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>दिनांक 19 जुलाई, 2024</u>

अवैध प्लाटिंग रोकी जाना
[नगरीय विकास एवं आवास]

85. परि.अता.प्र.सं. 3 (क्र. 615) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** चित्रकूट नगरीय क्षेत्रों में किन-किन स्थानों में प्लाटिंग चल रही है? किन-किन के द्वारा प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है? क्या प्लाटिंग करने वाले पंजीकृत हैं या नहीं? पंजीकरण की पूर्ण जानकारी देवें एवं यह भी बतावें कि बिना अनुमति/पंजीयन के जमीनों की प्लाटिंग के क्या नियम हैं? नियमों की प्रतियां देवें। **(ख)** प्रश्नांश "क" के अनुसार चित्रकूट विधानसभा में किन-किन स्थानों में प्लाटिंग की अनुमति किस प्राधिकारी से ली गई है? अनुमति की प्रतियां दें। **(ग)** अभी तक वर्ष 2014 से 2024 के बीच कितनी कॉलोनियां वैध रूप से निर्मित हो गई हैं तथा उनमें प्लाटों/भवनों की संख्या पृथक-पृथक कितनी है? **(घ)** कितनी कॉलोनियां अवैध हैं और क्रमशः 1. कितने प्लाटों की रजिस्ट्रियां हुई? 2. कितने में भवन निर्मित हुये हैं? 3. कितनी कृषि भूमि पर प्लाटिंग की कार्यवाही चल रही है? 4. प्रत्येक प्लानिंग की जानकारी दें कि किस आधार पर चल रही है? 5. कृषि भूमि को प्लाटिंग के पूर्व क्या डायवर्सन कराया गया था? 6. प्लाटिंग से पूर्व क्या नगर पंचायत/परिषद् चित्रकूट से अनुमति ली गई हैं? 7. यदि बिन्दु क्रमांक 1 से 6 तक प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई तो दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाहियां की गई? कौन-कौन इसके लिये जिम्मेदार हैं? उन पर क्या और कब तक कार्यवाहियां की जायेगी? **(ड.)** नगरीय क्षेत्र में नवीन कॉलोनी विकसित करने के लिये क्या रेरा विभाग का पंजीयन आवश्यक है? यदि हाँ, तो कितने कालोनाईजरों ने पंजीयन कराया है? प्लाटिंग की अनुमति ली है? कृपया पूर्ण जानकारी अभिलेखों सहित देवें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। जी नहीं, बिना अनुमति/पंजीयन के भूमि की प्लाटिंग का कार्य अनधिकृत रूप से कॉलोनी निर्माण की श्रेणी में आता है, अनधिकृत कॉलोनी के सम्बन्ध में

कार्यवाही के लिए म.प्र. नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के भाग-3 में प्रावधान हैं **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश (क) के अनुसार प्लाटिंग की अनुमति किसी भी प्राधिकारी से प्राप्त नहीं की गई है। उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** नगरीय क्षेत्र चित्रकूट के क्षेत्र अन्तर्गत प्रश्नांकित अवधि में विकास अनुमति प्राप्त वैध कॉलोनियॉ निर्मित नहीं हुई हैं। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339-ग के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, वैधानिक प्रक्रिया होने के कारण समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है। **(ड.)** जी हॉ। उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

हरदा एवं बैतूल जिले के राजस्व ग्राम
[नगरीय विकास एवं आवास]

86. अता.प्र.सं.13 (क्र. 1716) कुँवर अभिजीत शाह : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** हरदा जिले के किस-किस नगरीय निकाय में कौन-कौन से राजस्व ग्राम शामिल है, कौन से राजस्व ग्राम का आंशिक हिस्सा शामिल है किस ग्राम में कितनी शासकीय भूमि एवं कितनी निजी भूमि दर्ज है। **(ख)** नगरीय निकाय में शामिल राजस्व ग्रामों की बड़े झाड़, छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज जमीन एवं वन विभाग द्वारा वर्किंग प्लान में दर्ज आरक्षित वन, संरक्षित वन भूमि पर जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार किस-किस दिनांक को मोहल्ला समिति का गठन किया गया। **(ग)** किस मोहल्ला समिति ने व्यक्तिगत वन अधिकार एवं सामुदायिक वन अधिकार के दावे आमंत्रित करने के संबंध में किस नगरीय निकाय ने किस-किस दिनांक को क्या कार्यवाही की है किस समिति के पास प्रश्नांकित दिनांक तक कितने भूमि के कितने दावे प्राप्त हुए। **(घ)** नगरीय निकाय मोहल्ला समिति का गठन कर कब तक दावे आमंत्रित करेंगे समय-सीमा सहित बतावें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। **(ख)** एव **(ग)** नगरीय क्षेत्र में वन भूमि सम्मिलित नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** उत्तरांश "ख" एवं "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

सरकारी जमीन पर बनाई गई झुग्गियों की जानकारी
[नगरीय विकास एवं आवास]

87. अता.प्र.सं.24 (क्र. 2909) श्री फूलसिंह बरैया : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भोपाल शहर में सरकारी जमींन पर झुग्गियां बनाई गई है? यदि हाँ, तो निगम प्रशासन द्वारा सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है? क्या यह सही है? **(ख)** भोपाल शहर के पत्रकार भवन के आस-पास पहाड़ियों पर बनी झुग्गियां बनाने की अनुमति किसके द्वारा दी गई है जानकारी एवं स्थापित करने की नियमावली उपलब्ध करावें। **(ग)** भोपाल शहर में प्रश्न दिनांक तक कितनी झुग्गी बस्तियां बन गई है और शासन द्वारा कितनी बस्तियों में बिजली, पानी, सड़क की सुविधाएं दी जा रही है, कितनी बस्तियों को वैध एवं कितनी बस्तियों को

अवैध घोषित किया गया है, सूची उपलब्ध करावें। **(घ)** शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट के बाद कहां-कहां की झुग्गियां हटाई गई और भदभदा बस्ती के लोगों को कहां आवास आवंटन किया गया है सूचीवार जानकारी उपलब्ध करावें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** (**क**) सरकारी जमीन पर बनाई गई झुग्गियों में नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 67(अ) के प्रावधानों के अंतर्गत मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई गई है। भोपाल शहर के लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाना निगम की जिम्मेदारी है। **(ख)** नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा झुग्गियां बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है। उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। झुग्गी बस्तियों को वैध किये जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है। उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है।

भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट में विलम्ब
[नगरीय विकास एवं आवास]

88. परि.अता.प्र.सं. 30 (क्र. 3212) श्री अजय अर्जुन सिंह : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट कब मंजूर हुआ था? यह प्रोजेक्ट कितने वर्षों में पूरा होना था? **(ख)** प्रोजेक्ट की मंजूरी के समय इसकी कितनी लागत अनुमानित थी? **(ग)** क्या प्रोजेक्ट में विलम्ब हो रहा है? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है? **(घ)** वर्तमान स्थिति में भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के कब तक पूरा होने का अनुमान है? प्रोजेक्ट में हो रहे विलम्ब के कारण इसकी लागत में कितनी बढ़ोत्तरी हो रही है?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] (**क**) केन्द्र सरकार द्वारा भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट की मंजूरी दिनांक 30/11/2018 को दी गई जिसमे प्रोजेक्ट कार्यान्वयन के लिए 04 वर्ष का समय रखा गया था। **(ख)** भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट की कुल लागत राशि रू. 6941.40 करोड़ निर्धारित की गयी। **(ग)** प्रोजेक्ट के विलंब के कारण मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड को भारत सरकार एवं राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम बनाने के लिए समझौता ज्ञापन में देरी, तदुपरांत मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड की प्रथम बोर्ड बैठक दिनांक 29.12.2020 को सम्पन्न हो पाई। इन कारणों की वजह से निविदा आमंत्रण करने एवं अंतिम रूप देने में समय लगा। कोविड-19 की वजह से भी कार्य पर प्रभाव पडा। **(घ)** मेट्रो रेल सुविधा आम-जनता को वर्ष 2027 तक उपलब्ध कराने की योजना है। प्रोजेक्ट की लागत राशि में बढोतरी का मूल्यांकन अभी जारी है।

नगर निगम तथा नगर पालिका अधिनियम
[नगरीय विकास एवं आवास]

89. अता.प्र.सं.102 (क्र. 4218) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर निगम तथा नगर पालिका अधिनियम के अनुसार शहर में किस-किस प्रकार की स्थापना तथा निर्माण को, निर्माण की अनुमति के पहले या निर्माण की अनुमति के बाद, पर्यावरण विभाग की अनुमति लेना आवश्यक है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के अधिनियम अनुसार किस स्थापना तथा निर्माण को अग्नि शमन यंत्र तथा उसका सिस्टम लगाया जाना आवश्यक है। यदि नहीं लगाया जाता है, तो उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है तथा किसी दुर्घटना होने पर किस धारा में उसे आरोपी बनाया जाएगा? **(ग)** उज्जैन संभाग में प्रश्नांश (क) एवं **(ख)** अनुसार ऐसी कौन-कौन सी स्थापना तथा निर्माण है जिन्होंने पर्यावरण तथा अग्नि शमन दोनों के नियम या किसी एक के नियम का पालन नहीं किया। उनकी सूची शहर का नाम, स्थापना/निर्माण का नाम, मालिक/भागीदार का नाम, निर्माण प्रक्रिया शुरू की दिनांक, उनको दिए नोटिस का नम्बर एवं दिनांक, की गई कार्रवाई सहित सूची दें? **(घ)** पर्यावरण परख एवं अग्नि शमन सिस्टम के इंस्पेक्शन का क्या रोस्टर है तथा कौन अधिकारी इसके लिए अधिकृत है तथा बताएं कि वर्ष 2023 से जून 2024 तक प्रश्नांश (ग) वर्णित संभाग के किस-किस शहर में किस-किस स्थापना एवं निर्माण/निर्मित का पर्यावरण तथा अग्नि शमन के बारे में इंस्पेक्शन किया गया तथा उसमें क्या पाया गया? रिपोर्ट की प्रति देवें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है/*** **]** **(क)** नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं नगर पालिका अधिनियम, 1961 में पर्यावरण विभाग की अनुमति लेने के प्रावधान नहीं हैं अपितु विभागीय पत्र क्रमांक 10-44/2014/18-2 दिनांक 01.08.2014 में 50 हेक्टेयर के भूखण्डीय विकास अथवा 20000 वर्गमीटर निर्माण हेतु पर्यावरण स्वीकृति ली जाना आवश्यक है। **(ख)** उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता, यद्यपि म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 87 के प्रावधानों के अनुसार नेशनल बिल्डिंग कोड भाग 4 में उल्लेखित सभी प्रकार के भवनों में अग्नि सुरक्षा उपाय हेतु अग्निशमन यंत्र एवं उसका सिस्टम लगाकर अग्निशमन प्राधिकारी से अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। विभाग के दिशा-निर्देश में भवन स्वामी द्वारा अग्निशमन प्राधिकारी को 02 माह के भीतर फॉयर प्लान प्रस्तुत न करने पर विलंबित समय हेतु 500/- रू. प्रतिदिन की दर से दण्ड भवन स्वामी पर लेव्ही किए जाने का प्रावधान रखा गया है, जो 01 वर्ष पश्चात 1000/- रू. प्रतिदिन की दर से देय होगा। अग्निदुर्घटना होने पर आरोपी बनाने के लिए पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाती है। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 87 में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(घ)** पर्यावरण परख के इंस्पेक्शन के सम्बन्ध में इस विभाग को कोई निर्देश नहीं हैं। जिन संस्थानों को अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी है, उनका अनुज्ञप्त अग्निशमन इंजीनियर से प्रतिवर्ष फॉयर ऑडिट कराकर अग्निशमन प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित है। संभागीय कार्यालय उज्जैन में पदस्थ तकनीकी सलाहकार द्वारा उज्जैन संभाग के नगर पालिका एवं नगर परिषद् के क्षेत्र अन्तर्गत अग्निशमन के बारे में किए गए इंस्पेक्शन की जानकारी एवं रिपोर्ट **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है।

कॉलोनियों में बंधक भूखण्डों के एवज में मूलभूत सुविधा
[नगरीय विकास एवं आवास]

90. परि.अता.प्र.सं. 114 (क्र. 4224) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इटारसी एवं नर्मदापुरम तहसील में कौन-सी निजी वैध एवं अवैध कॉलोनियां हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कॉलोनियों में किस-किस कॉलोनी के कितने वर्ग फुट के कितने भूखण्ड शासकीय नियमानुसार या मूलभूत सुविधाओं की दृष्टि से कब-कब बंधक बनाये गये थे? **(ग)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित भूखण्डों में से किस-किस कॉलोनी के कौन-कौन से भूखण्ड, कब-कब नगर पालिका द्वारा छोड़ दिये गये? **(घ)** शासन के अनुसार कॉलोनियों में किस-किस मापदंड की कौन-कौन मूलभूत सुविधाएं जैसे-कितनी चौड़ी सड़कें, नालियां, विद्युत पोल, पार्क आदि होनी चाहिए? **(ड.)** क्या जिन कॉलोनियों के बंधक भूखण्ड छोड़ दिये हैं उनमें उक्त मापदंडों अनुसार काम हो गये हैं? यदि नहीं तो ऐसी कॉलोनियों के भूखण्ड कब, किसने एवं क्यों छोड़े? **(च)** उक्त कॉलोनियों में मूलभूत सुविधा, उपलब्ध कराने हेतु नगरपालिका/जिला प्रशासन को विगत तीन वर्षों में कब-कब आवेदन आये? उस पर क्या कार्यवाही की गयी? **(छ)** उक्त कॉलोनाइजरों के खिलाफ क्या वसूली की कार्यवाही की गयी? जानकारी दें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (छ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** इटारसी एवं नर्मदापुरम तहसील के अन्तर्गत नगर पालिका इटारसी एवं नर्मदापुरम क्षेत्र अन्तर्गत वैध कॉलोनियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है तथा अनधिकृत कॉलोनियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी पुस्कालय रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है।**(घ)** म.प्र. भूमिविकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार मूलभूत सुविधाओं के लिए भूमि का आरक्षण एवं सड़कों की चौड़ाई कॉलोनी के अभिन्यास अनुमोदन में निर्धारित की जाती है तथा म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के नियम 2 के प्रावधानों के अनुसार कॉलोनी में बाह्य विकास एवं आंतरिक विकास कार्य कराए जाते हैं, नियम 2021 के नियम 2 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(च)** नगर पालिका इटारसी एवं नर्मदापुरम में वर्षों पुरानी वैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधा के लिए आम नागरिकों के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका रिकार्ड नगर पालिका द्वारा संधारित न होने के कारण आवेदन की तिथिवार जानकारी दी जाना संभव नहीं है। प्राप्त आवेदनों पर नगर पालिका द्वारा यथासमय कार्यवाही कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।**(छ)** नगर पालिका इटारसी में प्रश्नांश अनुसार स्थिति निर्मित नहीं हुई है एवं नगर पालिका नर्मदापुरम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है।

विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तुओं हेतु आवास
[विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण]

91. अता.प्र.सं.111 (क्र. 4236) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या राज्यमंत्री (स्वत्रंत प्रभार), पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु विभाग द्वारा कितने परिवारों को आवास उपलब्ध कराया गया? इन आवासों की स्वीकृत राशि क्या थी? वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी उपलब्ध करायें। **(ख)** ग्वालियर जिले में प्रश्नांश 'क' अनुसार कितने-कितने आवास कहां-कहां स्वीकृत किये गये, इनमें से कितने पूर्ण है एवं कितने अधूरे है नगरवार/ग्रामवार, हितग्राहियों के नाम सहित जानकारी वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक की उपलब्ध करायें। **(ग)** प्रश्नांश ''ख'' अनुसार क्या इन आवासों का उपयोग हितग्राही वर्तमान में कर रहा है यदि हाँ, तो अवगत करायें। यदि नहीं तो क्यों?

राज्यमंत्री, विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण: [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** प्रदेश में विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु विभाग द्वारा 5570 आवास उपलब्ध कराये गये। आवासों की वर्षवार स्वीकृत अनुसार जानकारी निम्नानुसार है :- वर्ष 2012 से 2013 तक आवास हेतु स्वीकृत राशि रूपये 45,000/- हजार थी। वर्ष 2014 से वित्तीय वर्ष 2017-18 तक आवास हेतु स्वीकृत राशि रूपये 60,000/- हजार थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 से इस योजना का प्रधानमंत्री आवास योजना में संविलियन किया गया है। **(ख)** ग्वालियर जिलें में प्रश्नांश 'क' के अनुसार 355 आवास स्वीकृत किये गये। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में योजनान्तर्गत आवासों का सत्यापन कार्यालय जनपद सी.ई.ओ. द्वारा किये जाने का प्रावधान था। नियमानुसार आवास निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात आवास लाभार्थी के निवास की शर्त पूर्ति के पश्चात ही आवास की अंतिम किशत हितग्राही को प्रदान की जाती थी। वर्ष 2017 से प्रदेश में समस्त आवास योजनाओं का संविलियन प्रधानमंत्री आवास योजना में किया गया है, जिसका नियमानुसार पालन किया जा रहा है।

आर्थिक अनियमितता की जांच
[नगरीय विकास एवं आवास]

92. अता.प्र.सं.113 (क्र. 4239) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. नगरीय निकायों के ऑडिटेड वित्तीय लेखों के तहत संचालनालय को नगरपालिका परिषद नर्मदापुरम की वर्ष 2019-20 से लेकर 2022-23 तक के सभी वित्तीय वर्षों की सौंपी गई ऑडिट रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं? क्या इन रिपोर्ट में करोड़ों रूपए की आर्थिक अनियमितता का उल्लेख किया गया है? क्या रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्षों में नगर पालिका नर्मदापुरम को कुल मिलाकर 75958524 रूपए की आर्थिक क्षति हुई है? यदि हाँ, तो क्या संचालनालय को उक्त रिपोर्ट प्रति वर्ष प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो आर्थिक अनियमितता पाए जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? क्या उक्त संबंध में कोई जाँच की गई है? यदि हाँ, तो जाँच संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराएं? **(ख)** उक्त मामले में संबंधित सीएमओ की क्या भूमिका रही है? क्या इस दौरान पदस्थ रहे सीएमओ, राजस्व अधिकारियों, लेखाधिकारियों, स्थानीय अंकेक्षकों द्वारा रिकवरी की कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं? यदि नहीं तो क्या इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? आदेशों की प्रति उपलब्ध कराएं? **(ग)** क्या करों की राशि में गड़बड़ी का नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम जैसा मामला प्रदेश के

अन्य नगरीय निकायों में भी सामने आये हैं? यदि हाँ, तो उनके नाम व कुल हुई आर्थिक अनियमितता की राशि की जानकारी प्रदाय करें? क्या उक्त प्रकार की आर्थिक गड़बड़ी को रोकने, क्षति राशि की रिकवरी करने, संधारित की गई अभिप्रमाणित मांग-पंजी और जारी की गई मैनुअल, कंप्यूटराइज्ड और ऑनलाइन रसीदों की सूक्ष्म, गहन और मैदानी जांच करने हेतु उच्च स्तरीय निष्पक्ष एवं विशेषज्ञ दल गठित किया जायेगा? निकायों में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही करने के लिए कौन से उच्च स्तरीय जांच संसाधन उपलब्ध हैं?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क)*** *ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार*** *है। उक्त रिपोर्ट में करोड़ों रूपयों की आर्थिक अनियमितता का उल्लेख नहीं है। मात्र प्रक्रियात्मक त्रुटियों का उल्लेख किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।* ***(ख)*** *प्रश्नांश "क" के संदर्भ में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* ***(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **]** **(ग)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भोपाल सिंटी लिंक लिमिटेड की बोर्ड की बैठक
[नगरीय विकास एवं आवास]

93. अता.प्र.सं.128 (क्र. 4276) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिस कर्मचारी की जाँच के आदेश 38वीं बोर्ड बैठक के बिंदु क्रमांक 31 में दिए गए, तो क्या स्वयं जांच अधिकारी बगैर जांच किए और बगैर कोई भी स्वीकृति के उस कर्मचारी की सेवावृद्धि/संविदा बढ़ाने के आदेश कर सकते हैं, हाँ अथवा नहीं? यदि हाँ, तो क्या बी.सी.एल.एल. की 20वीं बोर्ड बैठक दिनांक 11.05.2016 के बिंदु क्रमांक-15 के निर्णय अनुसार क्या कर्मचारी के जांच के प्रचलन के दौरान सेवावृद्धि दी जाने हेतु तत्कालीन बोर्ड से कोई अनुमति ली गई, हाँ अथवा नहीं? यदि हाँ, तो अनुमति की छायाप्रति प्रदान करें। **(ख)** क्या बी.सी.एल.एल. के मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन उपरोक्त (क) अनुसार जिस कर्मचारी की जांच प्रचलन में है, कि सेवावृद्धि के लिये नोटशीट प्रस्तावित कर सकते है, हाँ अथवा नहीं? क्या मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड की निर्णय के विपरित कार्य कर सकते है, हाँ अथवा नहीं? यदि हाँ, तो कृपया प्रक्रिया बतायें। यदि नहीं तो क्या बोर्ड मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन के विरूद्ध कार्यवाही करेगा, हाँ अथवा नहीं? यदि हाँ, तो समय अवधि बतायें। क्या इसी कर्मचारी जिसकी जांच प्रचलन में है, के संबंध में महापौर (चेयरमेन बी.सी.एल.एल) द्वारा कोई टीप/नोटशीट आयुक्त नगर निगम, भोपाल की ओर प्रेषित की गई है, हाँ अथवा नहीं? यदि हाँ, तो नोटशीट की छायाप्रति प्रदान करें। **(ग)** क्या आई.टी.एम.एस. से संबंधित बी.सी.एल.एल. की 39वीं बोर्ड की बैठक दिनांक 07 मार्च 2024 की बोर्ड में निर्णय लिया गया, हाँ अथवा नहीं? क्या 39वीं बोर्ड के मिनिट्स 07 मार्च 2024 से प्रश्न दिनांक तक प्रचलन में है, हाँ अथवा नहीं? बोर्ड की कार्यवाही में हो रहे विलम्ब का कारण बताएं। बी.सी.एल.एल. द्वारा जारी Letter of Intent No. BCLL/BPL/ITMS/2024/4880 दिनांक 7 मार्च, 2024 एवं BCLL/BPL/ ITMS/ 2024/ 4916 भोपाल दिनांक 15/03/2024, क्या यह दोनों पत्र 39वीं बोर्ड बैठक के अनुमोदन उपरान्त जारी किए गए हैं, हाँ अथवा नहीं? यदि अनुमोदन के बगैर किए गए हैं तो क्या रूपये 8,46,30,803/- के टेण्डर को बोर्ड की सक्षम स्वीकृति की आवश्यकता है, हाँ अथवा नहीं? **(घ)** दिनांक 01/07/2023 से

प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा विभिन्न निविदाओं के अंतर्गत यदि विधिक अभिमत/वकीलों से पत्राचार जो किया गया और उनके द्वारा दिए गए उत्तर की छायाप्रति प्रदान करें और विभिन्न निविदाकार एवं संचालनालय, नगरीय प्रशासन, द्वारा इसी समय अवधि में जो विभाग को पत्राचार/ईमेल प्राप्त हुए, की छायाप्रति प्रदाय करें। महापौर (चेयरमेन बी.सी.एल.एल.) द्वारा दिनांक 07/03/2024 से प्रश्न दिनांक तक जो नोटशीट एवं पत्राचार आयुक्त, नगर निगम एवं सी.ई.ओ. बी.सी.एल.एल. को किया गया की छायाप्रति प्रदान करें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **]** **(क)** जी हॉ। जी नहीं। **(ख)** जी हाँ। जी नहीं। उपरोक्त (क) के उत्तर अनुसार शेषांश का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। जी हां नोटशीट की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ग)** बोर्ड के कार्यवाही विवरण जारी किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। अत: शेषांश का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जी हाँ। बोर्ड के मिनिट्स की कार्यवाही प्रचलन में है। दिनांक 07 मार्च 2024 को बीसीएलएल के बोर्ड बैठक हुई थी, परंतु दिनांक 16 मार्च- 2024 को लोकसभा निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभाव शील होने के कारण बोर्ड की कार्यवाही में विलंब हुआ है। जी नहीं। जी हाँ। **(घ)** विधिक अभिमत/वकीलों से पत्राचार की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। पत्राचार/ई-मेल की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है। नोटशीट एवं पत्राचार की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार** है।